खण्ड-339, अंक-2
सोमवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1901
(21 मई, 1979 ई0)

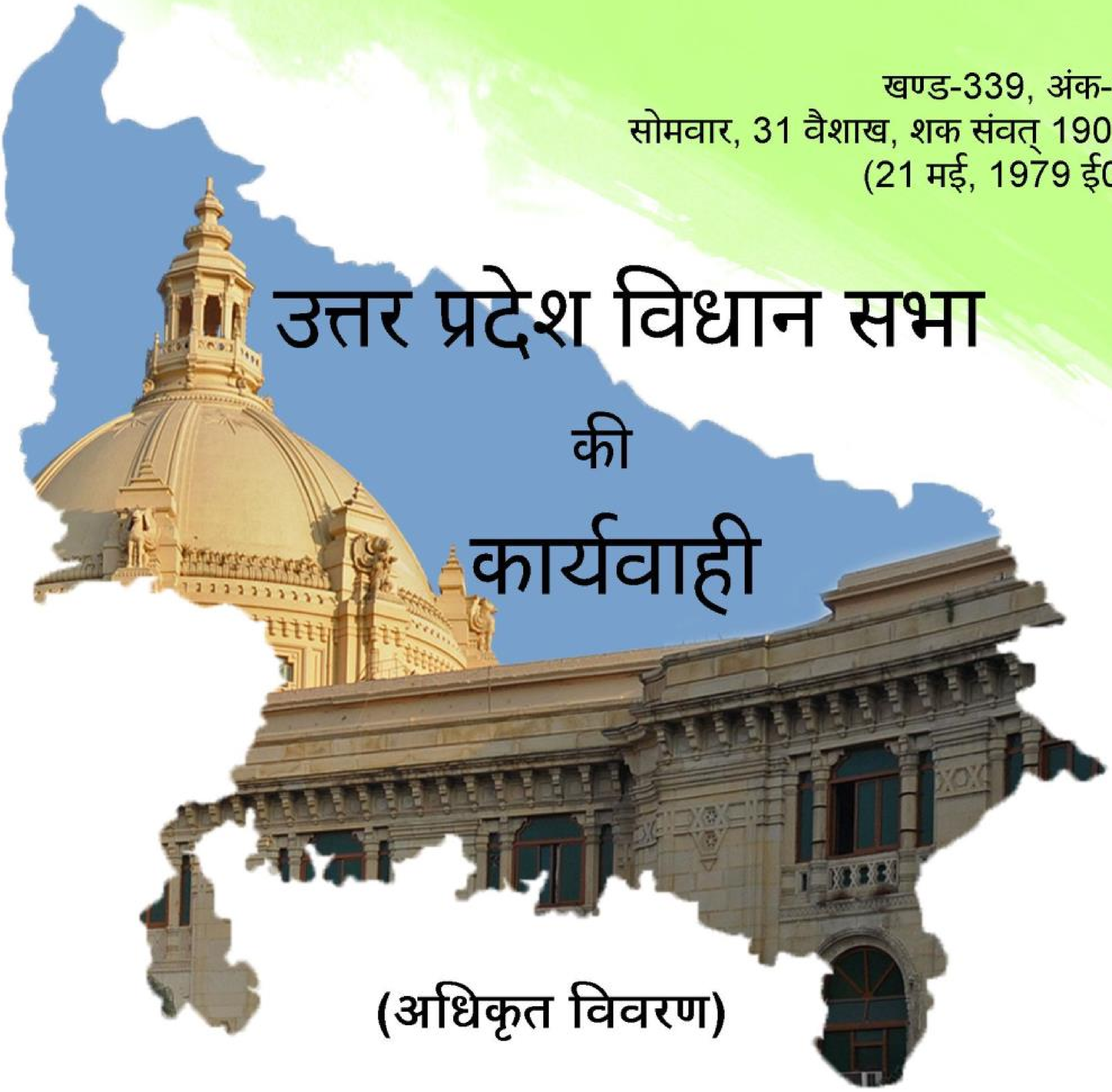

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियमावली के नियम 110 (3) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	128
श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा दी गई एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पर की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग ..	129
श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा नियमावली के नियम 110 (3) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न	129
दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी की माँग	130
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन का शोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा न रखे जाने पर आपत्ति	130
पशुधन मंत्री श्री अब्दुल हलीम खां पर प्रश्नोत्तर काल में लगाए गए कथित आरोपों पर उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिये जाने पर आपत्ति ..	131–132
डाइरेक्टर जनरल, आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	132
फैजाबाद जनपद के जलालपुर थाना इन्चार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	133
कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन गुप्त और विशेष सम्वाददाता तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य श्री के0 के0 ए0 रुस्तम जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	133–136
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान—अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या 89—सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	136–175
दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की सूचना ..	175–177
आज दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	178
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	179
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा इलाहाबाद तथा बरेली में कार्यरत तापीय विद्युत् गृहों को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	179–182
नत्थियाँ	183–190

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--251

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
राम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री

अमर उजाला प्रकाशन

दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल श्री (एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवाँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री

राजमंगल तिवारी, श्री
राजमंगल पाँडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुल्तान सिंह, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 21 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर में महात्मा रविदास जयन्ती की शोभा-यात्रा पर हुए अत्याचार की जांच रिपोर्ट

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी), श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में महात्मा रविदास जयन्ती की शोभा-यात्रा पर हुए अत्याचार की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60, 1952) की धारा 3 के अन्तर्गत शासन द्वारा जिला जज, आगरा को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आयोग को जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु चार माह का समय दिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में घटना कब घटी थी और जांच आयोग गठित करने के आदेश कब जारी किए गये थे और क्या उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक आरम्भ कर देगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

11–12 फरवरी को घटना घटी थी और जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए उपरोक्त अधिनियम में 19 मार्च, 1979 को आयोग गठित किया गया था, जिसने काम भी प्रारम्भ कर दिया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

स्थानीय जनता की ओर से और विधायकों की ओर से भी शासन को यह शिकायतें की गयी हैं कि वहां के जिलाधिकारी जो कि बराबर अत्याचार करने में शरीक थे, वहां पर रह कर गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी को वहां से स्थानान्तरित करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जांच निष्पक्ष रूप से हो रही है और होगी। अतः जो माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

प्रदेश में आपने बहुत जगहों पर जांच आयोग बैठाये हैं और तरह-तरह की घोषणायें हुयी हैं, लेकिन अभी तक जांच आयोगों की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है, तो कितना ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा जिसके अन्दर यह जांच रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दूसरे जांच आयोग इस समय संदर्भित नहीं हैं लेकिन इस जांच के लिए 4 महीने का समय दिया गया है और जैसा कि पहले निवेदित किया 19 मार्च, 1979 को यहां के लिए जांच आयोग गठित किया गया था। तो अभी 4 महीने में समय शेष है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच आयोग के टर्म्स और रेफरेन्स क्या हैं, जिससे माननीय सदस्यों को जानकारी मिल सके कि किस सीमा तक यह जांच आयोग जांच कर सकेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह घटना 11–12 फरवरी, 1979 को हुयी और जो आरोप प्रत्यारोप लगाये गये, उन सारे संदर्भों की जांच यह आयोग करेगा। वह यह भी देखेगा कि कौन दोषी है, शासन की ओर से क्या कमी रही, किन लोगों ने क्या हरकतें की। सारे मामले जो संदर्भित हैं उन सभी बातों पर आयोग जांच करेगा और शासन को अपनी रिपोर्ट देगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

क्या इस आयोग के कोई टर्म्स और रेफरेन्स हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट कर दें ? यदि नहीं तो बता दें कि उसको असीमित अधिकार दिए गये हैं जो चाहे वह करे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

वहां पर जब आम चर्चा है कि जिलाधिकारी का भी उसमें हाथ था, तो जिलाधिकारी को वहां से स्थानान्तरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

बाल वर्ष में बालकों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा पर विचार

**2—श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल वर्ष के उपलक्ष्य में रोडवेज में बसों में यात्रा करने के लिए बालकों को दी जाने वाली कोई सुविधा विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह कौन सी है ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जी हाँ। पाँच वर्ष की आयु तक के बालकों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विचाराधीन है।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, वर्ष के 3 मास बीत चुके हैं। शेष 9 महीने रह गये हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस विचाराधीन प्रश्न पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जिस दिन मैं अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करूंगा उस दिन निश्चित रूप से इस संबंध में जो निर्णय होगा, उसकी जानकारी सदन को दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह जो कहा कि 9 माह शेष है, तो क्या 9 महीने तक इन्तजार करेंगे ?

(हंसी)

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

कभी-कभी प्रीमेच्योर भी हो जाता है .....

(हंसी)।

श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

यह सुविधा क्या विद्यार्थियों को भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

5 साल तक के बच्चों में विद्यार्थी भी तो आते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र---

बाल वर्ष पर दी गयी यह सुविधा क्या इसके बाद भी जारी रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

बालकों की गिनती में 12 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, तो क्या मंत्री जी इस सुविधा को 12 वर्ष तक के बच्चों को दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप उसमें आते हैं क्या ?

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

आधा टिकट लेकर जो बच्चे चलते हैं उनकी आयु की सीमा अधिकतम 12 वर्ष है। क्या इस 12 वर्ष की सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर भी मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

जो बिला टिकट चलते हैं, उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने पर विचार

**3---श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदीय कर्मचारियों की सेवायें राजकीय सेवा घोषित करने का विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसके विलम्ब का क्या कारण है ? इसकी घोषणा अन्तिम रूप से कब तक प्रसारित कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज्य मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)---

जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। मगर वित्तीय कठिनाइयों के कारणवश अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री मित्रसेन---

मंत्री जी अपने दौरों में भी और यहाँ भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि परिषद के कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित होंगे, तो इस सिद्धान्त को सरकार ने मान लिया है या नहीं ? यदि मान लिया है, तो इसमें कितना वित्तीय भार पड़ेगा और कब तक सरकार इन्हें राज्य कर्मचारी घोषित कर देगी ?

श्री जमुना प्रसाद---

इसमें करीब 3 हजार कर्मचारी हैं और इन पर लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। वित्त विभाग अभी राजी नहीं है लेकिन शासन की ओर से इस संबंध में पत्रावली चल रही है और जोर दिया जा रहा है कि इसे मान लेना चाहिये।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या सिद्धान्तः सरकार यह स्वीकार करती है कि परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी माना जाये और समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाये ? अगर हाँ, तो इसे पूरा करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

समय तो नहीं बता सकता, मैंने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है । हम पूरी कोशिश में हैं कि शासन इसे स्वीकार कर ले ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त क्या उनके सामने यह भी एक कठिनाई है कि अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की भी यह माँग हो जायगी कि उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में ही माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बनाना तो सम्भव नहीं है, लेकिन राजकीय कर्मचारियों के समान उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करना स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक फण्ड एलाट न किये जाने के कारण वह सुविधायें नहीं मिल रही हैं, तो क्या इस संबंध में उचित मात्रा में फण्ड एलाट करने की घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी थी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत पहले से उठता रहा है और आपके पहले भी इस बात का निर्णय लिया जा चुका था कि जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी माना जाय, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण आज तक नहीं माना जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वित्तीय कठिनाइयाँ कब तक बनी रहेंगी ? कब तक उस के लिए माननीय मंत्री जी अनुमान लगाते हैं और इन वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास वह कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस ढंग के वक्तव्य दिये हैं कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बना दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देने से पूर्व उन्होंने इस वित्तीय कठिनाइयों को नहीं देखा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न भी इससे नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्यों नहीं उठता ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह कह चुके हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूं कि सार्वजनिक रूप से क्या माननीय मंत्री जी ने नीति के संबंध में कोई वक्तव्य दिया है ? यदि दिया है, तो वक्तव्य के पूर्व क्या उन्होंने वित्तीय कठिनाई नहीं देखी ? मान्यवर, इस प्रश्न को आप एलाऊ कीजिए । यह बिलकुल रिलीवेंट प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या आपने बाहर कोई ऐसा वक्तव्य दिया है ?

(मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए।)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान का स्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण का तो आदेश दे दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक उन्हें राजकीय कर्मचारी नहीं माना जाता है, तब तक उनका स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में नहीं करेंगे ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री उपाध्यक्ष—

स्थानान्तरण वाला प्रश्न में इसमें निहित है नहीं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानान्तरण का तो आदेश कर दिया है, जब तक उन कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान नहीं कर दिया जाता है, तब तक उनका स्थानान्तरण क्या माननीय मंत्री जी नहीं करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नगरपालिका कर्मचारियों की भांति जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है और इसके पहले भी विधान सभा में उत्तर दे चुका हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, किस चीज पर विचार किया जा रहा है ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपने प्रश्न किया है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, जिस प्रकार से नगरपालिका के कर्मचारियों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया गया है, उसी प्रकार से जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवाओं का भी प्रान्तीयकरण करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जो वह विचार कर रहे हैं, उसमें तो यह सब निहित है ।

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह अंतिम रूप से इन परिषदीय कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने में कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कहा जा चुका है कि जितनी जल्दी हो सकेगा। निर्णय ले लिया जायेगा।

ट्रैक्टर तथा ट्राली का रजिस्ट्रेशन

**4—श्री रामदत्त जोशी—

क्या परिवहन मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा अप्रैल तथा मई, 1979 में प्रेषित ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि किसानों के ट्रैक्टर तथा ट्राली पर मोटर वाहन कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने तथा फिटनेस इत्यादि की औपचारिकताओं की पाबन्दी लगा दिए जाने से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था में कोई सन्तोषजनक संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत ट्रैक्टर तथा ट्रेलर मोटर वेहिकिल्स की परिभाषा में आते हैं, अतः इनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। कृषकों की सुविधा को देखते हुए फिलहाल 30 जून, 1979 तक यह छूट दे दी गई है कि चाहे इन ट्रेलरों के डिजाइन नियमानुसार अनुमोदित न भी हुए हों, तब भी उन्हें रजिस्टर कर लिया जाय। नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

श्री रामदत्त जोशी—

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्राली के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के आधार पर चालान किये जाने तथा मुकदमे से किसानों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है, इस प्रकार की सूचनाएं इन्हें प्राप्त हुई हैं या नहीं ? दूसरा यह कि क्या रजिस्ट्रेशन के बजाय वार्षिक लाइसेंस फी उनसे ली जा रही है जिससे किसानों को असुविधा हो रही है, इससे बचाने के लिए विचार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्री जोशी का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था कि इससे कृषकों में असंतोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर भी जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, फिलहाल यह छूट दे दी गई है कि चाहे इन ट्रेलरों के डिजाइन नियमानुसार अनुमोदित न भी हुए हों तब भी उन्हें रजिस्टर कर लिया जाये। पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसको सरल किया जाये, पंजीकरण की प्रणाली को समाप्त किया जाये इसके स्थान पर लाइसेंस प्रणाली को अपनाया जाये, ये सारे प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं।

श्री रामदत्त जोशी—

जनता सरकार के शासन से पूर्व क्या इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन ट्रालियों पर लागू थे या इसके राज्य में ही लगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट केन्द्रीय ऐक्ट है 1939 का और उसके अन्तर्गत नियम 205 बहुत पहले का बना है, उसके अन्तर्गत तो पहले से प्राविधान था।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

गत वर्ष जो भूतपूर्व परिवहन मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ट्रैक्टर ट्राली पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या टैक्स नहीं लगाया जायेगा, जब बिल पेश हुआ था ? यदि नहीं, तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था किसान के ट्रैक्टर ट्राली पर किसी भी प्रकार के कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी न टैक्स लगाया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आश्वासन की जानकारी तो मुझे नही है, लेकिन इस संबंध में जो विधेयक था, वह इसी सदन में पारित किया गया था।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य —

रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम शासन नहीं बना लेता जब तक, तब तक इसको रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे स्थगित किया जायेगा ? क्योंकि मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो प्रणाली है रजिस्ट्रेशन की, वह किसान के लिए बहुत ही कष्टदायक है। अगर कोई किसान गल्ले के साथ 2 बोरी सीमेन्ट कुएं के लिए ले जाना चाहता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। अतः आप जब तक नियमों को बना न लें तब तक इस ऐक्ट को लागू न करें। रजिस्ट्रेशन संबंधी आदेश का पालन न करने के लिए अधिकारियों को लिख दिया जाये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मूल प्रश्न के उत्तर में ही मैं बता चुका हूं कि यह 30 जून तक की जो डिजाइन्स हैं यदि वे नियमानुसार अनुमोदित नहीं भी हैं, तब भी उनका पंजीकरण कर लिया जाये। जब यह आदेश हो चुके हैं, तब इस सुझाव का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों के ट्रैक्टर्स में ट्रालियां नहीं हैं क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन टैक्स से मुक्त करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि यह सब विचाराधीन है, उसी में आ जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रालियों पर जो यह रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी कर दिया गया है, इसकी कोई फीस पड़ती है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या इस पर अलग सें कोई गुड्स टैक्स पड़ता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके सारे प्राविधान नियम 205 के अन्तर्गत हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मै नियम नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी पड़ती है और गुड्स टैक्स कितना पड़ता है ?

सत्य प्रकाश मालवीय—

रजिस्ट्रेशन फीस कितनी पड़ती है, इसका प्राविधान नियम 205 के अन्तर्गत है। नियम की जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ आपसे यह कहना पड़ता है। माननीय मंत्री जी इस समय उपस्थित हैं। पिछले साल माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय परिवहन मंत्री जी ने हम लोगों को अन्दर बुलाकर यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं। हमने इनके भाषण पर विश्वास कर लिया और इस बार फिर लगा दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मालवीय जी ने किया है या आबिद अली अन्सारी जी ने ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने नहीं लगाया। पहले से ही लग चुके थे। आप ही लोगों ने पारित किया था, इसी माननीय सदन ने पारित किया था।

श्री मुकीमुर्रहमान--

पहले आश्वासन दिया था कि इसको खतम कर दिया जायेगा। फिर यह आ गया। मान्यवर, इस पर एक घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो रजिस्ट्रेशन का प्रासेज है, वह काफी कठिन है। एक दिन लग जाता है इसमें। क्या इसके सरलीकरण का कोई तरीका निकालने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है, प्रश्न नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें। मंत्री जी को कोई सूचना नहीं है। नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, पहले क्या व्यवस्था थी। कुछ भी पता नहीं है। किसी चीज की जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है। इसे आप स्थगित कर दें। माननीय मंत्री जी जब तैयार हो कर आ जायें, तब इसे लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, विधान सभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है इसमें इस बात का स्पष्ट प्राविधान है कि जो भी किसी ऐक्ट में होगा किसी नियम में होगा उसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। माननीय संदस्य इसे लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। मैं यह कह रहा था कि सरलीकरण के संबंध में नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसको प्रकाशित भी करवाया जा चुका है, क्योंकि जो अधिसूचना प्रकाशित होती है, उसमें प्राविधान यह होता है कि एक महीने में जनता से आपत्तियाँ माँगी जाती हैं। उस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इस नियमावली का प्रकाशन होगा, तो माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वह आपत्तियाँ भेजें, उन पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं तो तथ्यों के बारे में जानकारी चाहता हूं। भूतपूर्व मंत्री ने इस सदन में एक आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के संबंध में क्या कहना है ?

(श्री लक्खी सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

लक्खी सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

मुझे भी समय दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अगर मंत्री जी की जानकारी हो तो उत्तर दिलवा दीजिये कि इस सदन में क्या भूतपूर्व मंत्री जी ने कोई आश्वासन इस संबंध में दिया था ? यदि हाँ, तो वह क्या था और उसकी पूर्ति की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि इस विधेयक पर विचार-विमर्श हुआ था और उसके उपरान्त यह पारित किया गया था। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि माननीय भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया था।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा---

यह बहुत बुनियादी सवाल आया है। आप इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री मुकीमुर्रहमान---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के अन्दर 425 एम0 एल0 ए0 बैठे हैं। उन की बात का जबाव दिलवाना आपके अन्तर्गत होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री जी ने सारे सदस्यों को बुलाकर कहा था कि हम इस विधेयक को पास करा दें। लेकिन हमारी बातों का जबाव नहीं मिलता है। तो श्रीमन्, पहले के परिवहन मंत्री जी बैठे हैं, वह आज भी मंत्रि पद पर हैं। उन्हें खड़ा कराकर उत्तर दिलवायें कि ऐसा आपने आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों के सिलसिले में कोई व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती है। आप दूसरा प्रश्न कर लें। उनके पास जब विभाग नहीं रहा तो क्या जबाव देंगे ?

(शोर)

श्री मुकीमुर्रहमान---

यदि झूठा आश्वासन देंगे, तो मंत्रि-मंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, पहले वाले मंत्री जी को इस सवाल पर पसीना आ गया था। तमाम विधायकों को लाबी में बुलाकर कन्विंस किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये। आप आधे घंटे की चर्चा माँग लीजिये, मैं विचार कर लूंगा।

(शोर)

श्री लक्खी सिंह---

मुझे आपने मौका नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मंत्री जी उपस्थित हैं, तो जबाव दिलवाने में क्या आपत्ति है ? यह परम्परा के खिलाफ बात है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर परिवहन मंत्री जी जबाव देना चाहते हैं तो वह जबाव देते, खड़े होकर के।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था इस माने में चाहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी की सरकार हो, और भले ही उस पार्टी का मुख्य मंत्री बदला करे लेकिन दूसरे मंत्री वही हों या दूसरे हों, किन्तु यदि बाद में भी वह मंत्री हो, तो यदि पहले उसने कोई आश्वासन दिया हो,

मंत्रि परिषद् की सहमति से या किसी कारण से, तो मंत्रि परिषद् में शामिल हुआ दूसरा मंत्री क्या उसके आश्वासन से अपने को बंधा हुआ मानता है कि नहीं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं पैदा होता है । वह कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है । आश्वासन वाली बात को उन्होंने नहीं माना है ।

तारांकित प्रश्न

सहकारी गन्ना समिति संघ के लिपिक एवं टंकक की शैक्षिक योग्यता

*1—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून) तथा दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी गन्ना समितियाँ संघ लि0,लखनऊ में कार्य करने वाले लिपिक एवं टंकक (क्लर्क एवं टाइपिस्ट) की उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, 1975 (यू0पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1975) के अनुसार शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ? क्या 1-7-76 से 30-4-79 की अवधि में उक्त प्रतिष्ठान में नियुक्त लिपिक एवं टंकक (क्लर्क ऐंड टाइपिस्ट) की शैक्षिक योग्यताएं सन्दर्भित नियमावली में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

यू0पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1975 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ में कार्य करने वाले लिपिकों एवं टंककों की निर्धारित शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है । दिनाँक 1-7-76 से 30-4-79 तक की अवधि में उक्त प्रतिष्ठान में नियुक्त हुये लिपिकों एवं टंककों में से केवल दो को छोड़कर शेष सभी की शैक्षिक योग्यता उक्त संदर्भित सेवा नियमावली के अनुसार हैं। उक्त दो लिपिकों की शैक्षिक योग्यता मात्र हाई स्कूल है। इनमें से एक लिपिक उक्त संदर्भित सेवा नियमावली के लागू होने के पूर्व से ही अल्पकालिक लिपिक के पद पर कार्यरत था, जबकि लिपिक पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी। उसकी गत सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दिनाँक 18-11-76 को नियमित (रेगुलर) लिपिक पद पर नियुक्त करते समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता से छूट दे दी गयी । दूसरे लिपिक की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी रूप से दिनाँक 20-7-76 को इस शर्त पर की गयी थी कि वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र दाखिल कर ेगा, किन्तु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी उसके द्वारा यह प्रमाण-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण उसे सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया ।

श्री रणजीत सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 1-7-76 से 30-4-79 तक निर्धारित योग्यता से कम पर की गयी है। लेकिन मेरी सूचना ह कि कम से कम 5 ऐसे लिपिक हैं, जिनकी योग्यता निर्धारित योग्यता से कम है किन्तु फिर भी उनको नियुक्त किया गया है, इसलिये क्या मंत्री जी इस बात की जाँच करायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यदि मान ीय सदस्य कोई लिखित ऐसी सूचना देंगे, तो अवश्य जाँच करा लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि आखिर में जो एक व्यक्ति रह गया था, उसने प्रमाण-पत्र नहीं दिया, इसलिये उसको नोटिस दे दी गयी है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कर्मचारी को इस प्रश्न के प्राप्त होने के बाद नोटिस दी गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, दूसरा व्यक्ति श्री सक्सेना था, जिसकी अस्थायी नियुक्ति की गयी थी, क्योंकि नियुक्ति के समय उसने कहा था कि हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा दिया है और परीक्षाफल आना है, इसलिये उसकी नियुक्ति अस्थायी रूप से कर दी गयी थी, और जब कहा गया कि प्रमाण-पत्र दे दो, तो उसने कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया। इसलिये उनको 4-5-79 को नोटिस दे दी गयी है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री चन्मणि बाजपेयी, नियुक्ति की तिथि 5-2-78 की शैक्षिक योग्यता, श्री राम विष्णु, नियुक्ति की तिथि 2-3-78 की जन्म तिथि तथा राधा मोहन नियुक्ति-तिथि 3-3-78 की जन्म-तिथि व श्री सुशील कुमार की शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि तथा नियुक्ति तिथि क्या हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

शैक्षिक योग्यता तो होगी ही ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब नियुक्ति हुयी, तो वह निर्धारित योग्यता रखता था या नहीं, जिसको बाद में निकाल दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो जबाव दे दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यह तो पहला उसूल है कि नियुक्ति करने के पहले सारी क्वालिफिकेशन वेरीफाई कर ली जाती है, तो बाद में एप्वाइन्टमेन्ट लेटर जाता है, तो क्या विभाग ने बिना देखे ही एप्वाइन्टमेंट लेटर दे दिया कि वह शैक्षिक योग्यता रखता है कि नहीं ? मेरा प्रश्न है कि जिस वक्त नियुक्ति हुयी, उस वक्त निर्धारित योग्यता रखता था या नहीं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जिन लोगों की नियुक्ति हुयी, वे सभी निर्धारित योग्यता रखते थे केवल दो व्यक्तियों के बारे में विवाद था।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, इसलिये मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, पहले यू0 पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन नहीं बनी थी। बाद में जब यह केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1975 से लागू हुयी। तब दो व्यक्ति के बारे में विवाद का प्रश्न आया जिसमें एक थे श्री कमलेश कुमार मिश्र। इनकी योग्यता हाई स्कूल थी। उस वक्त लिपिक की योग्यता हाई स्कूल रखी थी। इसलिये जो पहले से काम कर रहे थे, उनको छूट दी गयी। उनको ले लिया। दूसरे ने इण्टरमीडिएट का इम्तहान दिया था और उसने कहा कि अभी परीक्षा फल मिलने वाला है, उसको दाखिल कर देंगे। इसलिये उनको इण्टरव्यू में ले लिया गया। लेकिन जब उसने प्रमाण-पत्र नहीं दिया, तो उनको नोटिस दी गयी और निकाल दिया गया।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त नियुक्ति हुयी उनकी, वे निर्धारित योग्यता रखते थे लेकिन बाद में शासन ने कोई दूसरी नियमावली बना लिया और निर्धारित योग्यता से ज्यादा योग्यता रख दी। वह दूसरी योग्यता आगे आने वालों के लिये है, तो इनको जो पहले वाले थे, उनको निकालने का क्या औचित्य है ? तो क्या मानवीय आधार पर क्या यह उचित नहीं समझते कि जब उस वक्त निर्धारित योग्यता रखते थे, तो बाद में निकालने का कोई औचित्य नहीं है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था रेगुलेशन के बारे में। जहाँ तक कमलेश कुमार मिश्र का सवाल था, उस वक्त निर्धारित योग्यता हाई स्कूल थी और ये हाई स्कूल थे। बाद में जब सर्विस रेगुलेशन लागू हुयी, तो श्री सक्सेना निर्धारित योग्यता के आधार पर नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने चुनाव के समय कहा कि मैंने इण्टरमीडिएट का इम्तहान दिया है और बाद में परीक्षाफल का प्रमाण दे दूंगा। उसको तब एलाऊ कर दिया। लेकिन जब उसने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो नोटिस दी गयी और निकाल दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। अगर मंत्री जी की बात मान ली जाय, तो जिन-जिन विभागों में शैक्षिक योग्यता ज्यादा बढ़ा दी गयी हैं और जिस वक्त पहली शैक्षिक योग्यता रखी थी तो क्या सबको निकाल देंगे ? जिस वक्त नियुक्ति हुयी वह निर्धारित योग्यता रखता है और बाद में आपने शैक्षिक योग्यता बढ़ा दिया तो क्या उस व्यक्ति को निकाल दिया जाना चाहिये--सवाल यह है। सवाल कुछ है और उत्तर कुछ दे रहे हैं। हमारा तो कहना है कि जिस वक्त नियुक्ति हुई, उस वक्त शैक्षिक योग्यता थी। बाद में अगर आपने शैक्षिक योग्यता इण्टर कर दी हो, तो हाई स्कूल योग्यता वाले को निकालने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष---

निकाला कहाँ है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक कमलेश कुमार मिश्रा जी का सम्बन्ध है, जिस समय उनकी नियुक्ति हुई, उस समय निर्धारित योग्यता हाई स्कूल ही थी, इसलिये निर्धारित योग्यता के विपरीत नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब यह ऐक्ट लागू हो गया, उसके बाद जब योग्यता कम पाई गई तब शासन ने उनको छूट दे दी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य---

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब सन् 1975 में उसकी नियुक्ति हुई और 1977 में आपने ऐक्ट में संशोधन किया कि न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडियेट रहेगी, तो जिस व्यक्ति की नियुक्ति पहले हो चुकी, उस व्यक्ति को आपने किस नियम के अन्तर्गत हटाया ?

श्री उपाध्यक्ष---

हटाया कहाँ है ?

श्री सुखपाल पाण्डेय---

माननीय प्रबन्ध निदेशक के नवम्बर, 1978 के पत्र में 5 आदमियों की जो सूची प्रकाशित की गई है, उसमें विमल कुमार सक्सेना, भुवनेश्वर सिंह, भूपेन्द्र सिंह राना, शाम सिंह लाल और कमलेन्द्र मिश्रा, यह 5 नाम हैं जिनकी योग्यता हाई स्कूल बताई गई है। जिस तारीख को यह संशोधन हुआ कि योग्यता इण्टर कर दी जाये, यह सब आदमी उसके पहले नियुक्त हुए हैं या बाद में हुए हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। अगर आप मुझे सूचित कर देंगे, तो मैं जानकारी कर लूंगा।

विकास खण्ड चाका, इलाहाबाद में सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास अभिकरण द्वारा नलकूप का निर्माण

*2--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जिले के चाका ब्लाक में मण्डलीय विकास निगम द्वारा कोई राजकीय नलकूप वर्ष 1978 में सेचुरेशन स्कीम के अन्दर लगाया गया था किन्तु नलकूप चालू करने पर पानी नहीं मिला ? यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि इंजन, नलकूप घर, नलकूप की बोरिंग व लोअरिंग आदि में अलग-अलग खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि 8-10 हार्स पावर का इंजन साढ़े 6 हजार रुपए के बजाय साढ़े आठ हजार रुपए में खरीदा गया तथा 10 हजार रुपए की लागत से बिजली का मोटर लगाकर विद्युत् चालित नलकूप बन कर दोहरी व्यवस्था की जा रही है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हाँ, इलाहाबाद जिले के चाका विकास खण्ड में इलाहाबाद मण्डल विकास निगम द्वारा एक सामुदायिक नलकूप वर्ष 1978 में लगाया गया है। यह नलकूप सेचुरेशन स्कीम में नहीं है बल्कि सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास अभिकरण के कार्य क्षेत्र में लघु/सीमान्त कृषकों के लाभार्थ लगाया गया है।

कुछ दिन पानी देने के बाद बोरिंग ने पानी देना बन्द कर दिया तो उसे रिग मशीन से पुनः गहरा किया गया है।

नलकूप पर कुल 32,506.39 रुपये व्यय हुआ है। इसमें से बोरिंग, लोअरिंग एवं कम्प्रेशर चलाने में कुल 11,698.36 पैसे इंजन पर 5029 रुपये व्यय हुआ।

जी हाँ, यह सही नहीं है कि 8-10 हार्स पावर का इंजन 8 1/2 हजार रुपये में खरीदा गया है, बल्कि 10 हार्स पावर का कूपर इंजन 5029 रुपये तथा मय सेल्स टैक्स मात्र 5431.32 रुपये में खरीदा गया है तथा और कोई बिजली का मोटर नहीं खरीदा गया है। अतएव दोहरी व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

*3--श्री हरिश्चन्द्र--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सहकारी संघ, सिसवा बाजार, गोरखपुर को उर्वरक पर दिया गया अनुदान

*4--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के सहकारी संघ, सिसवा बाजार के गोदाम में माह अक्तूबर, नवम्बर, 1978 तक खरीफ अभियान के समय खाद वितरण पर अनुदान की सुविधा शासन द्वारा दी गयी थी ? (इस तरह की सुविधा केवल सहकारी तथा एग्रो गोदामों पर ही है) यदि हाँ, तो उपरोक्त गोदामों पर खाद का स्टाक न भेजने तथा वितरण रबी अभियान के समय न कराने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त संघ के सुपरवाइजर द्वारा 24 अक्तूबर, 1978 को बाद का खाद का बचा हुआ स्टाक जनता में वितरण न करने की शिकायत पर गोदाम तथा कार्यालय को ए0डी0 ओ0, कोआपरेटिव तथा प्रश्नकर्त्ता की उपस्थिति में सील कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो सील किस अधिकारी के आदेश पर तोड़ी गयी और क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

जी हाँ, अनुदान की सुविधा सहकारी संघ, सिसवा बाजार द्वारा वितरित उर्वरक पर भी 31-1-79 तक उपलब्ध थी।

सहकारी संघ, सिसवा बाजार के सचिव का स्थानान्तरण होने के कारण तथा सिसवा बाजार सहकारी संघ पर कोई अधिकृत कार्यवाही न होने के कारण वहाँ माह अक्तूबर, नवम्बर, 1978 में खाद नहीं भेजा जा सका। 24 अक्तूबर, 1978 को खाद न वितरण करने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। दिनाँक 12-11-78 को प्रश्नकर्ता महोदय कुछ स्थानीय व्यक्तियों के साथ सिसवा बाजार सहकारी संघ, गोरखपुर गये और गोदाम तथा संघ के कार्यालय को सील कर दिया। सहकारी संघ के सभापति के आदेश से गोदाम तथा कार्यालय का चार्ज नवनियुक्त सचिव को देने हेतु सील तोड़ी गयी।

एल० एस० एस०, किठोर, मेरठ में गबन की जांच रिपोर्ट

*5---श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एल0 एस0 एस0, किठोर, मेरठ में लगभग साढ़े तीन लाख रुपयों के गबन से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, मेरठ ने 15 मार्च, 1971 को जिलाधीश, मेरठ, ए0 डी0 एम0 प्लानिंग के द्वारा भेजी थी ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हाँ, तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक, मेरठ ने जिलाधिकारी, मेरठ को 15-3-71 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसका साराँश यह है कि एल0 एस0 एस0, किठौर के शत प्रतिशत सत्यापन किए जाने पर यह पाया गया कि इस समिति में गम्भीर अनियमितताएं की गयीं जिनसे इस समिति में भारी गबन तथा धन का दुर्विनियोग पाया गया। सहायक निबन्धक, मेरठ के अनुसार समिति के संचालक मण्डल के इशारे (कनाईवेन्स) पर समिति का वैतनिक स्टाफ इस काण्ड में लिप्त पाया गया।

श्री मन्जूर अहमद---

मान्यवर, उस समय की समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या था ? क्या यह भी सही है कि गम्भीर आरोपों के आधार पर समिति के अध्यक्ष को जिलाधिकारी के आदेश से हटा दिया गया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल हलीम साहब थे और उस समय जो रिपोर्ट दी गयी थी, वह अनियमितताओं के कारण केवल अध्यक्ष ही नहीं वरन् संचालक मंडल को निलम्बित किया गया।

श्री मन्जूर अहमद---

मैंने सवाल किया था कि और रिपोर्ट भी माँगी थी। सहायक निन्बधक ने जिलाधीश द्वारा शासन से माँग की थी कि संचालक मंडल के जो अध्यक्ष हैं, वे काँग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन के खिलाफ साढ़े तीन लाख रुपये का गबन का मामला है, अतः इसकी जाँच सी0 आई0 डी0 से कराई जाए। वह सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट क्या है ? वह रिपोर्ट आपने सदन के पटल पर नहीं रखी। सिर्फ इतना ही उत्तर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सवाल करिये।

श्री मन्जूर अहमद---

मैंने पूछा कि एक तो जाँच रिपोर्ट क्या है जैसा सवाल में है ? सवाल का जवाब आधा दे दिया, आधा नहीं दिया। रिपोर्ट क्या है उसे सदन के पटल पर रखें ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने रिपोर्ट की तरफ इंगित किया है, सहायक निबन्धक ने माँग की थी कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जाँच करायी जाय। जाँच करायी गयी और उस जाँच में अध्यक्ष को निर्दोष पाया गया।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

माननीय मंत्री जी ने अभी सी0 आई0 डी0की जाँच का उल्लेख किया। जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कहीं भी सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है और न ही इसका उल्लेख कर सकते हैं जब तक सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर न रखें। मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या श्री अब्दुल हलीम खां तत्कालीन अध्यक्ष आज कल पशुधन मंत्री हैं ? क्या ए0 आर0 ने अपनी 15-3-71 की रिपोर्ट में, जो प्रश्न मंजूर अहमद साहब ने पूछा है, श्री अब्दुल हलीम खां, जो वर्तमान पशुधन मंत्री है, को इस गबन और घोटाले का मुख्य खलनायक बताया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा मैंने पहले ही बताया कि समिति के अध्यक्ष अब्दुल हलीम साहब को जाँच के दरमियान दोषी नहीं पाया गया। अन्य जो दो व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जबाव तो सुन लीजिए. . . . .

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट नहीं बता सकते। सवाल कुछ और है जबाव कुछ और दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो प्रश्न है, वह यह है कि क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि एल0 एस0 एस0, किठोर, मेरठ में लगभग साढ़े तीन लाख रुपयों के गबन से संबंधित जाँच रिपोर्ट तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, मेरठ ने 15 मार्च, 1971 को जिलाधीश, मेरठ को ए0 डी0 एम0 प्लानिंग के द्वारा भेजी थी। यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या थी ? प्रश्न यह था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था श्री अब्दुल हलीम खां जो इस समय पशुधन मंत्री हैं, इस गबन और घोटाले के मुख्य खलनायक हैं। क्या यह सत्य है ? इसका जबाव दीजिए, सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट की बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव- -

मान्यवर, मैं यही बताना चाहता हूं। सहायक निबंधक, मेरठ ने यह रिपोर्ट डी0 एम0 को दी थी। उसमें यह कहा गया था कि समिति में गम्भीर अनियमिततायें हुई हैं। उसके अध्यक्ष श्री अब्दुल हलीम साहब हैं। लेकिन जब सी0 आई0 डी0 से जाँच करायी गयी, तो अध्यक्ष को निर्दोष पाया गया तथा अन्य दो लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी. . . . .

(व्यवधान)

अदालत में. . . . . .

(व्यवधान). . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आपने यह कहा कि अदालत में मामला पहुंच गया इन लोगों के खिलाफ ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हाँ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं और उत्तर कुछ दे देते हैं। मैं 15 मार्च की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आप सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट की बात करते हैं। मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के कनवेन्शन के अनुसार, अगर आप ऐसा केस रेफर करना चाहते हैं जो प्रश्न में नहीं पूछा गया हो, तो उसे सदन के पटल पर रखेंगे। पूछा गया ए0 आर0 की रिपोर्ट के बारे में और जवाब दे रहे हैं सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट का। यदि उसकी बात करते हैं तो सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें। मैंने यह प्रश्न पूछा है क्या श्री अब्दुल हलीम इसके मुख्य खलनायक हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं पूरी रिपोर्ट पढ़े देता हूं जो रिपोर्ट सहायक निबन्धक ने दी है। यह अंग्रेजी में इस प्रकार है:—

As per direction issued by your Honour hundred percent clarification of the Accounts of members of large sized societies of this district was ordered Accordingly the verification of L. S. S. Kithore was entrusted to the A. D. C. O. Sri Rajvir Singh. Certain very serious irregularities leading to heavy embazzlement and misappropriation have been reported in this society. The paid staff of the society is found badly involved in this mishap in connivance with the Committee of management of the Society.

It is also established beyond doubt that the President of this Society, Sri Abdul Halim has been playing an important role in encouraging these nefarious activities of the staff by directly or indirectly shielding them. But at the same time he has kept himself aloof on record.

Steps have already been taken against the paid staff by handing over the cases to the police and by recommending the suspension of the Committee of Management to the Deputy Registrar, Cooperative Societies, Meerut. But Sri Halim, main vilain of this whole episode, is still out of the clutches of law and there is no likelihood of his being entrapped unless an enquiry into the affairs of L. S. S. Kithore vis-a-vis the President of the Society Sri Adbul Halim is held by the C. I. D. at an early date.

It is, therefore, requested that in order to safeguard the interest of the members, the matter may kindly be referred to the C. I. D. for an early investigation and the culprits found guilty of serious charges may be taken to task.

The detailed enquiry report of the A. D. C. O. dated 22.2.71 is also enclosed.

श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)—

जो रिपोर्ट है, वह सही है या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो रिपोर्ट दी गयी थी उसके आधार पर जांच हुई और वह रिपोर्ट सही नहीं पाई गयी।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह जो रिपोर्ट पढ़ी है इसका हिन्दी में अनुवाद करा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुवाद नहीं, केवल सारांश बतला दिया जाय, क्योंकि अनुवाद करने में बड़ा समय लगेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं सारांश बतलाये देता हूं। अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार यह बतलाया गया कि इसमें जो अनियमितताएं हैं वे बहुत गंभीर हैं और इन अनियमितताओं में मैनेजमेन्ट के लोगों का हाथ है और यह भी कहा है कि समिति के अध्यक्ष के इशारे पर ये अनियमिततायें हुई हैं। इसलिये सी० आई० डी० द्वारा जाँच करायी जाय और पुलिस की जो शाखा है उसके द्वारा भी जाँच करायी जाय। उसके बाद जो ये अध्यक्ष थे, उसम इनको निर्दोष पाया गया। अन्य जो दो लोग थे उनको दोषी पाया गया और उनका मामला अदालत में चल रहा है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मैं जानना चाहता हूं कि यह सी० आई० डी० की जाँच कब नियुक्त हुई? क्या ऐसा तो नहीं है कि श्री अब्दुल हलीम जब विधायक बन गये और उनको प्रभावित करके पहले की रिपोर्ट रद्द करवा दी गई?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विशेष अनुसंधान शाखा से जाँच करायी गई।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस तारीख को सी० आई० डी० के लिए आदेश हुये थे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, 18-3-71 को जिलाधिकारी, मेरठ को रिपोर्ट दी गयी। 9-4-71 को जिलाधिकारी ने निबंधक, सहकारी समिति, लखनऊ को सी० आई० डी० द्वारा जाँच के आदेश दिये गये .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सी० आई० डी० को कब आदेश हुये?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सी० आई० डी० की रिपोर्ट सदन में रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

निश्चित तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है। सूचना की जरूरत है।

श्री विक्रमा राय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जाँच चौधरी चरण सिंह के एलीगेशन के ऊपर बैठायी गयी थी और उस समय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और आप कहेंगे कि मैं इजाजत नहीं देता, तो उसके पहले हमको अवश्य सुन लें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब जाँच बिठाई गई थी उस समय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे और क्या यह सही है कि..... (व्यवधान) मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं बल्कि तथ्य पूछ रहा हूं कि उसके बाद बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे तब सी० आई० डी० की जाँच हुई और वे बरी किये गये?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले प्रश्न का जबाव दे दें। प्रश्न के दूसरे भाग में आक्षेप है .....

(व्यवधान ..... प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण उत्तर नहीं दिया गया)

उन्नाव जिले के जरुआखेड़ा (मकूर) मार्ग का निर्माण

*6—श्री हेमराज (जिला उन्नाव)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड, नवाबगंज के ग्राम जरुआ खेड़ा (मकूर) सम्पर्क मार्ग में मास सितम्बर, 1978 से निर्माण कार्य खाद्य योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सड़क का कार्य पूरा हो गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या काम करने वाले 40 मजदूरों की मजदूरी भी बकाया है, यदि हाँ, तो कितनी और क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। विकास खण्ड नबावगंज के ग्राम जरुआ खेड़ा (मकूर) सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य पुनः वर्षा के पश्चात् सितम्बर 1978 में प्रारम्भ किया गया। इस मार्ग पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस मार्ग पर निर्मित कार्य विवादग्रस्त तथा जाँच का विषय हो जाने के फलस्वरूप अग्रिम कार्य रोक दिया गया है। इस मार्ग पर काम करने वाले 40 मजदूरों को 438 मानव दिवसों की मजदूरी बकाया है जिसका मूल्यांकन मिट्टी के कार्य की पैमाइश के पश्चात् ही सम्भव है। बकाया मजदूरी का भुगतान मिट्टी के कार्य की नाप तथा मस्टर रोलों पर क्षेत्रीय संगठनकर्त्ता (प्रा0 वि0 द0) द्वारा सत्यापन के अभाव में नहीं किया जा सका।

सहकारी समिति विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डार, सरया, जिला सीतापुर में गबन

*7—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, सरैया (राजा साहब), जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा सहकारी समिति विद्यार्थी उपभोक्ता भंडार, सरैया राजा साहब, जनपद सीतापुर में सितम्बर, 1976 में गबन का मामला पुलिस सेल विशेष अनुसन्धान सहकारिता विभाग द्वारा कोई जाँच वर्ष 1977 से चल रही है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच रिपोर्ट क्या है तथा आज तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

विशेष अनुसन्धान शाखा मे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी थी। अभिलेख बरामद कर पुनः मामले में विवेचना करने हेतु विशेष अनुसंधान शाखा को लिखा गया है।

*8—श्री गोकरन प्रसाद तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दि माहेश्वरी खेतान, शुगर मिल प्राइवेट लि०, रामकोला, देवरिया के मैनेजर, श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी पर बकाया धनराशि

*9—श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दि माहेश्वरी खेतान शुगर मि0 प्रा0 लि0, रामकोला, देवरिया नामक प्रतिष्ठान का राज्य सरकार ने 4 मार्च, 1970 ई0 को अधिग्रहण किया था? यदि हाँ, तो उस समय मिल के फैक्ट्री मैनेजर (श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी) से मिल को कितनी रकम पानी थी और उसकी वसूली के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिव मंगल सिंह—

दि माहेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया पर जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा 4-3-1970 से रिसीवर नियुक्त किया गया है। उस समय श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी, फैक्ट्री मैनेजर के नाम रु0 29,528.46 पैसा अग्रिम धनराशि थी जिसका हिसाब मिल को पाना था। मिल के रिसीवर द्वारा आदेश देने पर श्री बाजपेयी ने 0 47,547.38 के खर्चे का हिसाब मिल को दिया जिसमें से रु0 33,439.31 का बिल 4-3-70 से पहले का था जिसका समायोजन आवश्यक सत्यापन एवं तत्कालीन अभिलेखों के अभाव में नहीं किया जा सका। रिसीवर ने श्री बाजपेयी के वेतन से रु0 200 प्रतिमाह कटौती का आदेश दिया था लेकिन श्री बाजपेयी के आवेदन पर उनके द्वारा दिये गये बिलों के समायोजन हो जाने तक रिसीवर द्वारा उक्त कटौती स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात श्री बाजपेयी को पुनः सूचित कर दिया गया है कि वे देय धनराशि का तुरन्त भुगतान कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस बीच श्री बाजपेयी के समस्त पावनों का भुगतान रोक दिया गया है।

राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के भण्डार गृह के निर्माण हेतु दी गयी धनराशियां

*10—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डार गृह ने अब तक उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को निर्मित भवनों के लिए 11 करोड़ रुपये के लगभग रुपया दिया है? यदि हाँ, तो निर्माण निगम ने निर्माण का हिसाब दे दिया? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

30-4-1979 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भण्डार गृहों के निर्माण हेतु रु0 2,36,75,000 दिया गया है। निर्माण निगम द्वारा रु0 8,49,95,000 के व्यय का ब्योरा दिया जा चुका है। निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है जिसके व्यय का ब्योरा निर्माण निगम द्वारा दिया जाना है।

*11-20—

[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त।]

मिर्जापुर जिले के विकास खण्ड, घोरावल में डी० पी० ए० पी० परियोजना के अधीन बंधी का निर्माण

*21—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1978 या दिसम्बर, 1978 के बीच मिर्जापुर जिले के घोरावल ब्लाक में डी0 पी0 ए0 पी0 परियोजना में बन्धी योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही बन्धियों में घपला व भ्रष्टाचार तथा ठेकेदार को 7-80 रुपए प्रति सौ घन फुट मिट्टी का ठेका देकर मजदूरों को केवल 4 रुपया प्रति सौ घन फुट मिट्टी का दाम देने की शिकायत की कोई रिपोर्ट क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री द्वारा ए0 पी0 सी0, अतिरिक्त कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण को तथा कृषि मन्त्री को प्राप्त हुई थी। जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों भूमि संरक्षण अधिकारी, घोरावल व उप निदेशक को निलम्बित करने की माँग की गयी थी? यदि हाँ, तो सरकार ने उन अधिकारियो के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ।

जाँच कराई गई। आरोप सही नहीं पाये गये अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*22—श्री मन्जूर अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

उन्नाव जिले की कुईयर मार्ग के निर्माण के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*23—श्री हेमराज—

तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी (ग) दिनांक 26 मार्च, 1979 के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि 1971–72 में टेस्ट वर्क द्वारा वह सम्पर्क मार्ग पाटा गया था उसी की नई पटाई दिखाकर 13 हजार रुपया का भुगतान दिखाया गया है ? क्या तत्कालीन उप मन्त्री, क्षेत्रीय विकास की दिसम्बर, 1978 की निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

जी हाँ । उक्त रिपोर्ट में उप मंत्री जी ने अपने निरीक्षण के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर अपने विचार व्यक्त किये थे । जाँच चल रही है । जाँच पूर्ण होने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तभी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा ।

राज्य भण्डारागार निगम में चेक का गबन एवं श्री आर० वी० सिंह का निलम्बन

*24—श्री गुलाब सेहरा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में दिसम्बर, 1976 में, 25 हजार के एक चेक का गबन हुआ था और उसमें चेक बाबू श्री आर0 वी0 सिंह निलम्बित हुये थे ? यदि हाँ, तो इस गबन का क्या हुआ ? श्री आर0 वी0 सिंह को पुनः नौकरी में किस आधार पर लिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर 1976 में निगम की चेक बुक से एक चेक फाड़कर उसमें जालसाजी करके 24,050 रु0 की रकम भर कर भुना लिया गया । मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । निगम ने इस मामले में श्री आर0 वी0 सिंह को निलम्बित किया था पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस मामले में श्री आर0 वी0 सिंह की कोई गलती या सहयोग नहीं पाया गया । अतः उन्हें निगम द्वारा पुनः सेवा में ले लिया गया है ।

पशु चिकित्सालयों की ट्रीटमेन्ट लेवी समाप्त करने की मांग

*25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पशु चिकित्सालयों में वसूल की जाने वाली ट्रीटमेन्ट लेवी समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उक्त लेवी कब से समाप्त कर दी जायेगी ?

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[4थे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ–कानपुर मार्ग पर बस दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों की सूची

2—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ–कानपुर मार्ग पर आवास विकास कालोनी के निकट दो बजे दिन बांदा डिपो रोडवेज की यू0टी0पी0 4406 बस व कानपुर से आ रही बांदा रोडवेज यू0एस0ई0 7536 मिनी बस की टक्कर में कितने आदमी घायल हुये हैं व कितने मरे ? क्या सरकार घायलों व मृतकों के नाम व पता व जनपद बताने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दुर्घटना में 19 यात्री घायल हुये तथा दो की मृत्यु हुई। इन सभी यात्रियों के नाम व अन्य विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 183 पर)

फैजाबाद जिले में जिला परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को दिया गया विज्ञापन

3—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में जिला अधिकारी ने नगरपालिकाओं, जिला परिषद एवं नगर क्षेत्र समितियों के प्रशासक की हैसियत से गैर मान्यता प्राप्त जनपद तथा जनपद के बाहर के निकलने वाले कुछ समाचार-पत्रों को विज्ञापन 1978–79 में दिये हैं ? यदि हां, तो इन विज्ञापनों के देने का आधार क्या था तथा वर्ष 1978–79 में इस प्रकार कुल कितनी धनराशि के विज्ञापन गैर मान्यता प्राप्त किन-किन समाचार-पत्रों को दिये गये ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

फैजाबाद जनपद में केवल दो मान्यता प्राप्त समाचार पत्र हैं। अतः केवल उन्हीं के माध्यम से जिला परिषद के कार्यकलापों का प्रचार सम्भव नहीं है। इसलिए गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को भी विज्ञापन देना आवश्यक था। जिला परिषद द्वारा गैर मान्यता प्राप्त तथा जनपद के बाहर के समाचार पत्रों को विज्ञापन देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्ष 1978–79 में गैर मान्यता प्राप्त जनपद के समाचार पत्रों को रु0 2,940 तथा जनपद के बाहर के समाचार पत्रों को रुपया 4138.80 के विज्ञापन दिये गये। समाचार पत्रों के नाम तथा उनको विज्ञापन हेतु दी गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 184 पर)

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में परिवारों को दी गयी सहायता

4—श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के गड़वार, सोहांव, तथा हनुमानगंज ब्लाक में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को सहायता देने के लिये चुना गया है ? इनमें से कितन लोगों को सहायता दी जा चुकी है तथा बाकी को कब तक सहायता दे दी जायगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत बलिया जनपद के गड़वार, ब्लाक में 665, सोहांव में 560 तथा हनुमानगंज में 411 अन्त्योदय परिवारों को चुना गया है। इनमें से विकास खण्ड गड़वार में 16, सोहांव विकास खण्ड में 80 तथा हनुमानगंज में 165 परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। शेष परिवारों को भी शीघ्र ही सहायता दी जायगी।

निर्वाचन क्षेत्र औराई में जिला परिषद, वाराणसी द्वारा सड़क निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

5—श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के निर्वाचन क्षेत्र औराई में वर्ष 1978–79 के लिये जिला परिषद् द्वारा सड़कों, विद्यालयों एवं पुलों के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा अब तक कुल कितना खर्च किया गया ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

वाराणसी जनपद में औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सड़कों, विद्यालयों एवं पुलों हेतु वर्ष 1978–79 में जिला परिषद, वाराणसी द्वारा कुल रु0 2,32,668.00 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। अब तक रु0 1,47,001.00 की धनराशि ही व्यय की जा सकी है। पुलियों का निर्माण सीमेन्ट की कमी से नहीं किया जा सका है। स्वीकृत धनराशि तथा व्यय का विवरण निम्नांकित है:—

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	अब तक व्यय की गई धनराशि
		रु0	रु0
1	सड़क	1,48,157	1,10,646
2	पुलिया	12,470	..
3	विद्यालय भवन	72,041	36,355
	योग ..	2,32,668	1,47,001

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले में परिवारों को दी गयी धनराशि

6—श्री बेचूराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के विकास खंड औराई, सेवापुरी तथा विकास खन्ड, भदोही वर्ष 1978–79 के लिए अन्त्योदय कार्य-क्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? क्या सभी गांव सभाओं में अनुदान दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

शासन द्वारा स्थानिक विकास योजना/अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए वर्ष 1978–79 में वाराणसी जनपद के लिए कुल रु0 61,47,300.00 की स्वीकृति मार्च, 79 में जिला परिषद को दी गयी है। शासन स्तर से इस धनराशि का आवंटन जनपदों में विकास खण्डों या गांव सभाओं को नहीं किया जाता है। जिला परिषद चयनित अन्त्योदय परिवारों को सीधे ऋण अनुदान स्वीकृत करती है।

वाराणसी जिले के निर्वाचन क्षेत्र औराई में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण

7—श्री बेचू राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के औराई निर्वाचन क्षेत्र में श्रम के बदले खाद्यान्न वितरण की विशेष योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 के लिये किन-किन सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति हुई थी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि स्वीकृत सभी सम्पर्क मार्ग बना दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

वाराणसी जनपद के औराई निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड सेवापुरी, भदोही तथा औराई में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 185 पर)

शाहजहांपुर के विकास खण्ड, कटरा के पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक कटरा के खुदा गंज कस्बा के पशुधन अधिकारी के विरुद्ध कार्य में शिथिलता आदि से सम्बन्धित पत्र जिला पशुधन अधिकारी को दिनांक 12 जनवरी, 1979 को तथा 14 जनवरी, 1979 को जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को दिया गया था ? यदि हां, तो पशुधन अधिकारी के विरुद्ध मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे और उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां। पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप थे कि श्री रामलाल भुर्जी ग्राम मझिला की बीमार गाय की उनके घर पर जाकर उपचार नहीं किया तथा उन्होंने रु0 10 फीस के मांगे तथा 30–35 रुपये उनके दवा के रूप में व्यय होना बताया।

आरोपों की जांच की जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, महोली, सीतापुर के लिपिक, श्री राम किशोर मिश्र का वेतन

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चीनी उद्योग मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति, महोली, जिला सीतापुर के कुछ सीजनल लिपिकों को उस अवधि का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है जिस अवधि में वह राजनीतिक कारणों से आपातकाल के दौरान जेल में डिसिर के अन्तर्गत बन्दी रहे थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, महोली, जिला सीतापुर के केवल एक सीजनल लिपिक, श्री राम किशोर मिश्र को 20–12–76 को डिसिर के अन्तर्गत जेल में बन्दी बनाया गया था और 26–3–77 को बन्दीकरण से मुक्त किया गया। इनको 18–12–76 से सेवा से पृथक कर दिया गया था। अतः इनको इस अवधि का वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले में उन्नत किस्म के मूंगफली के बीज का वितरण

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में इस वर्ष मूंगफली के उन्नत किस्म के बीज काश्तकारों को वितरण करने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ? कितनी मात्रा में बीज संग्रह करने का लक्ष्य है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनपद सीतापुर के कृषकों को इस वर्ष (1979–80) 72.70 कुन्तल उन्नत मूंगफली के बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है। जनपद में वितरण हेतु इस वर्ष (1979–80) 100 कुन्तल मूंगफली का बीज संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सहकारी निरीक्षक (वर्ग दो) का स्थायीकरण

11—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी निरीक्षक (वर्ग दो) 2 की कितनी संख्या है और उनमें कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं ? अस्थायी निरीक्षकों में तीन साल की सेवाकाल वाले कितने निरीक्षकों को स्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश में सहकारी निरीक्षक (वर्ग–2) के कुल 395 पद हैं। उनमें से 246 पदों पर स्थाई करण किया जा चुका है और शेष पदों पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उपलब्ध स्थाई पदों पर वरिष्ठता के क्रम में आने वाले लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों का परिवीक्षा अवधि के उपरान्त स्थाई किये जाने का नियम है।

दि महेश्वरी खेतान शगर मिल, रामकोला, देवरिया के मैनेजर, श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी की उम्र

12—श्री राम जनम—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दि महेश्वरी खेतान शगर मिल प्रा0 लि0, रामकोला, देवरिया के फैक्ट्री मनेजर (श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी) की आयु 62–63 वर्ष हो चुकी है ? यदि हाँ, तो उनको अभी तक सेवा मुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं। मिल के अभिलेखानुसार श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी की वर्तमान आयु लगभग 56–1/2 वर्ष की है।

हरदोई जिले में मण्डी के स्थल का चयन

13—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई मुख्यालय में मण्डी बनाने हेतु जिला प्रशासन चयन समिति ने एक जमीन का चुनाव कर दिया था, अब उसे बदल कर इमली रोड स्थित भूमि पर मण्डी बनाने हेतु शासन से स्वीकृति ली जा रही है ? क्या यह सत्य है कि इमली रोड स्थित भूमि के पास मरघट है और विद्यालय तथा तालाब भी है ? यदि हाँ, तो चयन समिति द्वारा चुने गये स्थान को बदलने के कारण क्या हैं ? क्या यह भी सत्य है कि जहाँ पहले चुनाव किया गया था वहाँ की बाजारू कीमत 6 लाख रुपया है और नए स्थल की 38 लाख रुपया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। मंडी स्थल हेतु कैनाल कालोनी के निकट की भूमि के बजाय इमली रोड पर स्थित भूमि पर मंडी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। इमली रोड स्थित भूमि से 1/2 कि0 मी0 दूरी पर एक मरघट है तथा कुछ गाटों में करीब 3 बीघा में तालाब है। पूर्व चयनित कैनाल कालोनी (आशानगर) वाली भूमि में जाने के लिये कोई अप्रोच रोड नहीं है और न ही यह मुख्य सड़क पर स्थित है। इमली रोड वाली भूमि मण्डी स्थल के लिये अधिक उपयुक्त है। इन स्थलों के बाजार भाव का सही मूल्यांकन अभी ज्ञात नहीं है।

हरिहर कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र और कोल्ड स्टोरेज के विस्तार किये जाने की अनुमति

14—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिहर कोल्ड स्टोरेज, बाबतपुर, वाराणसी द्वारा पिछले कई वर्षों से किराया सरकारी रेट से ज्यादा, तथा प्रति क्विन्टल बाण्ड का एक

रुपया, दो रुपया और दूसरों का रक्खा हुआ आलू स्वयं बेच लेना और अपने आदमियों के नाम हजारों क्विन्टल का बाण्ड करके कोल्ड स्टोरेज में किसानों के आलू को न रखने आदि सम्बन्धित शिकायतें सरकार को मिली हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय कृषि मन्त्री को 13 फरवरी, 1979 को लिखा था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ।

जी हाँ, शिकायतों के संबंध में जिला उद्यान अधिकारी तथा उप निदेशक उद्यान, वाराणसी द्वारा जाँच करायी गयी। जाँच से, केवल एक को छोड़कर, किसी शिकायती तथ्य की पुष्टि नहीं हुई। शीतगृह के एक कर्मचारी श्री जितूराम का 17 बोरा आलू रखा पाया गया।

15—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिहर कोल्ड स्टोरेज, बाबतपुर, वाराणसी को एक अलग से कोल्ड स्टोरेज को विस्तारित करने का लाइसेन्स दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो पहले कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कितने क्विन्टल है और शुरू से लेकर अब तक कितना आलू रक्खा गया और नया विस्तारित करने का कितने क्विन्टल का होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ, विस्तार करने की अनुमति 18-11-78 को दी गयी, पहले की भण्डारण क्षमता 2,202 कुन्तल है तथा नये विस्तारित कक्ष की क्षमता 18,000 कुन्तल है। आरम्भ से रखे गये आलू का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 186 पर)

मत्स्य पालन विभाग, लखनऊ द्वारा गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को दिया गया विज्ञापन

16—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मत्स्य पालन विभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1978-79 में कितने अन-अप्रूव्ड समाचार पत्रों को कितनी धनराशि के कुल कितने विज्ञापन दिए गए और इसके लिए कौन अधिका ी दोषी है ? क्या सरकार व्यय की गयी धनराशि को ोषी अधिकारी से वसूलने और सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध काम करने के लिए उसे दण्डित करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वर्ष 1978-79 में दो अन-अप्रूव्ड पत्रों को एक-एक विज्ञापन कुल धनराशि पये 1300 के दिए गए।

इन पत्रिकाओं के बीजकों का भुगतान निदेशक, सूचना विभाग के सत्यापन के अभाव में नहीं किया गया।

सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध विज्ञापन देने हेतु जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हतु हटाया गया।]

एग्रो के डिवीजनल आफिस, झांसी में उर्वरक विक्रेताओं की जमानत की जमा की गयी धनराशि

18—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि एग्रो के डिवीजनल आफिस, झांसी में कितने खाद विक्रेताओं की कितनी सिक्योरिटी जमा है तथा जब एग्रो ने खाद का व्यापार बन्द कर दिया है तो विक्रेताओं का रुपया वापस करने में क्या परेशानी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

एग्रो के डिवीजनल आफिस, झांसी में 51 उर्वरक विक्रेताओं की 73,155.30 की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा है। एग्रो ने खाद का व्यापार बन्द नहीं किया है। डीलरशिप समाप्ति के पश्चात डीलर से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसकी जमानत की धनराशि वापस की जाती है। इसमें निगम को कोई परेशानी अथवा आपत्ति नहीं है।

फतेहपुर जिले के गुन्नौर ग्राम में गंगा नदी पर पीपे के पुल की मांग

19—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि फतेहपुर जिले का गुन्नौर ग्राम, बिन्दकी तहसील में गंगा नदी के किनारे पर है तथा दूसरे किनारे पर उन्नाव व रायबरेली जिला के ग्राम हैं ? यदि हाँ, तो जनता के व्यापार बढ़ाने व तीनों जिलों का सम्पर्क स्थापित करने हेतु पीपे का पुल बनवाने की कृपा करेगी ? क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, फतेहपुर द्वारा यह घाट प्रति वर्ष 35–40 हजार रुपया पर नीलाम किया जाता है ? यदि हाँ, तो यह घाट कब तक बना दिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

पीपे का पुल बनवाने का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः इसके बनाने की तिथि बताने का अभी प्रश्न नहीं उठता। यह सत्य है कि घाट की नीलामी से जिला परिषद को 35–40 हजार की प्रतिवर्ष आय होती है।

फतेहपुर जिले के विकास खण्ड, मलवां तथा देवमई में विकास कार्य हेतु व्यय की गयी धनराशि

20—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के मलवाँ तथा देवमई ब्लाकों में 1 अप्रैल, 1978 से 31 जनवरी, सन् 1979 तक किन-किन ग्राम सभाओं को विकास कार्यों की किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया दिया गया ? वे कार्य अब तक पूर हो गए अथवा नहीं ? यदि पूरे नहीं हो पाए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

फतेहपुर जनपद के मलवाँ तथा देवमई विकास खण्डों में ग्राम सभाओं को कोई धन निर्माण कार्य हेतु नहीं दिया गया है, बल्कि सभी निर्माण कार्य विकास खण्डों द्वारा कराये गये हैं। विकास खण्डों मलवाँ तथा देवमई में विभिन्न निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल, 78 से 31 जनवरी, 1979 तक क्रमशः रुपये 37,571.40 तथा रुपये 2,881 व्यय किये गये हैं। इन धनराशियों से मलवाँ विकास खण्ड में 20 तथा देवमई विकास खण्ड में 6 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये। मलवाँ विकास खण्ड के 20 निर्माण कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा शेष 15 पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार देवमई विकास खण्ड के 6 निर्माण कार्यों में से 5 कार्य पूरे हो गये हैं तथा शेष 1 पर कार्य चल रहा है। उक्त दोनों विकास खण्डों के निर्माण कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न है। जो कार्य पूर्ण नहीं हुये उनका कारण ईंटों का न मिलना तथा रास्ते की खराबी रहा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 187–188 पर)

फतेहपुर, बिन्दकी क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा मार्गों का निर्माण

21—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि सन् 1977–78 में फतेहपुर जनपद के 286 उत्तरी बिन्दकी क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा कई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किए गए थे जिन पर मिट्टी व पुलिया निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार आगामी जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होने वाली वर्षा के पहिले उन्हें पक्का करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। मंडी समिति, बिन्दकी के क्षेत्र में वर्ष 1977–78 में स्वीकृत निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग बन गये हैं:—

1—गढीवा-जाफरगंज	..	3 कि0 मी0
2—करिबिगवा भिराई	..	2.5 कि0 मी0
3—बिन्दकी-गुन्नीर	..	5 कि0 मी0

अभी तक गढीवा-जाफरगंज मार्ग पर प्रस्तावित 6 में से 5, करिबिगवा-भिराई मार्ग पर 6 में से 4 पुलिया बनी है तथा बिन्दकी-गुनीर मार्ग पर 13 में से अभी 2 पुलियों पर ही कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

जी नहीं। शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में इन सम्पर्क मार्गों को पक्का कराने की योजना नहीं है। केवल धन की उपलब्धता के अनुसार खड़ंजा लगाने की योजना है।

22—श्री जगनाथ सिंह—

[2 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जरवल रोड, अतरौलिया-गौरी मांझा मार्ग को गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्माण की मांग

23—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच व गोंडा के बीच जरवल रोड से अतरौलिया व गौरी माँझा तक 6 कि0 मी0 लम्बे मार्ग पर गन्ना विकास परिषद द्वारा (सी0 सी0 ट्रैक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु कोई पत्र दिनाँक 6 दिसम्बर, 1977 (गन्ना आयुक्त) 5473/पत्र संख्या 5831, दिनाँक 21 दिसम्बर, 1977 (जिला अधिकारी, बहराइच) पत्र संख्या 1802/78, दिनाँक 24/27 जून, 1978 (जिलाधिकारी, बहराइच), पत्र संख्या 5472, दिनाँक 6 दिसम्बर, 1977 (रिसीवर चीनी मिल, जरवल रोड) पत्र संख्या 5474, दिनाँक 6 दिसम्बर, 1977 (जिलाधिकारी, गोंडा) पत्र संख्या 2121/78, दिनाँक 17 जुलाई, 1978 (जिलाधिकारी, बहराइच) पत्र दिनाँक 14 अगस्त, 1978 (गन्ना आयुक्त) व प्रतिलिपि (जिला अधिकारी, बहराइच व गोंडा) प्राप्त हुए ? यदि हाँ, तो वर्णित सन्दर्भों के आधार पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यह सी0 सी0 ट्रैक कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण के विषय में माननीय सदस्य के पत्र प्राप्त हुये। संबंधित गन्ना विकास परिषद द्वारा अपने अंशदान के उपलब्ध कराने में असमर्थ होने के कारण प्रस्तावित सड़क का निर्माण नहीं हो सका।

24—श्री बाबू लाल वर्मा—

[4थे सोमवार के लिये स्थगित]

25–26—श्री बाबू सिंह—
[4थे सोमवार के लिये स्थगित।]

27—श्री राम नरायन वर्मा—
[2रे मंगलवार में प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

माहेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला तथा लक्ष्मी शुगर मिल्स, छितौनी के कर्मचारियों का बकाया वेतन व भविष्य निधि

28—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—
क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद में माहेश्वरी खेतान शुगर मिल; रामकोला तथा लक्ष्मी देवी शुगर मिल, छितौनी के श्रमिकों का भविष्य निधि का धन (प्राविडेंट फण्ड), अनुग्रह धन (ग्रेच्युटी) तथा पाँच मास का कुल वेतन (लाखों रुपए) बकाया है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री शिव मंगल सिंह—
माहेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला (देवरिया) तथा लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी के श्रमिकों के भविष्य निधि, अनुग्रह धनराशि तथा वेतन के बकायों का विवरण संलग्नक में दिया हुआ है।

श्रमिकों के बकायों का भुगतान मिलों की विषम आर्थिक स्थिति के कारण नहीं किया जा सका है। सम्बन्धित चीनी मिलों को निर्देश किये जा रहे है कि श्रमिकों के अवशेषों के भुगतान हेतु शीघ्र व्यवस्था करें।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 189 पर)

विकास खण्ड, बिशुनपुरा, जिला देवरिया में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण

29—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के सर्वाधिक पिछड़े विकास खण्ड विशुनपुरा, पडरौना तहसील में जुलाई, 1977 से 11 अप्रैल, 1977 तक किन-किन सम्पर्क मार्गों का निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया गया तथा कितने मार्ग निर्माणाधीन हैं?

श्री जमुना प्रसाद—
श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बिशुनपुरा पडरौना, तहसील, देवरिया जनपद में जुलाई, 77 से 11 अप्रैल, 1979 तक निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था जिसमें से मद संख्या 3 तथा 4 में अंकित मार्ग निर्माणाधीन है शेष पर कार्य पूर्ण हो गया है।

मार्ग का नाम		मार्ग की लम्बाई
		(कि0 मी0 में)
(1) नेहरू इन्टर कालेज, मंशाद्वापर से संदीक मियाँ के टोला तक	..	1.750
(2) नेहरू इन्टर कालेज, मंशाद्वापर से पड़री पिपरपाती तक	..	3.000
(3) नेहरू इन्टर कालेज, मंशाद्वापर से पचपेड़ा तक	..	3.000
(4) चिरगोडा से जटहा रोड तक	..	4.000
(5) खिरकिया से चैते मुशहरी तक	..	1.000

30—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि बिशुनपुरा विकास खण्ड में भुजौली शुल्क से दुखहरन पट्टी साबुई मिश्र, साबुई बाजार होते हुए रोवारी तक का महत्वपूर्ण मार्ग श्रम खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत शीघ्र बनाया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

देवरिया जनपद के विकास खण्ड, बिशुनपुरा में भुजौली शुल्क से दुखहरन पट्टी, सेखुई मिश्र से होते हुये सेखुई बाजार तक मार्ग के निर्माण की कार्यवाही श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत की जा रही है। सेखुई बाजार से रोवारी तक पूर्व से ही मार्ग बना हुआ है जिस पर नव निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, सरदारनगर, गोरखपुर के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया गया मांग-पत्र

31—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरैया शुगर फैक्ट्री सरदारनगर, गोरखपुर की कतिपय अनियमितताओं के विरुद्ध स्थानीय केन यूनियन का कोई प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी, गोरखपुर से जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में मिलकर कोई 13 सूत्रीय ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो ज्ञापन में किन बातों का उल्लेख था ? क्या सरकार इन अनियमितताओं की शीघ्र उच्च स्तरीय जाँच कराकर कार्यवाही करेगी ? क्या इससे पूर्व भी इस मिल के मजदूरों आदि ने प्रबन्ध समिति के विरुद्ध ज्ञापन तथा कार्यवाही की माँग किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। दिनाँक 12-1-79 को सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, सरदार नगर को 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल सरैया शुगर फैक्ट्री सरदार नगर, गोरखपुर के अनियमितताओं के विरोध में जिलाधिकारी, गोरखपुर से मिला था और उनको उक्त प्रतिनिधि मंडल ने एक 13 सूत्रीय ज्ञापन (माँग-पत्र) भी दिया था। उक्त ज्ञापन में उल्लिखित माँगों की सूची संलग्न है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इससे पूर्व मिल के मजदूरों का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 190 पर।)

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

33—श्री श्रीनारायण—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की सूचनाए लूंगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

इस पर आध घन्टे की चर्चा दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये। तब हम विचार करेंगे।

श्री मन्जूर अहमद—

लाखों रुपये खाकर मंत्री बने हैं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोकोद्गार लिये जाने की मांग

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं आपका ध्यान नियम 110 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह जो आपने लिख कर भेजा है, माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं क्योंकि नेता सदन की तरफ से यह प्रस्ताव आता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं बतलाना चाहता हूं कि मैंने, डाक्टर राकेश तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 110 में एक प्रस्ताव लिख कर भेजा है। इसमें वगैर लिखित सूचना दिये भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। माननीय हजारी प्रसाद जी का निधन हो गया है उनको इस सदन में श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये और एक शोक प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिये। अगर आप जानकारी दे रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करेंगे तो इसका हमें पता चल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सदन की यही परम्परा रही है कि जो निधन के निर्देश होते हैं वह माननीय नेता सदन के द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। वह अभी आ रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अभी क्यों नहीं रखा गया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उस पर प्रस्ताव रखा जाय, हमने लिख कर दिया है कि डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो विद्वान थे, निधन हो गया है। उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये इस सदन के अन्दर।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

आप 301 पहले ले लीजिये। जो माननीय सदस्यों की भावनायें हैं उससे शासन भी सहमत है कि उनके निधन पर संमवेदना और श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आये।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

हर मामले में आप बहस करने लगते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

301 के बाद निधन के निर्देश आयें, ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि 301 के बाद आयेगा, माननीय नेता सदन आ रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जो निधन का प्रस्ताव होता है वह 301 से पहले आता है। यह सदन की परम्परा रही है कि समवेदना के प्रस्ताव प्रश्न काल के तत्काल बाद आते हैं। नियम 301 बाद में लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बड़े अफसोस की बात है, आप ऐसे दुखद अवसर पर भी इसे विवाद का विषय बना रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि नियम 301 समाप्त हो लेने दीजिये। नेता सदन आ रहे हैं, यह सदन की परम्परा रही है कि इस तरह के प्रस्ताव वही पेश करते हैं। आप उसमें भी विवाद कर रहे हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--
मान्यवर, आप लक्खी सिंह जी को समय नहीं दे रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--
मुझको समय नहीं देते हैं, मैं सदन को नहीं चलने दूंगा। अगर मुझे समय नहीं देंगे। जो हुल्लड़ मचाते हैं उनको समय दे देते हैं यह शतरुद्ध जी हैं हमको शत्रु समझ लेते हैं। .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
माननीय लक्खी सिंह, आपको इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। आप उठ कर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं नियमावली के....

श्री उपाध्यक्ष--
हम पहले नियम 301 ले लें उसके बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठाये, अभी नहीं।

इलाहाबाद में गंगा नदी पर शास्त्री सेतु के निर्माण में घोटाला तथा भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद में गंगा नदी पर शास्त्री सेतु का निर्माण त्रिवेणी बाँध एवं झूसी नगर के बीच चल रहा है। उक्त सेतु लगभग पूरा हो चुका है। शेष कार्य अब भी चल रहा है जिसमें सरिया, सीमेन्ट आदि निश्चित मात्रा से विशेष कम लगाया जाता है जिसकी जानकारी शासन के विभिन्न विभागों को जनता द्वारा दी जा चुकी है। किन्तु अब तक इस ओर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया। अभी दिनाँक 30 अप्रैल, 1979 को लगभग 8 बजे प्रातः काल उक्त सेतु के दो बीम गिर गये, जिससे दब कर दो मजदूरों की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार अब तक मरने वाले मजदूरों की संख्या 5 तथा घायलों की संख्या और अधिक है। इस प्रकार असामयिक दुर्घटनाओं का कारण सीनियर इंजीनियर श्री त्यागी जी की उपेक्षा हो सकती है क्योंकि यह क्षेत्र में उक्त कार्य को देखने ही नहीं आते हैं। उक्त धनराशि धराशायी बीमों के मलवे वर्कशाप परेड ग्राउन्ड, इलाहाबाद में रखे हुये हैं। इस कार्य की देखभाल के लिये चार जीप गाड़ियाँ हैं जिनका उपयोग वाराणसी, चित्रकूट, शिकारगाह आदि में किया जाता है जिससे अनावश्यक पेट्रोल प्रतिदिन व्यय किया जाता है। इस सेतु में लगने वाले सागोन के स्लीपर, आसाम से मंगा कर पलंग आदि सामान सीनियर इंजीनियर श्री त्यागी एवं जूनियर इंजीनियर श्री एस0 के0 दुबे अपने निवास स्थानों को भेजते हैं। सरिया से कुर्सी आदि निर्माण करायी जाती है तथा सीमेन्ट, लोहा, सरिया, कीमती लकड़ी आदि की बिक्री की जाती है। 16 होमगार्ड इलाहाबाद साइड से एवं 20 होमगार्ड झूंसी साइड में लगाये गये हैं, जिन से पानी पिलाने एवं 10-5 बोरी रखी सीमेन्ट की देखभाल का कार्य लिया जाता है। स्टोर, वर्कशाप में किसी भी गार्ड की ड्यूटी नहीं रहती। जिसके कारण भ्रष्टाचार करने को पूर्ण अवसर मिलता है।

अतएव होम गार्डों को हटाकर उक्त सामानों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की जाय और उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

मान्यवर, इनके सम्पूर्ण रिश्तेदारों के यहाँ, यहाँ का सारा सामान जाता है।

फैजाबाद तथा अयोध्या में कुष्ट रोगियों के बसे होने से जनता में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान फैजाबाद नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर मौदहा मुजफ्फरनगर नाका रोड पर स्थित रेलवे जमीन पर निर्मित नाजायज कुष्ठ कालोनी तथा अयोध्या में नये घाट पर बसे हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये कुष्ठ रोगी दिन भर भिक्षा माँग कर सामूहिक रूप से साथ रह कर पूरे क्षेत्र को प्रभावित करे रहे हैं। आसपास के अनेक नागरिकों का कहना है कि उनके शरीर में खुजली पैदा होती जा रही है। इस तरह से वह कुष्ठ रोग एक कालोनी से जो कि सीमित है से निकलकर पूरे जनमानस को प्रभावित कर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि उक्त दोनों स्थानों से कुष्ठ रोगियों को हटाकर अन्यत्र कहीं विस्थापित करायें तथा उनके समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध करें तथा प्रभावित लोगों को भी इलाज की सुविधा दें।

लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम पुरहिया में भीषण अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनाँक 3-5-1979 को दिन में 3 बजे ग्राम पुरहिया, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में भीषण अग्निकाँड हुआ जिसमें 20 मकान जल कर राख हो गये जिससे अनुमानतः एक लाख रुपये की क्षति हुई है। अनाज, पशुओं का चारा, भूसा, छप्पर छाने का सामान, पहनने के कपड़े तथा बर्तन आदि जलकर नष्ट हो गये हैं। जिसके कारण अग्नि प्रभावित परिवारों के सामने खुले आसमान के नीचे रहने, भूखों मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। इस घटना से उक्त ग्राम एवं क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि अविलम्ब पीड़ित परिवारों को समुचित मदद दे कर उन्हें राहत प्रदान करें।

प्रदेश के अधिकांश जिले तथा विशेषकर वाराणसी जिले के अस्पतालों में पोलियो की दवा के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री दरवाजे पर खड़े हैं। उनको बुलवा लीजिये।

मान्यवर, प्रदेश के अधिकाँश जिलों खास कर वाराणसी में पोलियो की दवा जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है, का घोर अभाव है। इसकी वजह से बच्चों के शरीर के विभिन्न अंगों के लुंजपुंज हो जाने का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

जबकि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, शासन के द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, ऐसे मौके पर पोलियो नामक बीमारी की दवा, जो कि नवजात शिशुओं के लिए देना अत्यन्त ही आवश्यक होती है, वाराणसी के सरकारी अस्पताल में है ही नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच बच्चों को पोलियो नामक रोग की दवा नहीं दी जाती है तो भविष्य में उसके शरीर का कोई भी अंग जीवन भर के लिए क्षत-विक्षत हो जाता है, काम करने लायक नहीं रह जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्वाइनियर डिस्ट्रीब्यूटर, लाटूश रोड, लखनऊ नामक संस्था को सम्पूर्ण प्रदेश में पोलियो की दवा की आपूर्ति करने के लिए अनुबन्धित किया गया है। किन्तु जनवरी, 1979 से आज तक किसी भी सरकारी अस्पताल में पोलियो की दवा उपलब्ध नहीं है, जो कि निश्चित तौर पर प्रदेश के बच्चों को, जो कि प्रदेश की भावी पीढ़ी है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से लुंजपुंज तथा विकलांग बनाने की एक व्यापक साजिश है। अगर समय रहते शासन ने इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया तो भावी पीढ़ी के साथ एक ऐसा जुल्म होगा जिसे इतिहास क्षमा नहीं करेगा।

अतः स्वास्थ्य मंत्री तत्काल इस ओर ध्यान दे कर अविलम्ब पोलियो की दवा का वितरण करवाएं एवं अभी तक पोलियो की दवा उपलब्ध नहीं हो पायी है इसकी व्यापक पैमाने पर जाँच करवाएं।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर सवाल है। इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

स्वास्थ्य मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

बस्ती जिले के टूटे बंधों की पुनः मरम्मत किये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान बस्ती जिले के उन विभागीय बाँधों की ओर दिलाना चाहता हूं जो विगत वर्ष अति बाढ़ के कारण टूट गये थे। परिणाम स्वरूप सैकड़ों ग्राम जलमग्न हो गये, करोड़ों की हानि हुई, कई जानें गईं। खेद है कि पुनः बाढ़ आने का समय आ गया किन्तु अभी तक वह टूटे हुए स्थान ज्यों के त्यों हैं। उन्हें ठीक नहीं किया गया। मान्यवर, बस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहाँ अनेक नदियाँ, नाले पहाड़ी हैं। कभी-कभी 15 जून के बाद तुरन्त बाढ़ आ जाती है। पिछले वर्ष भी बाढ़ अचानक 17 जुलाई को ही आ गयी थी। यदि उन बाँधों की मरम्मत में शीघ्रता न की गयी तो निश्चित रूप से बस्ती जिले के बाँसी तहसील के करीब 300 गाँव कम बाढ़ में भी बाढ़ से जलमग्न होंगे। मरम्मत कराने में स्थानीय अधिकारी उदासीन हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार तुरन्त इस दिशा में आवश्यक पग उठाने की कृपा करे। सूपा, ककरही बाँध तथा बाँसी, पनघटिया बाँधे उसमें से मुख्य हैं।

बस्ती जिले के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बस्ती जिले के प्रत्येक तहसील में भयंकर आग लगने के कारण जिले के सैकड़ों गाँव जल कर भस्म हो गये हैं, जिसमें बच्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और नवजवान भी जल कर खाक हो गये हैं। हरैया तहसील के नौरंगाबाद में सैकड़ों घर जल कर नष्ट हो गये, सरकारी सहायता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो दी गयी है, वह शून्य है। भारी संख्या में लोग इस कड़ाक की धूप में मैदानों में पड़े रहते हैं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिलाधिकारियों को आपातकाल में जो सहायता देने का सौ रुपया का नियम है उसे बढ़ा कर एक हजार रुपया कर दिया जाय। हरैया तहसील में जो सहायता दी गयी है, वह पुराने दर से लगभग शून्य है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने क्या आगे बढ़ा लिया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

छूट गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए। ज्यादती न कीजिए। मैं इजाजत नहीं देता हूं। अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा।

गोरखपुर के पीपीगंज क्रय कन्द्र पर नियुक्त सुपरवाइजर, श्री सुदामा सिंह के विरुद्ध घपलेबाजी के आरोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)—

महोदय, मेरे क्षेत्र में श्री सुदामा सिंह, सुपरवाइजर, क्रय केन्द्र पीपीगंज, जनपद गोरखपुर में कार्यरत थे। दिनाँक 12-5-1979 को मैं उक्त क्रय केन्द्र पर आकस्मिक रूप से पहुंचा तो देखा कि उक्त सुपरवाइजर केवल बिचौलियों से व बनियों से ही खरीदारी कर रहा है। जैसा कि उसका उस दिन का रजिस्टर व चेक बुक देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है। उस दिन की खरीद 99 कि0, 65 कि0, 39 कि0, 95 कि0, 15 कि0, 97 कि0 की थी जो 3 आदमियों की केवल थी। मान्यवर उक्त सुपरवाइजर के चेक बुक में चेक नं0 022096, 022097 सादा था और उसके बाद का 022098, 022099 कटा हुआ था। सादे पर जो बीच में छूटा था उस पर सुपरवाइजर का हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त सुपरवाइजर ने खरीदारी वाले रजिस्टर पर काश्तकारों का नाम पता मात्रा वगैरह गेहूं भी नहीं भरा था। सब कालम सादा था मात्र हस्ताक्षर सही व फर्जी बनाया था। मान्यवर, इस प्रकार क्षेत्रीय जनता वहाँ काफी परेशान है और काश्तकारों से खरीद न कर के बिचौलियों से व बनियों से ही किया जा रहा है। मान्यवर, उक्त सुपरवाइजर का कम से कम 2, 3 बार पूर्व स्थानान्तरण भी हुआ परन्तु वह सिफारिश की वजह से रुकवाता गया। पुनः स्थानान्तरण हुआ है परन्तु चार्ज देने में आनाकानी करता था। मैंने उसे सहकारी उप निबन्धक, गोरखपुर के दफ्तर में पकड़ कर अतिरिक्त जिलाधिकारी न्याय, गोरखपुर के समक्ष ले जाकर दिया, तब वह जिले के किसी अधिकारी के साथ उसे कर दिए और वहाँ उसे साथ ले गये और चार्ज दिलवाये।

मान्यवर, मैंने उक्त सारी घटना की सूचना जिला सहायक निबन्धक व उप निबन्धक को तुरन्त दिया और कागजात चेक बुक व रजिस्टर भी उनको दे दिया है। उन्होंने

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गुन्जेश्वर]

यह आश्वासन दिया कि मैं उनको मुअत्तल कर दूंगा परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए ? मान्यवर, उक्त सुपरवाइजर ने अपने स्वयं तहरीर में जो मुझे दिया है, मेरे पास मौजूद है, सारी बातें तसलीम किया है। मान्यवर, अतः मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि उक्त सुपरवाइजर को अविलम्ब मुअत्तल कराया जाय तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाय तथा उस सहायक निबन्धक के विरुद्ध भी जो उनसे मिले हैं उचित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

प्रतापगढ़ जनपद के शेखनपुर ग्राम के श्री माता बदल की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

महोदय, आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत कंधई थाने क शेखनपुर ग्राम में हुई नृशंस हत्या की ओर आकृष्ट करता हूं। दिनाँक 9 मई, 1979 की रात में माताबदल आत्मज मेदर सरोज की अत्यन्त निर्मम हत्या छूरा, चाकू एवं धारदार अस्त्रों का प्रयोग करके बदमाशों ने कर डाली। ज्ञातव्य है कि मृतक कथित रात को आसलपुर ग्राम में नाच देखने गया था और प्रातः पार्श्ववर्ती गुतौली ग्राम के तालाब के भीटे पर धारदार अस्त्रों से काटा बाला हुआ उसका शव मिला। सम्पूर्ण क्षेत्र में बड़ा आतंक व्याप्त है। जन जीवन अपने को अरक्षित अनुभव कर रहा है। आज तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस निष्क्रिय है। गुन्डों, बदमाशों एवं डकैतों का मनोबल ऊंचा हो रहा है। जनता किंकर्त्तव्यविमूढ़ सी हो गयी है।

अस्तु इस अराजकतापूर्ण स्थिति को सदन के संज्ञान में लाकर माँग करता हूं कि उक्त माता बदल के हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। स्थानीय पुलिस सक्रिय की जाय। मृतक के परिवार वालों को अनुतोष प्रदान किया जाय। यदि हत्या का रहस्य शीघ्र न खुल सके तो सी0आई0डी0 को विवेचना प्रदान कर दी जाय।

मण्डी समिति, कोसी कलां, मथुरा में भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मंडी समिति कोसी कलाँ, जनपद मथुरा के एक महत्वपूर्ण . . .

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने तथा नारेबाजी की घटना

(दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सदन में पर्चे फेंके गये तथा नारे लगाये गये।).

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, अभी इसी समय इस माननीय सदन में एक अशोभनीय घटना काँग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं द्वारा की गयी. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह अभी सामने आ रहा है। यह बड़ा भद्दा तरीका है। मैं समझता हूं कि उसका समय आने दीजिये, जाँच हो रही है, रिपोर्ट आने पर आपको बता दूंगा।

मण्डी समिति कोसी कलां, मथुरा में भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना (क्रमागत)

*श्री लक्खी सिंह---

मंडी है। इस मंडी में हजारों क्विंटल प्रतिदिन गल्ले की खरीद होती है। किसानों के साथ में खुली डकैती हो रही है। 80 प्रतिशत गेहूं 113 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है। इस कारण वहाँ का किसान होड़ल मंडी (हरियाणा) ले जाकर अपना गल्ला बेचता है क्योंकि वहाँ समस्त गेहूं 115 पये क्विंटल खरीदा जाता है। मंडी समिति का सचिव और मार्केटिंग आफिसर ने घोर भ्रष्टाचार फैला रक्खे हैं। सब्जी मंडी में से लगभग 10 साल से कोई टैक्स नहीं लिया गया क्योंकि ये अधिकारी हजारों रुपया स्वयं लते हैं। इससे क्षेत्र के किसानों और जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से तुरन्त कार्यवाही की माँग करता हूं। कृपया इस मामले की जाँच सी0आई0 डी0 द्वारा करायी जाय और दोषी पाने पर इनको बर्खास्त कर दिया जाय।

उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में शाखा विद्यालयों को बन्द किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)---

मान्यवर, शासन के एक असामयिक आदेश के कारण उत्तराखंड के समस्य जनपदों के शिक्षा-क्षेत्र में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। शासन ने प्राथमिक स्तर पर चल रहे शाखा विद्यालयों को तुरन्त बंद करने का जो जन विरोधी आदेश दिया है उससे जनता में सरकार के प्रति घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। विगत 30 सालों में शासन की यह नीति रही है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आवागमन के साधन नहीं है, नदी नालों पर पुल नहीं हैं तथा गाँव दूर-दूर बसे हुए हैं, वहाँ एक गाँव में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की सुविधा के लिए एक शाखा विद्यालय खोल दिया गया। गाँव वालों ने शासन के आदेशानुसार पक्के भवनों का भी निर्माण किया। इस तरह सम्पूर्ण उत्तराखंड में 530 शाखा विद्यालय चल रहे थे जिनमें 20,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। शासन ने बिना सोचे समझे जन भावना के विपरीत इन स्कूलों को बन्द करने का गलत निर्णय किया। इससे सर्वत्र सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। आखिर इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शासन को क्या मिलने वाला है? इस बाल वर्ष में बच्चों को और अधिक सुविधा देने के बजाय उनके विद्यालयों को ही बन्द किया गया, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करता हूं कि तुरन्त इस बाल विरोधी आदेश को वापस लिया जाय। शाखा विद्यालय पुन: पूर्ववत चालू हों तथा जिस अधिकारी की शरारत से यह जन आक्रोश उत्पन्न करने वाला आदेश प्रसारित किया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। इस पूरी स्थिति पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक वक्तव्य देकर सदन को तथ्यों से अवगत करायें।

हिन्दी के प्रख्यात विद्वान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोकोद्गार

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, यह अत्यन्त ही दुख का विषय है कि हिन्दी के प्रख्यात लेखक, विद्वान एवं साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आज नहीं रहे। उनका निधन 19 मई, 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हो गया। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से उनका देहावसान हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

मान्यवर, आचार्य जी के निधन से हिन्दी के आकाश का एक उज्ज्वल नक्षत्र अस्त हो गया है। यह सत्य है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में वह क्षमता थी कि वे रवीन्द्रनाथ टैगोर, कालीदास, बाणभट्ट और कबीर को एक साथ समाहित कर सकते थे। उनका जन्म श्रावण शुक्ल 11 (एकादशी), संवत् 1964 सन् 1907 में बलिया जिलान्तर्गत आरत छपरा नामक ग्राम में हुआ था। काशी विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे अध्यापक होकर शान्ति निकेतन विश्वविद्यालय में चले गये थे जहाँ 20 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। वहाँ अध्यापन के कार्य के साथ-साथ हिन्दी जगत में उन्होंने लेखन आदि का भी काफी काम किया। 20 वर्षों तक शान्ति निकेतन की सेवा करने के पश्चात् आचार्य द्विवेदी जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लौट आए और यहाँ वे हिन्दी विभागाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ कुछ समय रह कर फिर वे चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष होकर चले गए। कुछ समय चण्डीगढ़ में रहने के बाद आचार्य द्विवेदी जी पुनः वाराणसी लौट आए और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में रेक्टर जैसे गरिमामय पद को सुशोभित किया। वे हिन्दी ग्रन्थ एकादमी के भी उपाध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में इस प्रदेश में हिन्दी संस्थान की स्थापना हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उठ जाने से हिन्दी जगत को अपार क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति आगामी अनेक वर्षों में भी होने वाली नहीं है। मैं इस सदन की ओर से, अपनी ओर से, आचार्य जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं। हमारी समवेदना आप दुखित परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मैं, मान्यवर, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से, माननीय नेता सदन की ओर से जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं आचार्य जी के प्रति, उनसे सम्बद्ध करते हुए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति समवेदना व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय द्विवेदी जी के विषय में जितना भी कहा जाय, कम है। हिन्दी जगत के वे एक जाने माने प्रख्यात विद्वानों में से थे। उनके निधन से इस प्रदेश और देश की जो क्षति हुई है, वह अभूतपूर्व है, जो हिन्दी साहित्य एवं रचना में अपूर्ति के रूप में बनी रहेगी।

मान्यवर, उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में जो अभी हमारे पूर्व वक्ता नेता सदन की तरफ से व्यक्त किया गया है, यह पर्याप्त है। उनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाय वह कम है, क्योंकि उनकी सेवाओं से न केवल सदन, न केवल इस देश और प्रदेश की जनता बल्कि सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के साथ-साथ इस देश का जन-जीवन उनकी कृतकृत्तियों से पूर्ण परिचित है। मान्यवर, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनके प्रति शोक समवेदना प्रकट करता हूं। इस सम्बन्ध में मेरी और मेरे दल की ओर से यह समवेदना इस महान कष्ट को सहन करने के लिए, उनके बचे-खुचे परिवार वालों को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति जो विचार नेता सदन तथा काँग्रेस (आई0) की तरफ से व्यक्त किए गए हैं, मैं अपने और अपने दल की उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी न केवल हिन्दी के स्वयं प्रकाण्ड विद्वान थे, बल्कि उनके नेतृत्व में कम से कम दो पीढ़ी के हिन्दी के साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। हिन्दू विश्वविद्यालय में वह रहे हैं और हिन्दू विश्वविद्यालय में जिस तरह से उन्होंने हिन्दी साहित्य के बारे में सेवाएं की है, वह किसी से छिपी नहीं हैं। मान्यवर, आचार्य द्विवेदी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। कुछ दुर्भाग्यवश ऐसी परम्परायें पड़ रही हैं मान्यवर, कि जब कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महान व्यक्ति जिन्दा रहता है, तो हम उसका उतना आदर नहीं करते, लेकिन जब वह दिवंगत हो जाता है, तो उनकी प्रशंसा में तरह-तरह की चीजें कहते हैं। आपको मालूम है मान्यवर, इसी सदन के अन्दर जब आचार्य द्विवेदी जी मरणासन्न से अस्पताल में थे, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश और देश का जो उनके प्रति कर्त्तव्य था, उसमें उतनी निष्ठा नहीं निभाई, यहाँ तक कि एम्बूलेन्स तक भी उन्हें नहीं ी गयी। जब इसका प्रश्न मैंने पूछा, तो माननीय मुख्य मन्त्री ने उनके लिए प्रबन्ध किया था और सब कुछ किया गया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन भविष्य में हमारे शासन के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अधिक सोचना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी तरफ से तथा हमारे दल की तरफ से उनके परिवार वालों को यह श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने और कांग्रेस (आई०) की तरफ से अरुण कुमार जी तथा नेगी जी ने जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निधन पर शोकोद्गार प्रकट किए हैं, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आचार्य जी एक ओजस्वी व्यक्ति, मूर्धन्य साहित्यकार और कुशल प्रशासक थे। किसी व्यक्ति में इतने गुण सम्भवतः मिलना कठिन है और जितने साहित्यकार हैं उनके लिए वह प्रेरणा के स्रोत हैं और आज जो हिन्दी जगत में साहित्यकार आचार्य जी के रूप में हमें देखने को मिलता है, वह अब हमारे बीच में नहीं रहे और हिन्दी जगत को जितनी क्षति उनके निधन से हुई है, उसकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। आचार्य जी बलिया जिले के थे। यह सौभाग्य था कि आचार्य जी के दादा एक ज्योतिषी थे और उनकी माँ भी एक प्रख्यात पंडित परिवार की थी और मान्यवर, उत्तराधिकार में उनको धरोहर के रूप में साहित्यिक विद्वता मिली थी। उन्होंने मिडिल स्कूल पास करने के बाद हिन्दू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की डिग्री लिया और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में जाकर शान्ति निकेतन में 20 साल तक अध्ययन किया। फिर काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष बने। उसके बाद मान्यवर, उनके निर्देशन में व्याकरण का एक शोध कार्य हुआ। अब तक दुर्भाग्य है कि जो शोध कार्य पूरा हो चुका है वह प्रकाशित नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति यह होगी कि यह शोध कार्य जो प्रकाशित नहीं हुआ है उसको प्रकाशित करायें। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं रहे। उनके न रहने से हिन्दी जगत में जो रिक्तता पैदा हुई है उसको पूरा करना मुश्किल है। अपने जीवन में चाहे जिस क्षेत्र से सम्बन्ध रहा हो, चाहे अध्यापन क्षेत्र से रहा हो, चाहे साहित्यक क्षेत्र से, उन्होंने अपनी प्रतिभा को सारे देश के सामने मुखरित होते हुए दिखाया है। हिन्दी संस्थान उनकी प्रतिभा का प्रतीक है। मैं अपने को तथा अपने दल को माननीय सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो कहा है उससे सम्बद्ध करता हूं। उनके शोक सन्तप्त परिवार तक श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री, श्री अरुण कुमार, श्री नेगी, श्री देव बहादुर सिंह और श्री राम आसरे वर्मा ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं सदन और अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री द्विवेदी हिन्दी साहित्य के एक बहुत बड़े योद्धा थे। पूर्वान्चल में जन्म लेकर उन्होंने हिन्दी की तथा देश की जो सेवा की वह सदैव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

स्मरण की जायगी। उनका, उनके परिवार का, पत्नी का सम्बन्ध ऐसे परिवारों से रहा जो महान विद्वान और साहित्यिक थे। माननीय द्विवेदी जी स्वयं एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी सेवाएं हमेशा हिन्दी जगत में स्मरण रहेंगी। हम सदन और सभी नेताओं की समवेदना उनके परिवार तक पहुंचायेंगे।

आपसे प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनके शोक सन्तप्त परिवार तथा उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियमावली के नियम 110(3) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, नियमावली के नियम 3 (ल) नियम 6 उप नियम (ख), नियम (7) और संविधान के आर्टिकिल 191 (1) सब क्लाज (क), आर्टिकिल 192, आर्टिकल 193, आर्टिकिल 195 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में नियमावली के नियम 110 (3) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिख कर भेजा था ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियमावली में नियम 110 (3) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

व्यवस्था के प्रश्न पर जिन लोगों ने लिख कर भेजा है, पहले आप उनको मौका दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियम 110 के अन्तर्गत मेरा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको लिखकर आप भेज दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियम 110 (3) सब क्लाज (3) को आप पढ़ तो लें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसके बारे में लिखित नोटिस मेरे कार्यालय में भेज दें। इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(शोर)

कई सदस्य—

आप सुन तो लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं लिख कर दे चुका हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियम 110 (3) पहले आप पढ़ तो लें, मान्यवर। यह ऐसे सवाल हैं जो लिखकर नहीं दिय जाते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो नियम 110 (3) है, इसमें अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव की बात है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी हां, मान्यवर। पहले आर्टिकिल 195 देखें। इसमें दिया हुआ है कि सदस्यों को क्या-क्या सेलरी मिलेगी, क्या क्या एमालूमेंट मिलेंगे। आर्टिकिल 191 (1) (क) में दिया हुआ है कि अगर इसके अलावा कुछ लेते हैं तो वे सदन की सदस्यता के लिए अनर्ह होगा। मेरा निवेदन है मान्यवर, माननीय श्री राम नरेश यादव जी के मंत्रि मंडल में जो राज्य मंत्री थे और अब नहीं हैं, वे 195 के तहत मिलने वाली सुविधाओं के अलावा सुविधायें ले रहे हैं। इसलिये वह रिमूव हो गये, इसलिये अब सदन के सदस्य नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पहले आप श्री राज्यपाल को लिखें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इसीलिये मैं कह रहा हूं। आर्टिकिल 192 देखें। श्री राज्यपाल को तब जायेगा जब आप यहां फैसला दे देंगे। यह अभी डिस्प्यूटेड है, तय नहीं है, इसलिये इसे राज्यपाल को नहीं जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दी गई नियम 301 की सूचना के उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं नियम 301 के सिलसिले में। 17 तारीख को नियम 301 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वाले जो धरना दे रहे हैं विधान सभा के सामने इसके बारे में मैंने पढ़ा था।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नियम 301 के बारे में जो सूचना आती है उसके उत्तर से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

उत्तर जब आयेगा तब तो पता नहीं उसमें क्या होगा। अभी तो अन्तरिम उत्तर आया है। इसी के आधार पर पता चल जाता है कि उत्तर क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से इसको उठाने की इजाजत नहीं देता। आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उसका दूसरा तरीका है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको आप लिखकर दें कि आप संतुष्ट नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब अंतरिम उत्तर का यह हाल है तो उत्तर के बाद न जाने क्या हालत होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता। आप बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो मुझे लिखकर मिला है उसमें लिखा है कि आख्या जिलाधीश से मांगी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

लाल बहादुर इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राजस्थान स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा दिल्ली में दिये गये वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, दिनांक 20 मई, 79 को मुख्य मंत्री जी ने नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन का शिलान्यास करते हुये यह कहा, सदन के बाहर, कि मंसूरी में जो लाल बहादुर इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको केन्द्रीय सरकार साजिश कर रही है उत्तर प्रदेश के बाहर ले जाने का। वह राजस्थान में ले जाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

शतरुद्र प्रकाश जी, आप यह जो प्रश्न उठाने की इजाजत मांग रहे है यह किस नियम के अन्तर्गत मांग रहे हैं ? हवाला दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नियम 300 में, मेरी बात सुन लीजिये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, उन्होंने जो सूचना उठायी है वह किसी भी नियम के तहत नहीं है, विशेषाधिकार में उठ सकती थी। जिस बात का यह हवाला दे रहे हैं वह तो नीतिगत नहीं है, वह एक घटना की बात है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न आपके संज्ञान में लाया जाता है। प्रश्न अत्यन्त महत्व का होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको औचित्य का प्रश्न नहीं मानता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप क्या फैसला करेंगे, यह आपके ऊपर है। लेकिन आबकारी मंत्री ने जो कहा, तो शायद नियमों की जानकारी उनको नहीं है, कि यह प्रश्न विशेषाधिकार भंग का है। यह प्रश्न तो लोक महत्व का प्रश्न है। मंसूरी का इंस्टीटयूट अगर बाहर ले जाया जाय तो सदन का चिंतित होना स्वाभाविक है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आप 301 में ले आते तो मैंने मान लिया होता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियमावली के नियम 110 (3) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, संविधान के मुताबिक उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। उस पर आप कुछ नहीं कह सकते।

श्री सोहन वीर सिह तोमर द्वारा दी गई एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पर की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री सोहन वीर सिह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, जो आपने तिवारी जी के प्रश्न पर व्यवस्था दी उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा निवेदन है कि नियमों के अन्दर कोई चीज उठाते हैं तो वह भी टल जाती है। मैंने 15 दिन पहले विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी और लिखकर दिया कि भूतपूर्व स्टेट मिनिस्टिर्स को जो सरकार ने 20 हजार रुपये की उपलब्धियां दी हैं। आपने उसका नोटिस भी मुख्य मंत्री को दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके ऊपर हमने कार्यवाही की है। वह जानकारी के लिये मुख्य मंत्री को भेज दिया है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, इसके लिये उन्हें कितने दिन का टाइम देगें ?

श्री सोहन वीर सिह तोमर--

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको पूर्ण अधिकार विशेषाधिकार के संबंध में निर्णय करने का है। लेकिन एक अधिकार हमको है कि जो प्रश्न नियमों के अनुसार उपस्थित करें, उसको सुन लेना चाहिये। मैंने 15 दिन पहले लिखकर दिया था। मैंने इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज दिये थे। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का उत्तर आने के पूर्व मुझे सुन लें और जो व्यवस्था चाहे, दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आज मैं फिर कहूंगा कि जो सूचना भेजा है उसकी जानकारी दे दें।

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

श्री तोमर जिस प्रश्न को उठाना चाहते हैं उसको नियम के तहत उनको उठाना चाहिये। जो भूतपूर्व मंत्रियों को सुविधायें दी जा रही हैं। इसके सम्बन्ध में कई बार माननीय सदस्यों की बातें सदन में सुन ली गयी है। प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति और फिर एम0 एल0 ए0 को बिना आवास व्यवस्था हुये सड़क पर फेंक दिया जाय। इसलिये इसको उठाने के नियम हैं, उनके तहत यह प्रश्न उठायें।

श्री उपाध्यक्ष--

आबकारी मंत्री जी, मुख्य मंत्री से पूछा गया है इसलिये उसका जवाब आ जाने दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियमावली के नियम 110 (3) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, नियम 110 (3) के अन्तर्गत एक प्रश्न की मैंने अनुमति चाही थी लेकिन उसे आपने अस्वीकार कर दिया। इसलिये कहने की आज्ञा दें जिससे मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आ जायं और वहाँ समझा दें।

दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों की हुई बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी की मांग

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एजेन्डा की मद सं0 5—मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों। तो यह सदन की परम्परा रही है कि यदि कोई घटना या नीति संबंधी निश्चय किये जायं तो मंत्री जी उनसे सदन को सूचित करेंगे। मान्यवर, आज आपने अखबारों और रेडियो में सुना होगा कि कल मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई और उसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। एक तो राजस्व बंटवारे के संबंध मे और दूसरा पंचायती राज के संबंध में है। यह महत्वपूर्ण विषय है। मुझे उम्मीद थी कि मुख्य मंत्री जी इन निर्णयों से सदन को अवगत करायेंगे क्योंकि सदन उसमें गम्भीर दिलचस्पी रखता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मान्यवर, क्या आप मुख्य मंत्री तक हमारी इस भावना को पहुंचाने की कृपा करेंगे कि जो वहाँ निर्णय हों, उनके बारे में सदन को सूचित करें?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, भावना आपकी पहुंच जायेगी।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन का शोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा न रखे जाने पर आपत्ति

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब यहाँ डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उस समय मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सदन की परम्परा है कि उस समय बोलना परम्परा के विरुद्ध है। इसके पूर्व की आज्ञा का पालन किया और श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त और डाक्टर राकेश चतुर्वेदी के प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दिया कि निधन के निर्देश माननीय नेता सदन द्वारा रखने की परम्परा है लेकिन डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में प्रस्ताव आबकारी मंत्री जी ने रखा है। नेता सदन जरूरी नहीं कि मुख्य मंत्री हों, नेता सदन मुख्य मंत्री तो नहीं लेकिन सदन का नेता हो सकता है। इसलिये जब सदन का नेता उपस्थित न हो तो उस नेता को शोक प्रस्ताव रखना चाहिये किन्तु यहाँ संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं बल्कि आबकारी और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है। इसलिये निवेदन है कि इस तरह के प्रस्ताव को जब रखने की परम्परा है कि नेता सदन के जरिये रखा जायेगा तो किसी अन्य मंत्री को वह प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसके लिये भविष्य के लिये विचार कर लेंगे। रखना तो उन्हीं को चाहिये। लेकिन यह विषय आज ही होना था, इसलिये दूसरे मंत्री जी थे, उन्होंने रख दिया। वैसे इसमें कोई नियम के विरुद्ध बात नहीं हुयी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बात रखी है, कोई मुख्य मंत्री का प्रश्न नहीं है। आपने अपनी पीठ से घोषणा की कि नेता सदन के द्वारा। अगर नेता सदन नहीं है, तो उप नेता सदन दे दें। संयोग की बात है कि उप नेता सदन कौंसिल हाउस में मौजूद थे। तो वह रख सकते थे। इतनी महत्वपूर्ण चीज रखी जा रही है, इतने मूर्धन्य साहित्यकार के बारे में रखी जा रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाय। तो आगे की परम्परा के लिये निर्देश दें कि इस तरह काम नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशुधन मंत्री श्री अब्दुल हलीम खां पर प्रश्नोत्तर काल में लगाए गए कथित आरोपों पर उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिये जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। श्री अब्दुल हलीम खां पर जो आक्षेप लगाये हैं उसमें उनके द्वारा स्पष्टीकरण .....।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी किसी भी समय स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, प्रश्नोत्तरकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। इसमें आरोप का सवाल नहीं है। आखिर किस नियम के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे। अगर 315 में देते हैं, तो स्पष्टीकरण माँगा जाना चाहिये। अन्यथा प्रश्नोत्तर काल के उत्तर के संबंध में कोई आक्षेप नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिये किसी समय मंत्री वक्तव्य दे सकता है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

वह तो शिरोधार्य है। लेकिन यहाँ पर हम आजकल कई चीज देख रहे हैं कि जब कोई मंत्री की बात आती है तो धड़ से मंत्री जी खड़े हो जाते हैं अपनी सफाई देने के लिये। सवाल है कि आप क्यों अपने बारे में बोलते हैं और कोई मंत्री आपके बारे में बोल सकता है। जरा सी कोई बात हुयी तो छुई-मुई की तरह लगे अपनी ईमानदारी के बारे में सफाई देने। अगर कोई चीज हुयी तो मुलायम सिंह जी बैठे हुये हैं—वह कहते। मुख्य मंत्री जी बोल देते। राम नरेश यादव जी कह सकते हैं। अगर किसी मिनिस्टर के बारे में कोई वैसी बात हो, तो खुद उसके द्वारा अपने मुंह से अपनी अच्छाई की बात गायी जाय, तो अच्छा नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो उसकी इजाजत देता हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह सही है कि अगर किसी पर कोई आक्षेप हो तो उसको अपना वक्तव्य देने का अवसर मिलना चाहिये। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। वह तो केवल सवाल पूछा गया है कि फलाँ व्यक्ति के बारे में ऐसी शिकायत थी। क्या उसके बारे में इन्क्वायरी हुयी, क्या उसके बारे में कोई रिपोर्ट आयी। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया कोई भ्रष्टाचार का या और कोई किस्म का।

श्री उपाध्यक्ष—

तो माननीय मंत्री जी, आप कृपया बैठ जायं। मैं कार्यवाही देख लूं तो आपको बुला लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, क्या इस तरह का कोई नियम है कि उसको अवसर न मिले? अगर कोई मंत्री है, तो उसको स्पष्टीकरण देने का अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री जी को अवसर दे दें कि वह अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मत्री जी खड़े थे। लेकिन इधर से एतराज आये तो मैं कार्यवाही देख लूं और अगर आरोप हैं तो माननीय मंत्री जी को मौका दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यहाँ केवल तथ्यों के बारे में पूछा गया है। किसी माननीय सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया। लिहाजा अवसर नहीं दिया जाना चाहिये।

डाइरेक्टर जनरल, आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने 8 मई, 1979 को डायरेक्टर जनरल, आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 मई, 1979 को काँग्रेस (आई) दल ने विधान सभा में इस बात पर वाकआउट किया था कि उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी (आई) के दफ्तर में आधी रात को वहाँ हो रही बैठक में घुसकर श्री संजय गाँधी, श्री आरिफ मोहम्मद खां, एम0एल0 ए0 व श्री बलराम सिंह यादव की गिरफ्तारियाँ कीं। मुख्य मंत्री ने भी गिरफ्तारियों के आँकड़े दिये थे किन्तु आल इंडिया रेडियो के बुलेटिन में विधान सभा में हुई इस कार्यवाही का कोई जिक्र नहीं है और केवल 8 गिरफ्तारियों का जिक्र किया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि आल इण्डिया रेडियो के स्थानीय सम्पादक जो समाचार दिल्ली भेजते हैं उसमें डायरेक्टर जनरल व उनके अन्य मातहत कर्मचारी यहाँ से भेजे गये समाचारों को सेंसर कर, काट छांट कर देते हैं।

मैंने इस संबंध में डायरेक्टर जनरल, आल इण्डिया रेडियो, नई दिल्ली से वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी। निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली ने अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि उन्होंने 7 मई और 8 मई, 1979 के न्यूज बुलेटिन संवाद एजेन्सी से प्राप्त समाचारों के आधार पर तैयार किये थे। उन्होंने बताया है कि उन्हें पहले काँग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा किये गये वाकआउट का समाचार मिला जिसे उन्होंने तुरन्त 7 मई, 1979 को 6 बजकर 5 मिनट के हिन्दी बुलेटिन और 6 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में प्रसारित किया। उसके पश्चात उन्हें काँग्रेस (आई) के सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित समाचार प्राप्त हुआ जिसे वे रात के पौने नौ बजे के हिन्दी बुलेटिन में समयाभाव के कारण नहीं ले सके। तथापि अगले दिन अर्थात 8 मई, 1979 को प्रातः 8 बजे के बुलेटिन में उन्होंने स्वाभाविक रूप से गिरफ्तारी संबंधी समाचार ले लिया। उनका कहना है कि उन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने से न तो छोड़ा है और न कोई गलत प्रकाशन किया है। अपने स्पष्टीकरण के साथ निदेशक ने पूल समाचारों तथा प्रसारित बुलेटिनों की प्रतियाँ भी भेजी हैं। जिन्हें देखने से भी उक्त स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

उपर्युक्त स्थिति में इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रुप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री श्यामधर मिश्र, श्री सुन्दरलाल दीक्षित तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक आदि सदस्यगण, विधान सभा ने 8 दिसम्बर, 1978 को फैजाबाद जनपद के जलालपुर थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना ी थी।

माननीय सदस्यगण का कहना है कि 15 सितम्बर, 1978 को माननीय भगवती सिंह को उक्त था में हिरासत में ले लिया गया। रात भर पुलिस हिरासत में ही थाने में रखा गया। किसी भी उनके संबंधी या उनके सम्पर्क के व्यक्ति को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। दूसरे दिन उन्हें छोड़ दिया गया।

माननीय सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना मुझे तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को नहीं ी गयी।

मैंने इस संबंध में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिए कहा था। शासन से जो स्पष्टीकरण इस संबंध में प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जिलाधिकारी, फैजाबाद ने यह सूचना दी है कि माननीय भगवती सिंह की कथित गिरफ्तारी नहीं हुई। शासन ने अपने इस निर्णय की भी कि सही तथ्यों की जानकारी के लिए मामले की छानबीन अपराध अनुसंधान विभाग से करा ली जाय, सूचना दी है। शासन का कहना है कि, चूंकि जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार गिरफ्तारी हुई ही नहीं, अतः माननीय अध्यक्ष को इस संबंध में सूचना देने का प्रश्न नहीं था।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

इस सिलसिले में मुझे एक निवेदन करना है। जो स्पष्टीकरण शासन से प्राप्त हुआ, वह स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भेजा गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य ने इस सदन में शपथ लेकर जो बात कही थी, माननीय सदस्य की बात सही है या थानेदार द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण सही है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं अब निर्णय दे चुका हूं, उसके बाद आप कुछ कहने के हकदार नहीं हैं।

कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र, 'दैनिक जागरण' के सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन गुप्त और विशेष सम्वाददाता तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य श्री के० के० ए० रुस्तम जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के सम्पादक नरेन्द्र मोहन गुप्त और विशेष संवाददाता तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य श्री के0 के0 ए0 रुस्तम जी के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त पत्र में श्री रुस्तम की कथित रिपोर्ट के आधार पर सत्तारूढ़ दल के समस्त विधायकों के संबंध में आक्षपात्मक समाचार प्रकाशित किया गया है।

सदन के किसी भाग पर आक्षेप करना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अवमान नहीं माना जाता। वैसे भी समाचार स्वस्थ आलोचना के रूप में है। अतः मैं इस प्रश्न को सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

[श्री उपाध्यक्ष--]

मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचना माननीय सदस्यगण बहुत अच्छी तरह नियमों का अध्ययन करके, तब दिया करें। मैं समझता हूं कि इस सूचना का दुरुपयोग हो रहा है और उसके लिए विचार करना पड़ेगा कि हम इनको सदन में यहाँ पढ़ें या न पढ़ें। इसके ऊपर माननीय सदस्यगण ध्यान दें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

यह सही है कि विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचना तब दिया करें। मेरा निवेदन है कि कोई न्यायमूर्ति कितना भी काबिल हो, कम से कम वकील को सुने बिना तथ्यों की सही जानकारी नहीं हो सकती। यदि आप सदस्यों को थोड़ा सुन लिया करें, जैसे मैंने अभी दिया, यदि आप दो मिनट का समय देते तो मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर देता।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो प्राग्दर्शन के आधार पर ही मुझको निर्णय लेना पड़ता है। आप जो सामग्री भेजते हैं उसी के आधार पर मैं यह निर्णय लेता हूं कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करूं या न करूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी जो आपने आब्जरवेशन दिये है, वे बड़े दुर्भावनापूर्ण हैं। यह कहना कि माननीय सदस्यगण पढ़कर नहीं आते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नियमावली में अलग-अलग प्राविधान हैं। नियम 51 है, नियम 52 है, 56 है, विशेषाधिकार के मामले हैं, अवमान के मामले हैं। यह तमाम नियम इसलिए हैं ताकि माननीय सदस्य किसी न किसी रूप में जनकल्याण की भावनाओं को वेन्टिलेट कर सकें। यदि आप देखें तो बहुत से मामले विशेषाधिकार के नहीं बनते, नियम 51 में नहीं बनते, लेकिन यह पब्लिक ग्रीवान्सेज को वेन्टिलेट करने का एक फोरम है ताकि हम पब्लिक की भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर सकें। जहाँ मिसयूज होता है, वह तो दूसरी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले है जो जनहित के हैं। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हम सदन का समय नष्ट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि आप यह चीजें नियम 301 या 51 में दे सकते हैं। इसमें बहुत कम होना चाहिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मेरी भी एक भावना है, मान्यवर। मान लिया जब कभी हम लोग विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं, जैसे तोमर जी ने कहा कि 15 दिन तक मंत्री जी का जवाब नहीं आता। आपको अधिकार है उसका कोई समय निश्चित करने का या नहीं? जिस तरह आपको एहसास है कि माननीय सदस्यगण इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं इसी प्रकार हमें भी शंका है। हम आशा करते हैं कि जब सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का सवाल उठेगा तो आपका संरक्षण हमें मिलना चाहिए लेकिन ऐसा एहसास है कि मंत्रियों को अननेसेसरी लैटीट्यूट मिलता है। उस समय हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप हम सदस्यों को कहते हैं तो जरा मंत्रियों के आचरण पर भी प्रतिबंध लगायें कि वे सवालों के जवाब ढंग से दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदैव कहा जाता है। अभी दो-तीन दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं खेद व्यक्त किया था उसके लिए। यह सही है कि जो सूचनायें आयें, शासन को उनकी ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर के चाहे सदन में वक्तव्य के रूप में हो, चाहे उत्तर देने के रूप में हो, उसमें शीघ्रता करनी चाहिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में आपने जो निर्णय दिया है, वह शिरोधार्य है,

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है। मैंने एक बात कही जो हमें महसूस हुई नियमों के अन्तर्गत। मैंने एक निवेदन किया लेकिन निर्णय नहीं दिया। आप उसे निर्देश के रूप में न लें।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

आपने जो राय दी उस राय से हम काफी हद तक सहमत हैं। उस संबंध में मेरा एक निवेदन है। मान्यवर, जिस आसन पर आप बैठे हैं वह आसन एक बहुत बड़े न्यायाधीश की तरह है। हर पक्ष अपनी बात करते हैं और उन बातों को सुनने के बाद आप निर्णय देते हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब नहीं बनता है तो पीठासीन अधिकारी के दिमाग में यह बात आती है कि बन सकता है। सरकार जानबूझ कर के ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रही है जिससे विरोधी पक्ष के लोग किसी भी रूप में प्रत्याड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों की भी रक्षा पीठासीन अधिकारी ने की है। आपने जो कुछ भी राय दी है, मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रूप में भी देखें कि विरोधीपक्ष जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की कोशिश करता है, क्या वह बन भी सकता है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब कभी हम ऐसी बातें करते हैं तो आपका पक्ष सरकार की तरफ ज्यादा रहता है।

मंत्री लोग जवाब ठीक नहीं देते हैं, गलत जबाव देते हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है तो हम लोगों को बिना सुने हुये ही निर्णय दिया जाता है। वह निर्णय हम लोगों को, विरोधी पक्ष के लोगों को, शिरोधार्य है लेकिन भविष्य के लिए हम आपसे आशा करते हैं कि सरकार को भी जब-जब भी मौका आये, थोड़ा सा प्रताड़ित करें जिससे वह सीमा के अन्दर रहें। उस सीमा तक न जायं कि विशेषाधिकार का प्रश्न हम लोग उठायें। हम लोगों को मजबूरन उठाना पड़ता है। खुद ही नहीं उठाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय पाण्डेय जी कई बार इस सदन में कह चुके हैं और आज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम विरोधी पक्ष के लोगों की ओर आप का रुख ज्यादा होना चाहिए .....

श्री उपाध्यक्ष---

आपको खुशी होनी चाहिए.....

श्री राम आसरे वर्मा---

दरअसल विरोधी पक्ष में हैं तो मैं खुशी का इजहार करता हूं....

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—
अभी त्रिशंकु की स्थिति में हैं.....

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—
जनता पार्टी में भी हैं और विरोध पक्ष में भी हैं। इसलिए शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
मान्यवर, एक नई बात सामने आई है । शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि जनता पार्टी में भी विरोधी पक्ष है और विरोध पक्ष के रुप में भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पक्ष को आप मान्यता देते हैं या नहीं ।

1979—80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या 89—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,76,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,32,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 87,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैंने गत वर्ष जब पहली मई को सहकारिता से संबंधित बजट अनुदानों को पेश किया था तो सदन के सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये थे। उस समय सदन में यह भी मांग आई थी कि गुजरात पैटर्न पर उत्तर प्रदेश का सहकारिता आन्दोलन चलाया जाय और सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिये सहकारिता से सम्बन्धित जो ऐक्ट तथा नियमावली हैं उस पर पुनर्विचार किया जाय और उस समय मैंने आश्वासन दिया था कि नये चुनाव हो जाने के बाद प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में जो चुन कर आयेंगे उनका एक सहकारी सम्मेलन बुलाऊंगा। उस समय इस पर विचार किया जायगा और पिछले बजट के अवसर पर जो मैंने यह आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा करने के लिये भरसक प्रयास किया गया। उसी के तहत 4, 5 मई को सारे सहकारी बन्धुओं का एक सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया और दो दिन तक उसमें बहस चली तथा बहुत से सुझाव सहकारिता को मजबूत करने के लिये आये, उसको जनतंत्रीय स्वरुप देने के लिये आये। उन सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं और कुछ सुझावों की मैं आज ही घोषणा कर दूंगा। सहकारिता का महत्व इसी से दिखाई देता है कि राज्य के विभिन्न विभागों में जब प्रदेश के विकास के लिये 8—10 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया है अकेले सहकारिता विभाग अपनी समितियों के माध्यम से 1 हजार करोड़ रुपया कृषि विकास के लिये बांटेगा।

हमने पिछले बजट में सत्यापन की घोषणा की थी। कल उसकी समीक्षा हो चुकी है। सत्यापन कराने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की छवि धूमिल हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि सारे ऋण फर्जी हैं इसी बात को ध्यान में रख कर सारे प्रदेश में सत्यापन कराया जाय। उसका नतीजा सामने आया। इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। लोगों पर अनावश्यक रूप से उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही थी और कोई उनकी सुनने वाला नहीं था और उनके द्वारा कर्जा न लेने पर भी उनसे रुपया वसूला जा रहा था उसके लिये 16 तारीख को आदेश दे दिये गये हैं और यह निर्णय लिया गया कि लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपये को बट्टे खाते में डालना होगा और जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया है उनसे वसूल नहीं किया जायगा और यह भी आदेश दिया जा चुका है कि जो इस फर्जी कर्ज के जिम्मेदार पाये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इस तरह से पूरे प्रदेश में 4 लाख 75 हजार सदस्यों पर 34 करोड़ रुपये कर्ज काबिल वसूल पाया गया, 36 हजार सदस्यों पर लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपया मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने योग्य पाया गया और उसी के अन्तर्गत 4 करोड़ 90 लाख रुपया को बट्टे खाते में डालना पड़ रहा है। इस प्रकार अब यह सत्यापन के नतीजे आये हैं इससे पुनः सहकारी आन्दोलन में एक विश्वास पैदा होगा और वर्षों से जो कूड़ा सहकारी आन्दोलन में चला आ रहा था वह साफ हुआ। वर्ष 1977–78 में सभी प्रकार के सहकारी ऋण 200 करोड़ के बांटे गये थे जब कि 1978–79 में 390 करोड़ वितरित हो जाने की पूरी आशा है तथा अगले वर्ष 395 करोड़ रुपये के सहकारी ऋण वितरित किये जायेंगे। सहकारी बैंकों तथा समितियों के पास इतना धन है कि लेने वालों की कमी हो सकती है। लेकिन समितियों के पास पैसे की कमी नहीं है।

मान्यवर, रिजर्व बैंक ने वर्ष 1981–82 तक के लिये अल्पकालीन ऋण की 415 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। पिछले वर्ष 137 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे जब कि 1978–79 में 275 करोड़ बांटने की आशा है। अगले वर्ष 295 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतरिक्त दुधारू पशुओं आदि के लिये 12 करोड़ रुपये बांटे गये थे 1977–78 में, 1978–79 में 15 करोड़ का लक्ष्य था, अब 1979–80 में 20 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घकालीन ऋण 1978–79 में 58 करोड़ रुपये बांटा गया था और इस वर्ष 70 करोड़ बांटने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, इसके अलावा कृषक सहकारी सेवा समितियों के निर्माण पर पूरा बल दिया जा रहा है। 406 ऐसी समितियां बन चुकी हैं और इस वर्ष 1979–80 में 980 कृषक समितियों का गठन किया जायेगा। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में 7 करोड़ 60 लाख की अल्पकालीन ऋण की किस्तें कर दी गईं। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

मान्यवर, इसके अलावा प्रदेश के निर्बल वर्ग के लिये विशेष सुविधाओं का प्राविधान किया गया है। 1977 में जब मुझे यह विभाग मिला था तो उस समय सदस्यों को 14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा था उसके बाद से यह प्रतिशत घटाकर 13 रुपया सैकड़ा और उसके पश्चात 12 रुपया सैकड़ा ब्याज की दर की गई। 12 प्रतिशत के बजाय अब 11 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से अब ऋण दिया जा रहा है। यह जो अल्पकालीन और मध्यकालीन राहत जो दी गई है उसमें 1 रुपया ब्याज की दर में निर्बल वर्ग के लिए कम किया गया। भूमि विकास बैंक से सिंचाई कार्यों के लिये जो साढ़े 10 प्रतिशत पर ऋण मिलता था वह साढ़े 9 रुपया सैकड़ा कर दिया गया है और अन्य पर 11 रुपये सैकड़े से साढ़े 10 रुपया सैकड़ा किया गया किन्तु जो समय पर इस ऋण को चुका देगा

[श्री मुलायम सिंह]

उसे 8 आने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा इन ऋणों में जो छूट दी जा रही है उससे 84 प्रतिशत सदस्य लाभान्वित होंगे। इस प्रकार 1 प्रतिशत की छूट सभी किसानों को और डेढ़ प्रतिशत की छूट निर्बल वर्ग के लोगों को मिल सकेगी। इस छूट से आशा है कि वर्ष में 2 करोड़ रुपये की छूट किसानों को मिलेगी।

इसी तरह से मान्यवर, बकाये के सम्बन्ध में मैं कहना चहता हूं कि 4 लाख 75 हजार सदस्यों पर 34 करोड़ रुपये की वसूली योग्य पायी गई है। इस प्रकार 36 हजार सदस्यों पर 4 करोड़ 75 लाख की धनराशि मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित की जा रही है तथा 85 हजार सदस्यों पर 4 करोड़ 90 ला रुपये को राइट आफ किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसके लिए जिम्मेदारी ठहराई गई है जो इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध की कार्यवाही जायेगी।

मान्यवर, ग्रामीण गोदामों का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे प्रदेश में लगभग 22 हजार समितियां थीं, उनका पुनर्गठन करके 8201 कर दिया गया है। इन पर अगले तीन साल में हर समिति में कार्यालय की व्यवस्था कर दी जायेगी। इस समय ए0 सी0 डी0 सी0 के माध्यम से जो गोदामों का निर्माण किया गया है उनमें 2556 गोदामों का कार्य पूरा हो गया है और 821 निर्माणाधीन हैं जिनका कार्य जारी है। इस साल विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से गोदामों की योजना का कार्य स्वीकार किया गया है जिसमें 4600 गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह 4600 गोदाम अगले तीन वर्षों में पूरे किये जायेंगे। वर्ष 1978-79 में 1063 गोदाम स्वीकृत किये गये जिन पर निर्माण की कार्यवाही की गई है और वर्ष 1979-80 में 1850 गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, सहकारी उपभोक्ता संघ ने गत वर्ष 1977-78 में 9 करोड़ 13 लाख रु0 का व्यवसाय किया जबकि वर्ष 1978-79 में करीब 145 करोड़ रुपये का व्यवसाय करेगा। प्रदेश में 54 केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों में से 43 भंडार लाभ पर रहे हैं। गत वर्ष 14 करोड़ का व्यवसाय किया गया जब कि 1978-79 में 20 करोड़ रु0 का व्यवसाय अनुमानित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 137 लीड समितियां और उनसे सम्बद्ध 2267 समितियां हैं। वर्ष 1977-78 में इनके द्वारा 13 करोड़ रु0 की उपभोक्ता वस्तुयें वितरित की गई जबकि 1978-79 में 20 करोड़ रु0 की बिक्री की आशा है।

1 जुलाई, 1979 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग 10 हजार सहकारी बिक्री केन्द्र कार्य करेंगे और अगले वर्ष उपभोक्ता संघ 40 करोड़ रु0 तथा सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों द्वारा 100 करोड़ रु0 के व्यवसाय का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए 140 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई है क्योंकि मान्यवर, इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो किसान और गरीब लोग हैं उनको उचित दाम पर सही सामान नहीं मिल पाता है इसकी पूर्ति इन भंडारों से की जायेगी। उपभोक्ता भंडारों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत बड़ी कार्यवाही की गई है क्योंकि जैसा पिछली बार सदन में हमारे कई सदस्यों ने कहा था कि इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है और कोआपरेटिव विभाग में जो जाता है वह पैसा खा जाता है। इस मामले में भी मजबूत कदम उठाये गये हैं। पिछले दो साल के अन्दर 217.50 लाख

से अधिक धनराशि वाले मामलों में विवेचना पूरी की गई और उनको अदालतों में दिया गया जबकि उसके पहले तीन सालों में केवल 80 केसेज में जांच की गई थी। इस प्रकार आप देखेंगे कि कई गुना अधिक कार्यवाही की गई है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले हैं जो अदालतों में पड़े हुए हैं, उन पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। कहा जाता है कि अगर ऐसे लोगों पर कार्यवाही चली तो उनके विरुद्ध सबूत नहीं मिल पायेंगे। इसी बात को ध्यान में रख कर शासन ने यह निर्णय लिया है कि सहकारिता क्षेत्र के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाय और 2 मई, 1979 को एक अधिसूचना जारी कर बरेली, कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, फैजाबाद तथा लखनऊ में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। इस तरह से सहकारिता के पुराने तमाम मामले जो प्रदेश में पड़े हुए थे उन्हें निपटाया जा सकेगा और दोषी लोगों को दंडित किया जा सकेगा जिससे सामान्य जनता में विश्वास पैदा होगा और जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनमें भय पैदा होगा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। शुरू से अब तक 5700 अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनमें से 4844 में कार्यवाही पूर्ण की गई है और 2600 अभियुक्त बन्दी बनाए गये हैं और कुल 1500 अभियुक्तों ने आत्म समर्पण कर दिया है। इसमें 10 करोड़ 75 लाख रुपये का कुल घोटाला था, जिसमें से इस शासन ने 2 करोड़ 70 लाख रुपया जमा कराया है, जबकि पिछले कई वर्षों में कवल 6 लाख रुपया जमा कराया जा सका था। इस प्रकार से 26 गुना से ज्यादा ही इस डेढ़ साल में जमा कराया गया है।

सहकारी आन्दोलन को स्वच्छ और मजबूत तथा जनप्रिय बनान के लिए 110 सहकारी सुपरवाइजरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और 166 को निलम्बित किया गया है। इधर सचिवों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं, जिससे सहकारी आन्दोलन को बहुत मजबूती मिलेगी। यह देखा गया कि भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए एकाउन्टेन्ट सबसे ज्यादा दोषी हैं, अतः उनकी परम्परा को खत्म करके सचिवों की नियुक्ति की गई है और न्याय पंचायतों की समिति पर एक सचिव की नियुक्ति की गई है। ये लोग जो गाँवों में रहते थे, यह वहीं के स्थानीय निवासी थे, इसलिए वह भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामलों को दबाये रहते थे। इसलिए अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इस ट्रांसफर कार्य में जो एक ही स्थान पर अपनी सर्विस के शुरूआत से जमे हुए थे उनके द्वारा बड़ी कठिनाइयाँ पेश आईं, लेकिन हम अपने विधायकों के आभारी हैं कि उन्होंने इस काम में हमारा पूरा सहयोग दिया, जिससे सभी सचिवों के ट्रांसफर बहुत ही सफलतापूर्वक किये जा सके। उनके ट्रांसफर अपने जिले के दूसरी तहसीलों में कर दिये गये हैं। इससे अनक लाभ हुए हैं। बहुत से सचिवों ने, जिन्होंने सहकारी धन अपनी जेबों में रख छोड़ा था, उसे जमा कर दिया है और अब तक सही तौर पर जो जाँच नहीं हो पा रही थी, उसमें भी बहुत सहायता मिली है।

इसी प्रकार से सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से किसानों के लिए बीज व उर्वरक वितरण के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति इधर के वर्षों में हुई है। वर्ष 1977–78 में 72 करोड़ रुपये की खाद किसानों द्वारा ली गई, 1978–79 में 105 करोड़ की और वर्ष 1979–80 के लिए 140 करोड़ रुपये की खाद बाँटने का हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार से सहकारी बीज भंडारों के माध्यम से, जहाँ सन 1976–77 में 57 हजार क्विन्टल कुल बीज बाँटा गया था, वहीं वर्ष 1978–79 में लगभग 2 लाख 97 हजार कुन्टल बीज बाँटा गया है।

[श्री मुलायम सिंह]

इसी प्रकार से, मान्यवर, सहकारी क्षेत्र में 50 नये शीतगृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि हमने देखा है कि इधर किसानों के आलू की उपज काफी बढ़ी है, किन्तु उसके रख रखाव की सुविधा न होने के कारण उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। इसका कारण यही था कि उनके पास आलू को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं था। आशा है इनके निर्माण से उन्हें अपनी उपज रखने में सहायता मिलेगी, जिससे उनको उसका उचित मूल्य मिल सकेगा। एक बात और है सहकारी आधार पर अब तक जो कोल्ड स्टोरेज बनते थे, वे 2 हजार मीट्रिक टन के होते थे, किन्तु अब वे 4 हजार मीट्रिक टन के बनेंगे। इस प्रकार अब यह दुगुनी क्षमता के बनेंगे।

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उससे संबंधित लोग, उसके सदस्य और उसको चलाने वाले लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हों। अब तक इन लोगों को कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, इसी से यह आन्दोलन उचित दिशा में प्रगति नहीं कर पाया। इस चीज का भी इन दो वर्षों में ध्यान रखा गया है और इस साल 4 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, इसी प्रकार से 9 लाख और लोगों को ट्रेनिंग दिये जाने की योजना है, इसके लिए नये ट्रेनिंग सेन्टर्स भी खोले जा रहे हैं। सहकारी सम्मेलन जो 4–5 मई को लखनऊ में हुआ था, उसका उद्घाटन चौधरी चरण सिंह ने किया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम सहकारी बन्धु आए थे और उन्होंने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ महसूस की थीं, उन्हें भी शासन के सामने रखा था। उसके आधार पर मैं कुछ घोषणाएं सदन में करना चाहता हूं। मान्यवर, पहली उनकी यह माँग थी कि सहकारी आन्दोलन को सही दिशा देने के लिए, प्रजातन्त्रीय स्वरूप देने के लिए, एक उत्तर प्रदेश सहकारी परिषद् का गठन किया जाय। आज घोषणा की जाती है, कि आदेश जारी कर दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश सहकारी परिषद् का गठन कर दिया जाय। उसकी रूपरेखा इस प्रकार होगी। सहकारिता में पाँच शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, उनके सभी अध्यक्ष होंगे। उनके अतिरिक्त विधान सभा के तीन विधायक होंगे और विधान परिषद् का एक सदस्य होगा, सभी जिला बैंकों के अध्यक्षों में एक अध्यक्ष होगा, प्राथमिक स्तर की समिति का भी एक अध्यक्ष होगा, एक हरिजन होगा, एक महिला होगी, एक पिछड़ वर्ग का होगा, ऐसे लोग होंगे जो सहकारिता में विशेष रुचि रखने वाले होंगे उस सहकारी परिषद् का अध्यक्ष सहकारिता मंत्री, सदस्य निबंधक, और सहकारिता विभाग के विशेष सचिव होंगे। इस प्रकार 19 सदस्य होंगे। गुजरात पैटर्न पर इस सहकारी परिषद् का गठन किया गया है। सहकारी आन्दोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, जनतन्त्रीय स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया है।

इसी प्रकार से एक माँग यह थी कि ऐक्ट और नियमावली को पुनः देखा जाय। इसके लिए भी निर्णय लिया गया है कि एक समिति का गठन किया जायगा। उसकी घोषणा शीघ्र कर दी जायगी जिससे सहकारी आन्दोलन को मजबूत किया जा सके, उस पर वह विचार करेगी। सहकारिता आन्दोलन को सही दिशा देने के लिए बहुत दिनों से माँग चली आ रही है कि पी0 सी0 यू0 का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए मैं आप को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही गैर सरकारी अध्यक्ष इस पी0 सी0 यू0 का होगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन का अध्यक्ष गैर सरकारी होगा। जैसे सचिवों का स्थानान्तरण किया है यह माँग आयी है कि बैंकों के ब्रांच मैनेजरों की पोस्ट को भी ट्रांसफरेबिल बनाया जाय। इस पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायगा। बैंक के सचिवों के कामन कैडर में "की" अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। सेवा मंडल के कार्यक्षेत्र से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भरती का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह माँग चली आ रही थी कि जो सहकारिता के लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं। इसलिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भरती के एक समिति बना दी

गयी है जिसको सेवा मंडल से अलग कर दिया गया है। ऋण समितियों के सचिवों की पदोन्नति के लिए शीघ्र ही नियम बनाये जा रहे हैं। शीर्ष संस्थाओं के अधिकारियों का कामन कैडर बनाने पर विचार किया जा रहा है।

इस तरह से मुझे उम्मीद है कि सहकारिता आन्दोलन जनतन्त्रीय स्वरूप लेगा। क्योंकि सहकारिता आन्दोलन किसानों व निर्बल व्यक्तियों का है, इसलिए इसका नेतृत्व भी किसानों और गरीबों के हाथ में होगा। इसी उद्देश्य से यह तमाम कदम उठाये जा रहे हैं। इसमें माननीय सदन के तमाम सदस्यों का सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक सहकारी आन्दोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग सदस्य नहीं बनेंगे, जब तक माननीय सदस्य प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं लेंगे तब तक सहकारिता आन्दोलन जनतन्त्रीय स्वरूप नहीं ले सकेगा। इस बहस में आज जो माननीय सदस्यों के सुझाव आएंगे उन पर पूरा अमल करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है वह इस पर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और अनुदानों को पास करेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दीं जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89—सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122—सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री उपाध्यक्ष—

यादव जी, आपका समय 25 मिनट है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गये भाषण को ध्यान से सुना। सहकारिता के विषय में माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ कहा, लेकिन वास्तव में सहकारिता विभाग और सहकारी आन्दोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। हमारी गरीब जनता की बहुत बड़ी आशायें इस पर लगी हुई थीं, परन्तु वे सब धूमिल हो गयी हैं। मान्यवर, आज सहकारी आन्दोलन के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस आन्दोलन से यह आशा की जाती थी कि जो गरीब समाज और शोषित जनता है उसको कुछ राहत की साँस लेने को मिल सकेगी, परन्तु जनता की इन आशाओं पर बिलकुल पानी फिर गया है। पिछले माननीय मंत्री जी ने यह महसूस किया था कि जो हरिजन और दलितों की परेशानियाँ और कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में यह आन्दोलन सक्षम है, लेकिन मान्यवर, यह वास्तविकता से परे है।

देश की आजादी के बाद लोगों ने सहकारिता आन्दोलन पर बहुत भरोसा किया था और यह गरीब जनता के लिए सबसे बड़ा भरोसा था, लेकिन जैसी आशायें की जाती थीं वैसी हुई नहीं। यह आशा थी कि उनकी परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन हुआ क्या मान्यवर, वह मैं बता देना चाहता हूं कि गरीब गरीब ही नहीं बना रहा बल्कि वह बरबादी

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

के कगार पर पहुंच गया। मैं यह बात उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष रख रहा हूं। प्रतिवर्ष अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान जब ऋण के लिए सुपरवाइजर के पास जाता है तो वह उसकी परेशानियों और मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाता है और उससे वह शर्त तय करता है। इस आन्दोलन की वह स्थिति है जिसको माननीय मंत्री जी ने अपने 1974 के कटौती के प्रस्ताव पर दिए गये भाषण में कही थी। उन्होंने कहा था कि जिसके पास 12 बीघे जमीन थी उसके पास ट्रैक्टर हो गया और अपनी खेती बढ़ा ली। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह ऋण की व्यवस्था को ठीक करें जिससे गरीब किसान को जो परेशानी होती है, वह दूर हो सके। लेकिन आज परिस्थिति इसके प्रतिकूल है। वे छोटे कर्मचारी आज अपना पेट भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गरीब किसान को पम्प सैट्स चाहिए तो शुरू शुरू में उसे लेने के लिए कुछ फार्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं जिसमें उसे बैंक के मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और ब्लाक के अधिकारियों और डीलर्स तक को देना पड़ता है। सहकारिता का मुख्य रूप से उद्देश्य यह था कि वह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी बने और जो व्यापारी वर्ग अनुचित लाभ उठाता था, उसको कम करे। आज वह व्यापारी वर्ग इंजिन और कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने में अनुचित लाभ उठाता है और साथ ही साथ में आपके कर्मचारी बिचौलिए बन गये हैं। किसानों को पैसा दिलाने में यद्यपि आपने सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया है, सुपरवाइजर्स जो विभिन्न स्थानों पर 20-20 वर्ष से काम कर रहे थे, उनका स्थानान्तरण किया है लेकिन इससे आप पूरी बुराई को दूर नहीं कर सके। भले ही आपके सुपरवाइजर्स कल आये हों लेकिन वे पुरानी प्रक्रिया से परिचित हैं। किसान भी जानते हैं कि बिना लिए-दिए कोई काम नहीं होने वाला है। नतीजा यह है कि जो धन मिलना चाहिए उसका 3/4 ही गरीब किसानों को मिल पाता है।

जहां तक इंजन का सम्बन्ध है आपने कहा था कि मैंने कीमत कम की है लेकिन चैक सिस्टम ने आज किसानों को बाध्य कर दिया है कि वह उन्हीं गिने चुने दुकानदारों से खरीद सकें जिनको आप प्रमाण-पत्र दे चुके हैं। यद्यपि मैंने सुना था कि आप प्रयास कर रहे हैं कि आप चैक सिस्टम से इन गिने चुने डीलर्स से इंजिन और कृषि यंत्र दिलाने के बजाय यहां के काश्तकारों को खुले रूप से नकद में भुगतान करायेंगे ताकि अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद सकें जिससे कम से कम उसे जो धन देना पड़ता है वह उसे न देना पड़े और वह अधिक से अधिक अपने पैसे का लाभ उठा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपके भी संज्ञान में होगा कि प्रदेश के न जाने कितने हजारों, लाखों गरीब निरक्षर हैं जो कुछ जानते नहीं हैं, उनको आपके विभाग का पूरा शिकार होना पड़ रहा है। उसकी जो छोटी-मोटी जमीन थी जिस पर उसके परिवार की आशायें और उम्मीदें बंधी थी कि कृषि यंत्र लेने के उपरान्त, सहकारिता के आन्दोलन में हिस्सेदार बनने के बाद उसकी झोपड़ी में भी दीपक जल सकेगा लेकिन उसके बजाय आज भी अंधेरा छा रहा है।

हमारे जनपद में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन पर आपके विभाग का लाखों रुपया बकाया पड़ा है, उनमें राजनीतिक लोग भी हैं। वे ऐसे लोग हैं कि आपके विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी भी उनके पास नहीं जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे यहां एक संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह हैं। मैंने पहले भी शाहजहांपुर में मीटिंग में भी रखा था। वहां पर एक सुरजीत नाम के एक सरदार हैं जो व्यापारी हैं, उन पर भी 1 1/2 लाख रुपया बकाया है ..... (व्यवधान) ..... मगर किसी आपके अधिकारी की यह हिम्मत नहीं है कि वह उनसे जाकर बकाया मांग सके। इसके विपरीत जो गरीब हरिजन हैं, जो फटेहाल हैं, जिन्होंने इंजन खरीदने के लिये 3-4 हजार रुपया ले रखा है, उनसे रुपया वसूलने के

लिये उनसे हर तरह की सख्ती की जाती है, उन गरीबों को जेलों में ठूंस दिया जाता है। जो 3–4 हजार का कर्जा वे लेते हैं उसमें भी पूरा रुपया उनको मिलता नहीं है। 3/4 मिल पाता है। उसमें से भी 1/4 इंजन वाला खा जाता है और इंजन भी उसको खराब मिलता है। फिर उससे सूद और पेनाल्टी आदि मिलाकर करीब 25 प्रतिशत और कर्जा चार्ज किया जाता है। आपने बहुत सी रकमें राइट आफ की हैं। मेरा निवेदन है कि गरीब हरिजन आदि जो हैं, जिनकी हालत वास्तव में बहुत खराब है, जो दैवी आपदाओं से ग्रसित हैं, जिनकी फसलें नष्ट हो गयी है, इंजन भी खराब पड़े हैं, उनके कर्जों को आप राइट आफ करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी सही मानी में आप गरीबों का हित कर सकेंगे।

जब भी उस गरीब की जमीन आदि की नीलामी की बात होती है, उसके लिये अखबारों में विज्ञापन निकलते हैं। पेट्रोल इतना महंगा होने पर भी आपके अधिकारी जीपों पर जाते हैं, फिर किसी कारणवश वह नीलाम अगर टल जाता है तो सारा खर्चा भी उस गरीब के सर डाल दिया जाता है। आपकी यह इच्छा थी कि अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों के बजाय इतना उन पर पैसा न खर्च करके, पोस्ट कार्डों का इस्तेमाल इस कार्य के लिये किया जाय और आपके कर्मचारी साइकिलों पर जायं। मेरा अनुरोध है कि इस मद में जितना कम से कम हो सके खर्च किया जाये। इससे गरीब जनता को राहत मिलेगी।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय आपके विभाग के अन्तर्गत गल्ले की खरीद हो रही है। आपकी भावना यह है कि गल्ला क्रय केन्द्र, जो कि किसानों की सबसे बड़ी उत्पादित की हुई वस्तु है, इसको सही कीमत दिला सके। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा केन्द्र नहीं होगा, जहां कि आपके विभाग के बिचौलिया लोग न हों और यह काम न कर रहे हों। आपके विभाग के लोग ही गल्ला लेते हैं और वह पहले उसको रिजेक्ट कराते हैं और इसके बाद उन लोगों के माध्यम स गल्ला लिया जाता है और गल्ला लेने के बाद इसमें मुनाफा करते हैं। शाहजहांपुर, बरेली में हमने देखा कि बहुत से जो कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए विकास खण्ड बांट दिये गये हैं, इस प्रयोजन से कि प्रत्येक डाइरेक्टर अपने कर्मचारियों की मदद से जो भी समुचित आमदनी वह कर सके, वह करे। इस प्रकार की योजना चल रही है। और कई मैनेजर्स, कई चेयरमैन से जो मेरी बात हुई वह कह रहे थे कि इस समय तो हमारी पैदावार का शोषण है, क्योंकि गरीब किसानों का गल्ला आ रहा है, यहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। आपका विभाग किसी भी हालत में इसे रोकने में सक्षम नहीं हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें।

साथ ही साथ जो आपकी ट्रांसफर इंट्रीज थीं, उसको खत्म करें। आपके सुपरवाइजर्स उन गरीब काश्तकारों से पूरा पैसा वसूल करने के बजाय उनका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। उन काश्तकारों का विश्वास प्राप्त करने के उपरान्त और फिर वही लोग अपने पास रखते हैं और साथ-साथ में उनकी परसेंटेज कितनी है, उतनी वह ट्रांसफर इन्ट्री के बाद मुक्ति दिलायेंगे। यह किसानों के ऊपर बहुत बड़ा वजन के रूप में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपके इस सहकारिता आन्दोलन से किसानों को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए उसने भरोसा किया था। आपका सहकारिता विभाग मुख्य रूप से दिखाई देता है सिर्फ ऋण वितरण के समय पर और वह भी उन लोगों के बीच में जो कि सम्पन्न किसान हैं, अथवा दिखाई देता है जबकि गरीब किसान की नीलामी का वक्त होता है। इसके अलावा आपके विभाग में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनका कि कार्यान्वयन नहीं हो

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

रहा है। 75 वर्ष व्यतीत हो चुके है, लेकिन अब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। यह विभाग स्वयं जटिल है। इसको समझाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक कि आप काश्तकारों को सही प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध नहीं कर पायेंगे तब तक भले ही आप ट्रान्सफर करते रहें। आपके विभाग में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वे कानून नहीं जानते हैं।

दलित वर्ग के लिए जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं हो रहा है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आपका प्रयास होना चाहिए कि सहकारिता जैसे विषय के लिए, जिसके लिए आपने बार-बार स्वीकार किया है कि इतना महत्वपूर्ण है, जो गरीबी को दूर करने में सही सिद्ध हो सकता है। इसकी शिक्षा दिलाने के लिए अगर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पाठ्य-क्रम में शामिल कर दिया जाय, तो कोई गलत बात नहीं होगी, ताकि वह जो गरीब जनता के लिए अधिक से अधिक मेम्बरशिप देने के लिए प्रोत्साहन की बात है, उसमें सहयोगी सिद्ध हो सके। मास्टर प्लान आपने इसी भावना से बनाया। मैं समझता हूं कि इसको सही प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। आज आपने कुछ घोषणाएं कीं। मैं समझता हूं कि वे घोषणाएं जनहित की हैं। आपने कुछ कार्य किये हैं जिसके लिए मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता जानती है। मैं उन पर भी केवल आलोचना के लिए कह रहा हूं, बल्कि आलोचना में सुझाव के लिए कह रहा हूं। आपने चुनाव कराये इसलिए मैं समझता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। जिस समय आपने कहा था सहकारिता विभाग कुछ नहीं है बल्कि बताया है इसमें बेईमानी वाला कुछ नहीं है। आपने उसे बेइमान बना दिया है। लेकिन उस सहकारिता विभाग में जो बेइमानी पैदा कर दी है उसको दूर करने के लिए कोई कदम आज तक नहीं उठाया है।

मोरार जी देसाई ने कहा, उनकी भी भावनाएं है, पं0 जवाहर लाल नेहरू की भी भावनायें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत से आपको मदद मिल रही है। गोदामों का निर्माण कराने जा रहे हैं। निर्माण हो रहा है। शीत गृहों का निर्माण हो रहा है। ये अभी जनता के, बीच में चीजें नहीं आयी हैं। उनसे जनता को कोई लाभ होगा, कितना समय लगेगा। इसलिए इन सारी बातों को आप समझिये और उसके बाद आपके पास शक्ति है, सत्ता है उसके अनुसार आप सही-सही विकेन्द्रीकरण करायें। 8201 समितियां बनवा दीं। उसके विकेन्द्रीकरण की जगह आप केन्द्रीकरण किये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन को जब आप विकेन्द्रीकरण की दिशा में ले जा रहे हैं तो केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गोदामों का जो इस समय चयन किया जा रहा है इसमें भी हमारे सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत कुछ अधिकारी, राजनीतिक भी, सम्पन्न व्यवसायी इतना घुस गये हैं कि गरीबों को उसमें नहीं आने दे रहे हैं।

निर्बल वर्ग के लिए, किसान को स्थान देंगे, उनके लिए एक सीट रिजर्व कर दी लेकिन इसमें प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गरीब और निर्बल नहीं आ पाया। बड़े सम्पन्न किसान के परिवार के बेटे ने, सीलिंग के नाम पर अपने को कमजोर व्यक्ति दिखाया और आ गया। इसको आप देखें। अगर निर्बल वर्ग का किसान नहीं आ पाया है तो आप इसको दूर करें।

भ्रष्टाचार की बात, लेकिन आपका विभाग इतना बदनाम हो चुका है कि जिस तरीके से कोई कुख्यात डाकू शराफत ग्रहण कर लेता है। आपने कुछ प्रयास किये, सत्यापन कराया, लेकिन उसमें भी सौदे बाजी हुई है। फर्जी सत्यापन हुआ था। ए0 डी0 ओ0, बी0 डी0 ओ0 जो सत्यापन के लिए जाते हैं उनको भी भेंट चढ़ानी पड़ती है। सत्यापन भी नहीं हो पाता है। अब तक आपने बताया है कि सत्यापन पूरा करा लिया है। इस कमी को पूरा करने में आपको सतर्क रहना चाहिये, सजग रहना चाहिये। आपके विभाग के अन्दर...,

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय पूरा हो गया है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

दो मिनट में समाप्त करता हूं, मान्यवर। अभी मैंने पढ़ा था कि एक गंजरिया फार्म है जहाँ करीब एक लाख रुपये की मुर्गियाँ चोरी चली गयीं। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अभी यह भी कहा कि बहुत बड़ा गबन पाया गया जिसको कि आपने राइट आफ करने की बात कही। मैं कहता हूं कि इस गबन की मूल वृत्ति क्या थी, जिसके कारण यह गबन के रास्ते बने रहे। बेहतर यह था कि आप एक कमेटी बनाते जो यह देखती कि इसको किस तरह से रोका जाये। जैसा कि मैंने कहा कि आपका विभाग बदनाम हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे तरीके से बेइमानी को दूर कर सकें। सहकारिता आन्दोलन को गरीबों के बीच में ले जा सकें। इसलिये अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव रखे हैं वह मैंने आलोचना की दृष्टि से नहीं रखे हैं, मैंने सुझाव देने के दृष्टिकोण से रखे हैं। माननीय सदस्य हमारे कटौती के प्रस्ताव पर विचार करें और अगर यह सही है तो इसका समर्थन भी करें।

*श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता विभाग के अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सन् 1955 से जब यह आन्दोलन इस प्रदेश में विकसित होना प्रारम्भ हुआ ऐसी समितियाँ बनाई गयीं, अपने मन के प्रतिनिधि चुने, एकाउन्टेन्ट भी अपने मन के बना लिये। भोग और लूट प्रारम्भ की गयी। सचमुच, सहकारिता विभाग भोग, लूट और ऐश का विभाग बन गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के सहकारिता आन्दोलन की जड़ें इस देश की आजादी के आन्दोलन के साथ पनपी थीं। बल्लभ भाई पटेल जैसे आदमी ने पहले दूध के मामले को देश भर में एक साथ उठाया था। उत्तर प्रदेश इस मामले में बदकिस्मत रहा। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। इसे मिटाना चाहिये। अगर यह नहीं मिट सका तो कोई सुधार होने वाला नहीं है। काफी हद तक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि सहकारिता मंत्री के इन प्रयासों के जरिये शायद यह आन्दोलन गरीबों के बीच पहुंचे और यह गरीबों के हित में हो सके। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। पहली बार यह चुनाव कराये गये। चुनाव सरकारी साधनों के जरिये नहीं हुये, गुप्त मतदान के जरिये हुये और जनप्रतिनिधियों ने वोट दिया।

श्रीमन्, आपने देखा है कि गाँवों में पहली बार जनता पार्टी की सरकार के इस विभाग ने अध्ययन का कार्य प्रारम्भ किया है। अध्यापन के जरिये हमारी यह कोशिश है कि 30 साल पुरानी जो यह गरीब अमीर के बीच दूरी बनी है, उसको तोड़ने में हम बहुत हद तक सफल हो सकें। इसके लिये इस विभाग ने काफी प्रयास किया। सिर्फ इनकी तारीफ करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है तो भी यह उसके पात्र बनते हैं।

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]

दूसरी बात यह है कि खास तौर से उन एकाउन्टेंट महराजों की तरफ जो इस विभाग पर छाये थे उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एकाउन्टेन्ट लोग गाँवों में अपने मुखिया के इशारे पर जो भी मन में आता था करते थे और गाँव के गरीब पर शासन करते थे। उन सभी एकाउन्टेन्टों को पहली बार उनके गाँव और जिलों से हटाया गया है।

दूसरी चीज श्रीमन्, जो उभर कर आयी है वह है विशेष अदालतों का गठन। आप जानते हैं आये दिन इस सदन में भ्रष्टाचार के संबंध में तमाम पुराने पन्ने उल्टे जाते हैं। कोई न कोई विधायक किसी पुराने मुखिया की जन्मपत्री उलटते थे उसके भ्रष्टाचार के बारे में। तो ऐसी स्थिति में गबन के मामलों में सटीक कार्यवाही हो सके, इसके लिये विशेष अदालतों के गठन के लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इधर ध्यान देना ही होगा। गाँव के लोगों को जिनमें किसी तरह का छल फरेब छू तक नहीं गया था उनको भ्रष्टाचार में सराबोर करने का षडयंत्र किया गया था। उस षडयंत्र को तोड़ने में जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है। इसलिये मैं इन अनुदानों का समर्थक हूं।

श्रीमन्, गुजरात पैटर्न की बात की गयी है। समितियों के अलावा जो फर्जी ऋण की स्थिति थी, फर्जी ऋणों में जो कार्यवाही की गयी है, श्रीमन्, चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या चाहे उस पक्ष के लोग हों, इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि आज फर्जी ऋणों की रोकथाम करने का सिलसिला चालू है। श्रीमन्, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके नेतृत्व में हमने यह सीखा कि भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। भ्रष्टाचार गंगोत्री से होता है मामूली नालों को साफ करने से किसी देश और समाज में कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ करता है। गंगोत्री की जड़ पर हमला करना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

भ्रष्टाचार की जननी गंगोत्री नहीं होती है, गंगोत्री इटावा में नहीं पहुंच जाती है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

तो मैं आपसे कह रहा था कि गुजरात के पैटर्न पर सलाहकार परिषद बनाने की जो बात है, इसको आप सरकारी चंगुल से मुक्त रखेंगे। इस परिषद् के अध्यक्ष सहकारिता मंत्री होंगे, लेकिन फिर भी सरकारी चंगुल में फंसे हुये इस आन्दोलन को सहकारिता मंत्री जी और जनता पार्टी की सरकार 5 वर्षों में निकाल सकी तो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में शायद इससे बड़ा और कोई योगदान नहीं होगा।

मान्यवर, इस आन्दोलन को स्वच्छ बनाने के लिये जो कार्यवाही की गयी है उसमें भी हमको देखना पड़ेगा। पिछले दो वर्षों में जून, 77, में 50 हजार से अधिक मामलों में ऐसे मुकदमे प्रचिलित थे जिनमें विभिन्न तरह की विवेचना जारी थी। 217 बड़े मामले थे। जिन पर कार्यवाही की गयी। मैं मानता हूं कि इस विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन उसको कम करने के लिये हमारा मन और हमारा संकल्प देखें जिसके जरिये इस विभाग को हम जनता का विभाग बनाना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में 1100 नये मामले पंजीकृत हुये हैं। यह पुरानी कांग्रेस सरकार के जमाने के मामले है और पता नहीं अभी कितने और होंगे जब विशेष अदालतें सहकारिता की चालू हो जायेंगी। प्रारम्भ से अभी तक कुल 2649 अभियुक्त बंदी बनाये गये हैं जिसमें 419 अपराधी पिछले दो वर्षों में गिरफ्तार किये गये हैं। इन आँकड़ों का सहारा इसलिये ले रहा हूं कि जिससे मालूम हो सके कि भ्रष्टाचार पर पकड़ हमारी कितनी है और जिससे हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे। मान्यवर, इस समय तक 1400 मामले ऐसे हैं जो न्यायालय में कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं।

मान्यवर, अब मैं सत्यापन की भी समीक्षा करना आवश्यक समझता हूं क्योंकि यदि सत्यापन पूरा कर लिया जाय तो सभी लोगों का मन जो स्वीकार करता था कि अब यह विभाग केवल लूट को चलाकर जारी रहेगा और तो उससे उनकी धारणा बदलेगी। इसलिये सत्यापन किया जा रहा है।

(लालबत्ती होने पर)

मान्यवर, अब समय कम है इसलिये, अब मैं ग्रामीण गोदामों के निर्माण में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है जिसकी दुहाई हमको देना नहीं पड़ेगी बल्कि उस तरफ के माननीय सदस्य स्वयं न्याय पंचायतों को देख कर महसूस करेंगे कि ग्रामीण गोदाम बनाने में हम कितने सफल हुये हैं।

मान्यवर, निर्बल वर्ग पर जो कार्यवाही की गयी है उसमें आज पहली बार सहकारिता विभाग के लोग अपने पुराने इतिहास के शोषण के अध्याय को उम्मीद है समाप्त करेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं!

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)––

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारिता मंत्री को बहुत बधाई देता हूं कि आज एक ऐसे विद्वान, सहकारिता से जो काफी परिचित, जानकार, दक्ष, ने अनुदान को प्रस्तुत किया इसलिये मैं उसका समथन करता हूं। परन्तु अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक सहकारिता का सम्बन्ध था कि सहकारिता इस प्रदेश में कैसे फैलाई जाय जिससे जनता उससे लाभ उठाये तो उस तरफ इस सरकार से पूर्व काँग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जब तक प्रदेश का बटवारा नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। हमने बार-बार कहा कि इस प्रदेश का बटवारा करो नहीं तो इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। जो गरीबों का यह सहकारिता विभाग था उस पर भी यह सरमायेदार लोग छा गये हैं। पूर्व में मेहनत करने वाले चूंकि बहुत लोग नहीं है। पश्चिमी जिलों के लोग मेहनती हैं और हमें चाहिये कि हम खुद मेहनत करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1962 में जो दूसरे प्रान्तों की रिपोर्ट थी, जो दूसरे प्रान्तों से प्रेरणा सहकारिता को मिली, उससे जो लाभ होना चाहिये था, उधर ध्यान नहीं दिया गया। यदि उस रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि गरीबों का कल्याण सहकारिता से ही हो सकता है। लेकिन पिछले वर्षों में जो सहकारिता की हालत रही है, उससे गरीबों को लाभ नहीं मिला, हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारे मौजूदा मंत्री जी उस तरफ पूरा प्रयास कर रहे है और मुझे आशा है कि गरीबों में सहकारिता फैलेगी; गरीबों की सोसाइटीज होगी। लेकिन इस विभाग के जो सुपरवाइजर हैं, वे कौन हैं? आज उनकी स्थिति क्या है? यह शिकायत मिली कि पंचायत मंत्री उगाहेंगे। सुपरवाइजर तो केवल प्रचार करता है। सरकारी आदेशों का प्रचार करें और बतलायें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आपके सरकारी आफिसर सहकारिता के नाम पर लूटमार कर रहे हैं आज तो जनता पार्टी का राज है। हमको माननीय मंत्री जी से बड़ी श्रद्धा है। वह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि वह गरीब व्यक्ति की तरफ अवश्य ध्यान देंगे। मेरा अभिप्राय है कि यह गरीबों की तरफ ध्यान देंगे, गरीबों की छोटी इण्डस्ट्री सहकारिता की फैले। उनके लिये छोटे-छोटे उद्योग हों ताकि लोगों को रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। सरकार का बजट बढ़े, बेईमानी कम हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो सरकार योजना निकालती है, उस पर ये सरमायेदार पहले ही छा जाते हैं। आज सारे

[श्री हरी सिंह]

सरमायेदार कोआपरेटिव डिपार्टमेंट पर छाये हुये हैं। जब तक सभी लोग सहयोग नहीं देंगे, केवल अकेले मंत्री जी से काम नहीं चलेगा। यह तो सभी का कर्त्तव्य है कि सभी मंत्री जी को सहयोग दें।

मैंने उस रोज कहा था कि मेरी श्रीमती इन्दिरा जी में श्रद्धा है, क्योंकि वह भारत की प्रधान मंत्री रही हैं। उनसे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन हम आज भी यहाँ बैठकर बड़े लोगों का आदर करते हैं। तो हमारी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी कृपया सहकारिता मंत्री जी को अपना पूरा सहयोग दें। हमारे सहकारिता मंत्री जी की सहकारिता में पूरी दिलचस्पी है। हम चाहते हैं कि गरीबों के लिये सहकारिता हो और गरीबों के लिये इण्डस्ट्री इसमें फैले। इसको सरमायदारों से बचायें।

इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि मरा सहकारिता मंत्री जी में पूर्ण विश्वास है, और मुझे आशा है कि उनकी देखरेख में सहकारिता फैलगी और सहकारिता गरीबी को दूर करने में सफल होगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय हरी सिंह जी केवल मंत्री जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं या उनके बजट के प्रति भी ?

श्री हरी सिंह—

मुझको मंत्री जी के प्रति श्रद्धा है और मैं उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी की तरफ से जो सहकारिता अनुदान प्रस्तुत है, उसके विपक्ष म या विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस अनुदान से जो आशा की जाती थी और प्रदेश की जनता को जो इससे अपेक्षा थी, वह वास्तव में इससे पूरी नहीं होगी। यह सही है कि जनता सरकार के दो साल के दौर में सहकारिता मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है और कुछ न कुछ सफलता मिली है लेकिन जो सहकारिता का उद्देश्य है और प्रदेश को जो उससे लाभ हो सकता था, वह अभी नहीं प्राप्त हो सका।

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन में दो-तीन चीजों के प्रति सुझाव देना है। अभी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि गोदामों का निर्माण, सत्यापन की समीक्षा और एकाउन्टेण्टों का ट्रान्सफर, विशेष अदालतों का गठन, व बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो सहकारिता आन्दोलन में नया जीवन ला सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी कृपा करके यह ध्यान रखें की कोरम के अभाव में दो-चार मिनट कार्यवाही रुक सकती है मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कोरम को भी ध्यान रखें और कुछ सदस्यों को बाहर से .....

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

इसका ध्यान आपको रखना चाहिए....

श्री अधिष्ठाता—

हम उनसे कह सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आप चाहें तो बिना कोरम के चला सकते हैं।

श्री मित्रसेन—

अभी कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये गये है जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि सहकारिता आन्दोलन में ग्रामीण जनता को या प्रदेश की जनता को विश्वास प्राप्त हो रहा है क्योंकि ऐसे कदम उठाये गये हैं जो इस आन्दोलन के लिए बहुत ही कीमती हैं। मैं दो-तीन सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

एक चीज तो यह है कि इनके विभाग में सेन्ट्रल बैंक से कोआपरटिव बैंक को जो कर्ज मिलता है वह 7 प्रतिशत पर दिया जाता है और कोआपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट बैंक को यह कर्जा 9 प्रतिशत पर देता है, डिस्ट्रिक्ट बैंक समिति को 11 प्रतिशत पर देता है और समितियाँ सदस्यों को यह कर्जा 13 प्रतिशत पर देती है। मूल ब्याज के दुगुने पर सदस्यों को यह कर्ज प्राप्त होता है।

दूसरी तरफ मान्यवर, समितियाँ इन की कैसे बनती हैं। दो बीघा के काश्तकारों से लेकर 200 बीघा तक के काश्तकारों को मिलाकर इनकी समितियाँ बनती हैं। जिनमें इतना आर्थिक स्वार्थ में अन्तर हो ये समितियाँ कभी सफल नहीं हो पा रही हैं। एक से लेकर 10 हेक्टेयर वाले काश्तकारों की अलग समितियाँ बननी चाहिए और 10 हेक्टयर से ऊपर वालों की अलग समितियाँ बननी चाहिए। छोटे और बड़े काश्तकारों की जो समितियाँ बनी हैं इनमें बहुत से घपले होते हैं। बड़े काश्तकार ही लाभान्वित हुआ करते हैं नीचे वालों को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए समितियों के गठन का जहाँ तक प्रश्न है आर्थिक स्वार्थ के आधार पर समितियों का गठन होना चाहिए और ब्याज में जो यह अन्तर किया गया है उस पर मंत्री जी को, और विभाग के लोगों को, फिर से सोचना चाहिए।

दूसरी तरफ सत्यापन का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि वह अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट हैं। यह भी हो सकता है दो-चार करोड़ लोगों को राहत मिली हो, यह भी हो सकता है कि उन्होंने जो दो प्रतिशत की कटौती की है उससे दो-चार करोड़ काश्तकारों को लाभ हो रहा हो, लेकिन सचमुच में स्थिति यह है कि छोटा काश्तकार आज भी कर्जदार बना हुआ है। उनका सत्यापन नहीं हुआ है। जो बड़े काश्तकार हैं, प्रभावशाली हैं, अधिकारियों पर दबाव डाल सकते हैं, उनको लाभ हुआ है जो उपेक्षित लोग हैं, पीड़ित हैं, शोषित है, जिनको दरअसल फर्जी कर्जा दिया गया दिखाया गया है, उनका सत्यापन अभी भी नहीं हो पाया है। मेरे जनपद फैजाबाद में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी फर्जी कर्जदार बने हुए हैं, हर साल उन से वसूली हो रही है, उनका सत्यापन नहीं हुआ है। डी0 एम0 ने आदेश भी दिये कि सत्यापन किया जाय, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। 50 प्रतिशत गड़बड़ी अब भी इसमें है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका पुनरावलोकन करें।

दूसरी बात सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है उस तरफ अगर माननीय मंत्री जी कदम उठायें तो मंत्री पद पर भी बने रहना संभव नहीं है। इसमें भी मुसीबत हो जायगी। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे कदम उठाये गये तो गरीब जनता का कल्याण तो क्या होगा हाँ सारे प्रदेश में सब मंत्रियों को अपने पोर्टफालियो बचाना मुश्किल हो जायगा। यह पूंजीवादी व्यवस्था लूटखसोट पर निर्भर करती है और नौकरशाही द्वारा संचालित होती है। इसे आप रोक नहीं सकेंगे। इसको प्रतिबन्धित करना आपके दम के बाहर की बात हैं। जनता पार्टी इसका दावा करती है कि वह भ्रष्टाचार जो इसमें व्याप्त है दूर कर देगी तो पिछले दो साल में जनता पार्टी के शासन में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, उतना काँग्रेस

[श्री मित्रसेन]

के राज्य में उस अनुपात में नहीं बढ़ा था। भ्रष्टाचार पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ है जिसको यह सरकार उखाड़ नहीं सकती। आप अपने को बचाने की ही कोशिश करें, क्योंकि भ्रष्टाचार को उखाड़ने में पूरे प्रदेश की व्यवस्था को बदलना होगा जो आपके मान की बात नहीं है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, 1977 में जब मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला था तो कुछ घोषणायें की थीं और उस समय सहकारिता विभाग में काफी सुधार आया था लेकिन उस सुधार की गति अब वह नहीं रही जो पहले प्रारम्भ में थी। पता नहीं क्यों कमियाँ आ गयीं, लेकिन इसके कुछ कारण हैं। यह हम सभी लोग मानते हैं कि किसान तथा आम गरीब जनता की उन्नति के लिये सहकारिता ही एक सहारा है। सहकारिता का उपयोग गरीबों के लिये होना चाहिये न कि पूंजीपतियों के लिय। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म्स सहकारी कृषि फार्म के नाम से जाने जाते हैं। वस्तुतः ये सहकारी कृषि फार्म नहीं है। बड़े-बड़े किसानों की अपनी अधिक भूमि बचाने के लिये वह एक चाल मात्र है। यह बात मंगलदेव विशारद रपट में सिद्ध हो गयी है प्रदेश के जितने सहकारी कृषि फार्म हैं सबका अध्ययन किया जाय तो आप देखेंगे कि वास्तव में वे सहकारी कृषि फार्म नहीं है बल्कि परिवारों के फार्म है। इस प्रकार जो हमारे यहाँ जो भू-आवंटन का भी सुधार होना चाहिये था उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गयी है और भू-सुधार नहीं हो सका। जितने सहकारी कृषि फार्म हैं उनको आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क पैटर्न पर नहीं बना पाये हैं। लिहाजा आप इन सहकारी फार्म्स को समाप्त कर दें और जिसकी जमीन हो उसे वह दे दें और अधिक जमीन जो हो उसका बटवारा भूमिहीन किसानों में कर दें सीलिंग में ले कर।

सन् 1972 में सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था मास्टर प्लान। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि जो अपना शेयर मनी खुद नहीं जमा कर सकते थे वे 50 पैसा दें और फिर एक कागज पर अपने दस्तखत कर दें अथवा अंगूठा लगा दें तो सहकारिता बैंक उनकी ओर से 60 रुपये उनके शेयरमनी के जमा कर देगा। हर लेखपाल को, ग्राम सेवक को, पंचायत सेवक को सब को एक टारगेट दे दिया गया ह कि उनको मास्टर प्लान के अन्तर्गत गरीब लोगों को, निर्बल वर्ग के लोगों को सदस्य बनाना है। उनके जीवन में सहकारिता आन्दोलन उतरा तो नहीं लेकिन ऊपर से टारगेट दे दिया। उनको यह भी नहीं मालूम कि उनसे क्यों दस्तखत कराये गये हैं। कहीं-कहीं 20 रुपये जमा कराये गये और 40 सदस्य बन गये। किसान को मालूम ही नहीं कि यह सब किसलिये हुआ है 1972 में हमारे प्रदेश में 5 करोड़ 87 लाख रुपये बाँटे गये थे, 60 रुपये शेयर के हिसाब से। किसान को इसका पता तब चला जब उससे 30 रुपये और ब्याज के 10 रुपये वसूली शुल्क वसूल हुये। बैंक में किसान कभी नहीं गया, उसने कभी उधार नहीं लिया तो फिर 60 रुपये का शेयर उसके नाम पर सन् 1972 से पड़ा हुआ है।

मान्यवर, मैंने स्वयं 3 केसेज की जाँच की और मैं उन तीन केसेज को लेकर वहाँ गया। मैंने किसानों से पूछा कि तुमने फार्म भरा था। उसने कहा मुझे मालूम नहीं। जब बैंक में गया और वह फार्म ढूंढ़ा तो वह फार्म भी नहीं मिला ताकि मैं उस फार्म पर दस्तखत तो मिला सकूं लेकिन वह भी नहीं मिला। किसानों को यह मालूम ही नहीं है उनका शेयर मनी जमा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालें, जिससे उनका यह 60 रुपया किसी न किसी तरह से एडजेस्ट हो जाय और उनसे उसका ब्याज न लिया जाय। इस तरह से उनसे वसूल करना न्यायपूर्ण नहीं होगा। मैं कहता हूं कि यह बहुत अन्याय की बात है।

सत्यापन के बारे में मंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी हुई कि सत्यापन के जो मामले मैंने सदन में उठाये, उन्हें मंत्री जी ने स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सत्यापन हुआ है उसमें कितनों को माफी हुई। जो केसेज पड़े हुये हैं उनमें कितनों पर निर्णय हुआ। मुश्किल से 10 प्रतिशत सत्यापित मामलों के निर्णय हुये हैं और बाकी केसेज पड़े हुये हैं। किसान अपना कर्ज देना चाहता है। उस पर 500 या 1000 रुपया तो व्याज हो जाता है, और वह व्याज ही चुकाता रहता है....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मैं बेसिक प्राब्लेम पर बोल रहा हूं। दो मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर, किसानों से नियमानुसार सूद का पैसा ले लिया जाता है और होता यह है कि सूद में ही वसूल हुआ वह पैसा दिखाया जाता है। मूल धन उतना ही रहता है और फिर वह धन उतना ही हो जाता है। इसलिये मैं आपके जरिये मंत्री जी से माँग करता हूं कि किसान जो पैसा जमा करें उसका आधा पैसा सूद में और आधा पैसा मूल धन में से काट लिया जाया करे ताकि उसका व्याज न बढ़े। मंत्री जी ने चुनाव करा दिया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो चुने हुये लोग हैं लेकिन उनके अपने मामले हैं। चुने हुये लोग तो हम भी हैं। इसलिये कोई न कोई तरीका चेक और बैलेंस का आप निकाल लें। जहाँ गड़बड़ी होती है, उसके लिये जिम्मेदारी नियत की जाय। इसलिये जो आपका सतर्कता सेल है उसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वह ईमानदारी के साथ कामयाब हो सके।

एक शिकायत पी0 सी0 एफ0 की है। वह सबसे बड़ी शिकायत है। किसी भी विभाग की शिकायत नहीं मिलती कि गेहूं खरीद लिया गया और रुपया नहीं पहुंचता, लेकिन पी0 सी0 एफ0 में यह कमी रह जाती है कि अगर 15 हजार का गेहूं खरीदा जाता है तो 10 हजार रुपया ही वहाँ पहुंचता है। इस पर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, सहकारिता जीवन का एक कठोर सत्य है इस बात के कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिना सहकारिता के जीवन चल नहीं सकता, अगर प्रयत्न करके चलाया भी जाय तो दूभर हो जाता है। मानव विकास क्रम एवं सभ्यता संस्कृत के उतार-चढ़ाव के साथ ही साथ सहकारिता आन्दोलन का भी उतार-चढ़ाव होता रहा है। सहकारिता आन्दोलन में अधोगति हो रही है यह तो नहीं कहूंगा। लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि इस आन्दोलन से जो आशा और आकाक्षायें शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों को और किसानों को थी वह आज तक भी पूरी नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है। यद्यपि भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है किन्तु इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दृष्टिगत होता है। जब तक इस भ्रष्टाचार का नाश नहीं होता तब तक सारी की सारी हमारी कल्पनाएं तथा हमारी योजनायें व्यर्थ हैं, निराधार हैं और बकवास है। अधिष्ठाता जी, मुझे सहकारी ग्रामीण समितियों का अनुभव है। अभी एक पूर्ववक्ता माननीय सत्यदेव त्रिपाठी जी ने कहा कि सचिवों का स्थानान्तरण तहसीलवार कर दिया तो भ्रष्टाचार की समाप्ति हो गयी। मैं समझता हूं कि या तो उनको ज्ञान नहीं है और यदि ज्ञान भी है तो वहाँ सत्य पर

[श्री राम देव दुबे]

पर्दा डालना चाहते हैं। समितियों का संचालक मंडल इतना भ्रष्ट है, उनका सरपंच इतना भ्रष्ट है, कि उनके कारण सचिव चल नहीं पाता है। सही स्थिति क्या है मैं बताऊं आज भी सचिवों का जिनका स्थानान्तरण हुआ है कोई अपने स्थान पर नहीं पहुंचे हैं या तो तारों के माध्यम से पदभार ग्रहण किये हैं या चिट्ठियों के माध्यम से माननीय मंत्री जी इसका पता लगायें तो मालूम हो जायेगा। आज पूरी वसूली का कार्य ठप है। पारसाल जितनी वसूली हुई है उतनी भी वसूली इस साल नहीं है। इसका पता अगले साल लगेगा कि क्या स्थिति है, सचिवों के स्थानान्तरण का क्या परिणाम हुआ? विशेष रीति से मैं प्रतापगढ़ की बात करता हूं। वहाँ वसूली बिलकुल ठप है। कोई भी वसूली में दिलचस्पी नहीं लेता है। एक मात्र सचिव ही अपराधी है ऐसी बात नहीं है। सम्पूर्ण विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पता नहीं कहाँ से चलता है और कसे चलता है।

एक वक्ता ने कहा कि सहकारिता का आन्दोलन 70–75 वर्षों का आन्दोलन है लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आती। अगर विश्व के सहकारिता आन्दोलन को सामने रखा जाय तो स्पष्टरूप से मालूम होगा कि हिन्दुस्तान का सहकारिता आन्दोलन प्रगति कर रहा है या अगति कर रहा है। मैं कहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन अगति कर रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। वह अपने उद्देश्यों से विरत हो रहा है। महाजनी की जो परम्परा थी ऋण की, वह बुरी समझी गयी, सामन्तों की परम्परा समझी गयी, लेकिन उस महाजनी परम्परा से यदि मैं सहकारी परम्परा की तुलना करूं, तो मैं सही कहता हूं कि इसका पता लगा लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति ने एक हजार रुपया लिया है तो वह तीन-चार वर्षों में बढ़कर 3–4 हजार रुपया हो जाता है और उस बेचारे को 3–4 हजार रुपया देना पड़ता है। अब सोचें कि महाजनी ऋण परम्परा अच्छी थी या सहकारी ऋण परम्परा यह कैसे और क्यो हो रहा है? सत्यापन का ढोल पीट दिया गया, लेकिन यह कब नहीं होता था। समितियों को कब नहीं देखा गया और सत्यापन किया गया। ए0 डी0 ओ0 (सी0) और ए0 आर0 आदि अधिकारी इसे देखते रहे हैं और वेरीफिकेशन भी करते रहे हैं। यह सत्यापन कोई बात नहीं है और न कोई ऐसी बात है, जिससे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाय। जसे सारी चीजें होती थीं, वैसे ही सत्यापन भी हो रहा है और उसका भी कोई परिणाम नहीं होगा। किसी भी ग्राम्य समिति में पता लगा दिया जाए, दूसरे लोगों–गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के नाम पर 3–3, 4–4 हजार रुपया ले लिया गया है और 15–15, 20–20 वर्ष बीत गये है, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो सकी है। और यदि वसूली हो रही है तो उन गरीबों से हो रही है, जिन लोगों ने वास्तव में ऋण नहीं लिया है। उनसे वास्तव में जो ऋण लिये है उनसे वसूली नहीं हो रही है। तो जिस आन्दोलन से गरीबों और शोषितों का उद्धार होना चाहिये, उसमें उद्धार हो रहा है, बड़े लोगों का, सामान्तों का, जमींदारों का और शोषणकर्त्ताओं का सहकारिता आन्दोलन क्या है। तो आप समझ लें कि हिन्दुस्तान का .....

(लाल बत्ती होने पर)

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्राय: कम बोलता हूं केवल दो मिनट और दे दें। शीतगृह प्रतापगढ़ में बहुत कम हैं। मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि वह सहकारी क्षेत्र में शीतगृह बनवाते हैं तो प्रतापगढ़ में कुछ शीतगृह अवश्य बनवाये। एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के सहकारी बैंक में इतना भ्रष्टाचार है, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता आप कह देंगे कि वह स्वायत्तशासी संस्था है, हम क्या करें। लेकिन अंकुश आपका होना चाहिए। अगर बैंक के अध्यक्ष विलासिता कर रहे है और भ्रष्टाचार का नाच कर रहे हैं या ईमारत बनवाने के नाम पर जनधन की लूट कर रहे है या वे मोटरों की खरीद में लाभ ले रहे है अथवा वह प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें सबमें

किसका पैसा लगता है ? बैंक का यह पैसा गरीबों, शोषितों और पीड़ितों का है ना। यह सब जगह खुले आम हो रहा है। बैंकों के अध्यक्ष निरंकुश होकर मनमानी कर रहे है, उन पर कोई किसी तरह का अंकुश आपको क्यों नहीं हैं ?

मंत्री जी प्रतापगढ़ बैंक की स्थिति अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके सम्बन्ध में उस जनपद के सातों विधायकों ने सरकार को अनेक महीने पहले से लिखकर दिया है कि वह बैंक के बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाते है, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु आप करा दें, लेकिन लानत है उत्तर प्रदेश की सरकार को जो अब तक मीटिंग नहीं करा सकी है और वहाँ पर उनकी मनमानी, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ती चली जा रही है। आश्चर्य है कि आज तक मीटिंग नहीं हो पायी है। तो यह सहकारी आन्दोलन हमें मिथ्या और सपना जैसा लगता है। यदि मंत्री जी इसमें वास्तव में कुछ करना चाहते है, तो वह जिलों में, गाँवों में और समितियों में जाकर देखें और जितनी गड़बड़ियाँ है, अनियमितताएं हैं, उनको दूर कराने का काम करें और इसके लिए यदि बाईलाज में भी संशोधन करना पड़े तो उसे भी करें, तभी इसमें कोई सुधार सम्भव है, अन्यथा नहीं। यह सब करें तब कोई मौलिक परिवर्तन सम्भव होगा अन्यथा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस सहकारिता अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, सहकारिता विभाग को जिस उद्देश्य से चलाया गया वह उद्देश्य बहुत दूर होता चला जा रहा है। रोग बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे-जैसे भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जो लोग कहते है कि भ्रष्टाचार बड़ी बुरी बात है, लकिन वह खुद भ्रष्टाचार करें और उनके नजदीक के आदमी भ्रष्टाचार करें तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर वही आदमी दूसरे पक्ष में बैठा हुआ है तो बहुत भ्रष्टाचारी है। लेकिन अपने पक्ष में आ जाय तो वही आदमी बहुत अच्छा हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जारी रखिए।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मैं उस बात को छिपाना नहीं चाहता जो राम आसरे जी वर्मा पूछ रहे हैं। मैं इस कमजोरी को जाहिर करना चाहता हूं। जो कमजोरी पर परदा डालेगा तो कमजोरी और बढ़ेगी। अगर सड़ायंध को निकाल कर सफाई न की जायगी तो सड़ायंध और बढ़ेगी। सोशलिस्टों की पुरानी आदत है चाहे खराबी हो या अच्छाई हो, वह अपने दिल की बात कह देंगे चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। हमने डाक्टर लोहिया से सबक पाया है। डाक्टर लोहिया के हिमायती है, मुलायम सिंह जी विराजमान है। सत्यदेव जी त्रिपाठी ने भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया और पूरा सर्टिफिकेट दे दिया। मैं उन दोनों भाइयों से सहमत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भूतपूर्व काँग्रेसी इसके लिए जिम्मेदार थे। अगर वह जिम्मेदार थे तो यह सरकार जिनके नेतृत्व में आज बैठी हुई है, वह लम्बे काल तक सहकारिता विभाग से संबंधित रहे माननीय नारायण सिंह, काँग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह परिहार]

यह पुलिन्दा बना हुआ रखा है, पूरा पूरा लांछन उनकी सरकार पर आता है, लम्बे समय तक वह सहकारिता विभाग के मालिक रहे हैं। यह पुलिन्दा बना हुआ यहाँ पर रखा है। त्रिपाठी जी से आशा नहीं थी, वह तमाम चीजों को भुला करके, उनके खिलाफ न मालूम कैसे सत्याग्रह करते फिरते फिर ये उनकी शिक्षा पर किस प्रकार चलेंगे ? मैं एक बात पूछ रहा हूं। महात्मा गाँधी ने काँग्रेस को बहुत दिन तक चलाया, काँग्रेसी अब तक उनकी शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। आप लोग डाक्टर लोहिया को इतनी जल्दी भूलने जा रहे हो तो कैसे काम चलेगा ?

मान्यवर, इतनी बात कहने के बाद, दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सत्यापन हुआ, मैं यह मानता हूं कि सत्यापन अच्छी चीज है, सत्यापन से कोई सुधार नहीं हुआ। उस तथ्य को भुला देना होगा। सत्यापन में गड़बड़ी को सुधारना होगा। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि उसे चालू रखें। उसमें ईमानदार आदमियों को लगाएं। एक समिति इस हाउस की गठित करें जो उनको सुझाव दे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ सब विभागों में है। उस पर अगर आप ही परदा डालेंगे तो क्या होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार में कमी हुई है तो वह 5 परसेंट भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है।

मान्यवर, मैं 2–3 बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं और उनको कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे जिले में कोलारकला में एक समिति ऐसी मिला दी गयी है जिस पर 20 हजार रुपये का ऋण बकाया था और उस ऋण का आज तक पता नहीं कि वह ऋण किस प्रकार वसूल किया जायेगा। वह साधन सहकारी समिति पर बोझ बन गया है। एक दूसरी सहकारी समिति थेरई फूलपुर है यह ब्लाक शमशाबाद में है। इसका भी यही हश्र हुआ। फूलपुर साधन सहकारी समिति पर ऋण बकाया था और थेरई बहुत अच्छी सहकारी समिति थी उसको उसमें मिला दिया गया है। इसलिए उस पर भी ऋण बकाया हो गया। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिन पर ऋण बकाया हो उनको साधन सहकारी समितियों में न मिलाया जाय। उनको उस बर्चस्व से अलग रखें जिससे उनको बकाया ऋण चुकाने की जिम्मेदारी उन पर ही रहे। जिस समिति ने ऋण लिया है वह उसी को चुकावें। इससे काफी स्थिति में सुधार होगा और जो अच्छी समितियाँ चल रही है वह ठीक प्रकार से चलती रहेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। अब आप बैठिए।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

त्रिपाठी जी माननीय मंत्री जी की झूठी वकालत कर रहे हैं। वह वकालत इसलिए कर रहे हैं कि उनको फिर मिनिस्ट्री मिल जाये। जो वकील बिना फीस लिए सलाह देते हैं वह ठीक नहीं होते हैं। इनसे आप बचें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया। सहकारिता आन्दोलन जो है उसके बारे में हमारे देश के महान नेता पं० जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि इस आन्दोलन से प्रत्येक घर में प्रकाश पहुंचेगा और उनको अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी और उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रयास भी किया गया। हमारे माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी चाहते भी है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि वह इस दिशा में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। साधन सहकारी समितियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्री वहाँ पर इस बात की व्यवस्था करें कि वहाँ से किसानों को बीज की भी सुविधा उपलब्ध हो सके। हमारे यहाँ पर एक बरारा बुजुर्ग सहकारी समिति है लेकिन वहाँ पर किसानों को बीज की सुविधा नहीं उपलब्ध है। आपने उसमें सचिव के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक की व्यवस्था की है। आप सोचें कि प्रबन्ध निदेशक कितनी तनख्वाह लेता है। एक समिति इतना बड़ा बोझ किस प्रकार से वहन करेगी चाहे उसे समिति दे, जिला कोआपरेटिव बैंक दे और चाहे आप दें लेकिन वह बहुत बड़ा भार है। 10–15 हजार रुपया प्रबन्ध निदेशक पर व्यय होता है। इसके अलावा वहाँ पर ग्राम सेवक होते है लेकिन उनका हेड क्वार्टर तक वहाँ पर नहीं होता है, वे वहाँ पर नहीं रहते हैं। आप इसकी जाँच करायें और आदेश दें कि कम से कम उन लोगों के तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात आपके यहाँ पर व्याज की दर बहुत ज्यादा है। अगर किसान को इतना ज्यादा सूद देना पड़ेगा तो उसे बड़ा ही कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त जो आपकी कृषि समितियाँ है, उनमें हर एक में कम से कम एक ट्रेक्टर और एक थ्रेशर की व्यवस्था आप अवश्य करा दें। आज कृषि की पैदावार बढ़ती जा रही है, उसमें दिन प्रति दिन काफी प्रगति हो रही है। अतः इनका वहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है।

जहाँ तक मुकदमों का सम्बन्ध है आज ऐसा मालूम पड़ता है कि बकायेदार लोग दुश्मन ही नहीं देशद्रोही हो गये हैं। आप उन्हें जेलों में बंद करवाते हैं। कम से कम उन्हें जेलों में बन्द करना हो तो बंद कीजिए। आप जानते है कि जब कोआपरेटिव की मोटरें वसूली के लिए जाती है तो काश्तकारों को भाग जाना पड़ता है। मुझे याद है कि जब जमींदारी के समय लगान की वसूली होती थी तो किसान ही नहीं उनकी महिलायें तक भाग जाती थीं और उनका सामान किस तरह से कुर्क किया जाता था। इसके अलावा कलैक्शन चार्जेज भी आपके 10 प्रतिशत बन जाते है और किसानों को चोरों और डकैतों की तरह से भागना पड़ता है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसमें सुधार हो जिसके लिए दोनों पक्ष के लोग आपको धन्यवाद देंगे कि आपने बकायेदारों को कुछ राहत दी है। वसूली का चार्ज भी बहुत ज्यादा है। इससे जो आपके कुर्क अमीन है उनको बहुत कम मिलता है। अधिकतर आपके जो अधिकारी है उनके पास चला जाता है।

प्रदेश में जो भूमि विकास बैंक हैं जो किसानों की भूमि रहन रखते हैं, वे अखबार में किसानों के नाम छपवाते हैं। एक मामला मैं जानता हूं कि उसका नाम अखबार में छपा था। तो उसके अखबार में छपवाने के लिए 100 रुपये से ज्यादा उस पर लगा दिया तो यह किसान के अहित की बात है। जिनके नाम अखबारों में छप जाते हैं उनको कितना अधिक पैसा देना पड़ता है, यह नहीं पड़ना चाहिए। आप उनको पोस्टकार्ड या रजिस्ट्री भेज सकते हैं और उसका वह खर्चा दे देगा लेकिन अखबार में छपने में इतना अधिक उसे नहीं देना पड़ेगा।

अब आपके जो मुकदमे होते है, उनमें जो आर्बिट्रेशन होता है उसमें आप विभाग के आदमियों को न रखें क्योंकि उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। आपने कुछ लोगों का कर्जा माफ भी किया है। यह एक नया और बहुत अच्छा कदम है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी बराबर जाँच करवाते

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी]

रहें कि कौन से लोग हैं जो गलत कर्जा बाँटते हैं। अभी तक तो सुपरवाइजर ही बहुत काफी बदनाम थे पर यह सचिव भी उससे कम नहीं हैं। आपने यह किया है कि वे अब ब्लाक या तहसील में न रहें, यह अच्छी बात है।

मान्यवर, आपने हमारे यहाँ जगतपुर के ए0 डी0 ओ0 का ट्रांसफर कर दिया है, पर फिर भी वह वहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रहा है। उसका ट्रांसफर किन्हीं कारणों से रुका हुआ है। उसे वहाँ से शीघ्र हटाया जाय क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो 12 करोड़ रुपये से ऊपर के अनुदान प्रस्तुत किये हैं सत्ता पक्ष का होने के नाते तो मैं उसका समर्थन करता हूं (व्यवधान) पर कुछ आवश्यक बातें अवश्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लिखा है—"वर्ष 1978–79 के प्रथम 6 महीनों में इन समितियों ने लगभग 110 करोड़ रुपये का कृषि ऋण बाँट कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 1979–80 में 295 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण इन समितियों द्वारा वितरण करने का लक्ष्य है। यह जो 110 करोड़ रुपये का ऋण बाँटने की बात कही गयी है इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। किसान को पता ही नहीं, उसने कहीं न अंगूठा लगाया है, न ही दस्तखत किये हैं, मगर उनके नाम कर्जा चढ़ा है और उसकी वसूली किसान से हो रही है। किसान से जब वसूली की जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके नाम ऋण चढ़ा है। मैं अपने नौजवान मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके होते हुए आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पायेंगे। अभी वाराणसी के जिलाधीश ने तमाम वसूलियों को रोका है। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसी कारण रोका है। आपने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि "कृषि निवेशों की आपूर्ति में सहकारी समितियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश का 35 प्रतिशत उर्वरक, जिसका मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है, वर्ष 1978–79 में सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जायेगा।" आगे यह भी कहा है कि "इसके अतिरिक्त वर्ष 1979–80 में 50 नये सहकारी शीतगृह, 3 दाल मिल, 2 आधुनिक चावल मिल और 18 कृषि सेवाई केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।" मैं तो आप से कहूंगा कि आप जनपद बनारस में कितने शीतगृह, कितनी दाल मिल खोल रहे हैं? क्या यह सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा या उसका बंटवारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जनपद बनारस में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबिले कम वहां पर शीतगृह, दाल की मिल मत खोलियेगा और वहां पर जो आप बड़े गोदाम बना रहे हैं, 35 जिनकी क्षमता है 50 हजार टन होगा, उनके बनाने में आप पूरे उत्तर प्रदेश को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से दिया जायगा। वाराणसी में हमारे प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी 15 करोड़ का अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए। वहां पर 2 परसेंट वाराणसी रेशम हथकरघा पर क्रय कर लगाया जायगा। मैं कहना चाहूंगा कि वाराणसी साड़ियों की खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली है। बड़े पैमाने पर बुनकरों का शोषण होता है। आप वहां पर सूत देते हैं, सहकारी आधार पर देते हैं, लेकिन गरीब बुनकरों को नहीं मिल पाता है। सहकारी समिति का वहां पर निर्माण कराया जाय और वाराणसी में माल खरीदने के लिए अन्य सूबों की तरह सहकारी समितियों का गठन सरकार की तरफ से कर उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मान्यवर, इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, यह तो जगत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यापी है। भारत देश में भ्रष्टाचार ही है, इस समय अब यही है कि कहीं पर एक मुट्ठी पानी आ जाता है, कहीं पर दो मुट्ठी पानी आ जाता है। पानी में ही सब तैर रहे हैं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार का जो गोपालपुर का फार्म है, हजारों एकड़ जमीन जो है, और केवल कोआपरेटिव बनाकर उनको छूट की बात है। क्या सही आधार पर सहकारी जो आन्दोलन है उस लक्ष्य को खंडित नहीं किया है ? लेकिन माननीय मंत्री जी आपने कोई उच्च स्तर पर जांच बैठाई ? कोई उच्च स्तर पर निगरानी कमेटी बनाई या जो मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का कोई कार्यान्वयन किया आपने ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई बड़ा काम करिये। यह छोटे-छोटे लोगों को हटाने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, चाहे वह बड़े मंत्री के स्तर पर हो या अन्य किसी स्तर पर हो, आप मंगल देव विशारद की रिपोर्ट को लागू करिये और वहां पर जांच करके जो भी आपको फैसला करना हो करिये। मान्यवर, जो वसूली है 1975–76 में सबसे ज्यादा वसूली हुई 83.1 फीसदी, 1976–77 में 76.1 फीसदी, 1977–78 में 72 फीसदी वसूली हुई।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वसूली जो है, 19.6 फीसदी, 1977–78 में 23.94 फीसदी 1978–79 में 32.22 फीसदी। पहले लोगों की वसूली तो हुई न होगी, वहीं किसानों की वसूली आप करा रहे हैं। किसी बड़े आदमी की वसूली आप कराइये जो झूठ-मूठ के फार्म पन्तनगर में बना लिये है, जिसने हवाई अड्डे के नाम पर कोआपरेटिव फार्म बना कर ले लिया है, तो जो भूमि को हड़पने खाने, वाले लोग है, उसकी कुर्की, नीलामी क्यों नहीं कराते ? एक मामले की जानकारी मिली है। कोई शान्ति कुमार अवस्थी है, रिश्वत में गिरफ्तार किये गये। इनको सस्पेंड करना चाहिए। यह छोटे-मोटे उदाहरण हैं। आपके दफ्तर में है, जो कागज, स्टाक है, उनकी चेकिंग करायें, आपको पता चल जायेगा। इस प्रकार लम्बी फेहरिस्त बन जायेगी। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। आप नौजवान मंत्री हैं, आप के विभाग के कुछ अधिकारी हैं, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सहकारिता आन्दोलन का नतीजा तभी निकलेगा जब बड़े लोगों के गलों को पकड़ें और किसानों को जो ऋण के नाम पर, ऋण नहीं लिया है तब भी ऋण का आरोप लग रहा है, उन पर बर्बर अन्याय को रोकें। आप कोई नयी परम्परा दें अन्यथा जैसा कांग्रेसी हुकूमत कर रही थी वैसे ही आप कर रहे हैं। तभी आप क्रान्तिकारी रूप में समझे जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

मुझे खुशी है कि आपने कम से कम दाहिनी हाथ की तरफ देखा। अक्सर देखा जाता है कि जो उस कुर्सी पर बैठता है वह बायीं आंख से ही देखता है और आपने दायें तरफ भी देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। जनता पार्टी की सरकार ने 2 वर्षों में सहकारिता आन्दोलन में काफी काम किया है, पहला चुनाव करा कर, दूसरा 4.47 करोड़ फर्जी कर्जे वट्टे खाते में डाल कर कांग्रेस में कभी सत्यापन नहीं हुआ था। जनता सरकार ने सत्यापन अभियान चलाया। चाहे केवल कागज पर ही हुए हो इसलिए भी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सत्यापन सही नहीं हुआ

[श्री ओम प्रकाश]

है। 80 प्रतिशत सुपरवाइजरों के कहने पर वैसे का वैसा ही कर दिया गया है। जनता पार्टी सरकार ने इसी पिछले 2 वर्षों में ब्याज की दरों को दो बार घटाया है। 1977 में 8.50 से घटाकर कर 8.10 किया। 1978 में 8.10 से घटा कर 7.10 किया। इन्होंने खाद में 20 प्रतिशत की छूट देकर किसानों को काफी लाभ पहुंचाया। पी0 सी0 एफ0 और केन फेडरेशन को 21 करोड़ रुपया छूट देकर किसानों को लाभ मिला। साढ़े चार करोड़ रुपये मंत्री जी ने किसानों के कर्जे को जो फर्जी दर्ज हुआ था, उसे बट्टे खाते में डाल दिया और यद्यपि इसमें गरीबों की अपेक्षा बड़े लोगों ने अधिक लाभ उठाया। जो हमारे प्रदेश में न्याय पंचायत तथा प्रारम्भिक समितियां हैं उनके आधार पर 8126 प्रारम्भिक सहकारी समितियां बनायी गयी हैं उनमें 4600 गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया है जिस से गांवों का कल्याण हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे सहकारी आन्दोलन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आज सहकारी आन्दोलन सहकारी आन्दोलन नहीं रह गया है। इसका विकेन्द्रीकरण न होकर केन्द्रीयकरण हो गया है।

हमारे प्रदेश में दो अधिकारी हैं, गन्ना आयुक्त और सहकारी निबन्धक। यह बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन्हें बहुत बड़े अधिकार प्राप्त हैं। संस्थाओं को कोई अधिकार नहीं हैं। आज के दस वर्ष पहले जो अधिकार थे वह भी छीन लिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव ऐक्ट में प्राविधान करें जिससे कि सहकारी आन्दोलन केन्द्रीयकरण की ओर से विकेन्द्रीयकरण की ओर बढ़े और संस्थाओं को शक्ति मिल सके। सहकारिता विभाग में गबन के केसेज बहुत बढ़ गये हैं। आज तक 1049.59 लाख रुपया का गबन 31-12-78 तक पकड़ा गया। यह जो अनुसंधान विभाग बना हुआ है, इसकी गति बहुत ही धीमी है कई वर्ष तक फाइलें कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहने से भ्रष्टाचार को बल मिलता है। हमारे यहां बस्ती में एक हर्रैया तहसील है उसमें एक भूमि विकास बैंक है जिसमें 5–6 लाख रुपए का गबन है। हर्रैया बैंक के खाते में ऐसे व्यक्तियों के नाम कर्जा दर्ज है जिन्हें इंजन नहीं मिला है, फर्जी तौर पर कर्जा दर्ज हैं। वर्षों से इसकी जांच नहीं हुई है। मेरे गांव के पास एक वैशगल गांव है जहां एक जोख दुबे नाम का आदमी था जिसके नाम कर्जा दिया गया, इंजन उसे नहीं मिला। उसके यहां कुर्की हुई, जेल में बन्द हुआ। हजारों आदमी हैं जिनके नाम फर्जी चढ़े हुए हैं और उन्हें कर्जा नहीं मिला। फर्जी नामों पर कर्जा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर सरकारी आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाना है तो इसमें परिवर्तन करना होगा। गन्ना आयुक्त एक नागर साहब थे जो बड़े कलाकार थे। उन्होंने वित्त पोषण कायम करके गन्ना समितियों के अधिकार समाप्त कर दिये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन का जितना फायदा जनता को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाता है। गन्ना आयुक्त तथा निबन्धक, सहकारी समितियों के अपार अधिकार सहकारिता के लिये कलंक हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके अधिकारों को समाप्त करके समितियों तथा सहकारी संस्थानों को अधिकार देकर जनतंत्र प्रणाली को मजबूत करें।

जनता के उपभोक्ता भण्डार हैं उसमें अच्छा कपड़ा किसानों को कभी मिल ही नहीं पाता। ऐसा कपड़ा जाता है जिसको कोई खरीदता ही नहीं। उन्हें जनता साड़िया चाहिये, 6 गजी साड़ियां चाहिये, मारकीन चाहिये। उपभोक्ता भण्डारों पर यह कपड़ा नहीं जाता है। पता नहीं कहां चला जाता है। मैं सहकारिता मंत्री जी से चाहूंगा कि वह 6 गजी साड़ियों को अधिक से अधिक गांवों में पहुंचायें। जिससे गरीबों का कल्याण हो। आलू का उत्पादन इतना होता है कि उसको रखने का कोई ठिकाना नहीं है। 230 क्रय-विक्रय समितियों के बीच में केवल 41 कोल्ड स्टोरेज हैं। मैं चाहता हूं कि हर क्रय-विक्रय समिति के अन्दर एक कोल्ड स्टोरेज खोला जाय।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के सहकारिता इतिहास में पहली बार जनतांत्रिक ढंग से चुनाव कराये और जो कमियां थीं उनको उन्होंने काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। मान्यवर, हमारे जीवन में सहकारिता का एक विशेष महत्व है। जनता पार्टी जब से सत्तारूढ़ हुयी है तब से उसने गांवों की ओर चलने का एक नारा जो दिया है उसके संदर्भ में सहकारिता विभाग में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। किसानों की समस्याओं के प्रति सहकारिता विभाग ने जो तरह तरह की सुविधायें दी है, मैं मानता हूं कि उनमें गल्तियाँ हैं, लेकिन इन दो सालों की अवधि में यह कहना कि कोई प्रगति नहीं हुयी है यह सत्य को नकारना होगा। जो कार्य किये गये हैं उनको हमें मानना होगा। मैं मानता हूं कि हर विभाग में अच्छे कर्मचारी और बुरे कर्मचारी होते हैं। लेकिन हमारे जनपद में और समीप के जनपदों में काफी प्रगति इस विभाग द्वारा की गयी है। अभी माननीय मंत्री जी ने कई महीने पहले घोषणा की थी कि हर न्याय पंचायत पर सहकारी गोदाम का निर्माण होगा। यह बड़ा अच्छा प्रयास है। किसान के उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि उसके गल्ले आदि को ठीक से रखने की व्यवस्था नहीं है। सहकारिता आन्दोलन के द्वारा किसानों को बहुत बड़ी राहत होगी। मेरे एटा जनपद में मंत्री जी ने अपने कार्य काल में काफी योजनायें कार्यान्वित कराने की कोशिश की है, उनके लिये मैं उन का आभारी हूं।

मान्यवर, देहातों में जब तक न्याय पंचायत स्तर पर उपभोक्ता दूकाने और अन्य सामग्रियां वितरित नहीं करायी जायेंगी तब तक देश की जो 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उसका सर्वांगीण विकास होना बड़ा असम्भव है। मैं यह मानता हूं कि शहरी जनता की और ग्रामीण जनता की परकैपिटा इन्कम में काफी अन्तर है? गांवों का भोला भाला किसान जब शहरों को पहुंचता है तो वहां के व्यापारी उसको लालच देकर उसको लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हम सभी का दोष है। अकेले कोई भी विभाग या कोई मंत्री इन सब बातों को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक कि व्यापक सामाजिक स्तर पर इसका खुलकर विरोध न किया जाय। कानून बना देने से ही विभाग से भ्रष्टाचार और अन्य कुरीतियां खत्म नहीं हो जायेंगी। हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें और प्रदेश के विकास के लिये जो भी आवश्यकता हो उसमें सहयोग दें और उसकी सूक्ष्म विवेचना इस आधार पर करें कि जितनी प्रगति होनी चाहिये उसमें हमारा कितना सहयोग अपेक्षित है।

मान्यवर, अभी भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में बातें कही गयीं। योजना अच्छी है लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं। किसान भूमि बन्धक रखने जाता है तो भूमि प्रबन्धक शाखाओं के जो मैनेजर हैं वह किसान को काफी परेशान करते हैं। किसान को कई स्टेजेज से पार होना पड़ता है और उसमें भ्रष्टाचार के रूप में कई लोगों को रुपया देना पड़ता है यह बात सही है। लेकिन यह कहना कि इससे लोगों को फायदा नहीं है, यह बात सही नहीं है। इसके उपरान्त मान्यवर, साधन सहकारी समितियों और जिला लेविल पर अन्य समितियां जो कार्य कर रही हैं उससे जागृति आयी है और देहाती जीवन में लोग अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं। इसके उपरान्त सहकारिता मंत्री द्वारा सहकारिता विभाग में पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में जो जनतांत्रिक प्रणाली से चुनाव कराये हैं उससे लोग अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हुये हैं इसलिये मैं उनको पुनः बधाई देता हूं। लेकिन

[श्री जसवीर सिंह]

1952 के बाद ट्रांसफर इन्ट्री वाली बात नहीं दिखाई देती है। लार्ज स्केल सोसाइटी पर जो गाँव और मण्डल हैं वहाँ पर धांधलेबाजी की बात काफी हुई है। लेकिन फिर भी जो प्रोत्साहन सहकारी आन्दोलन ने गाँवों में किया है उससे लोग अपने अधिकारों को अच्छी तरह पहचानने लगे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गंज डुडवारा और पटियाली, जनपद एटा जहाँ सहकारी गोदामों की कमी है, में सहकारी गोदामों का निर्माण जल्दी से जल्दी करवायें।

मान्यवर, आजकल जो पी0 सी0 एफ0 द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्र हैं उनमें दलाल लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं लेकिन यह कहना कि संचालक मंडल के लोग अपने दलालों से यह काम करवा रहे हैं तो यह बात सही नहीं है। बड़े-बड़े व्यापारी क्वालिटी इन्सपेक्टर से मिले होने के कारण किसान का गेहूं रद्द करवा देते हैं, और स्वयं खरीदकर केन्द्रों पर बेंच देते हैं। किसान को परेशान होकर बाजार में बड़े व्यापारियों के हाथ गेहूं सस्ते दामों में बेचने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिये इन केन्द्रों पर विभाग द्वारा ध्यान देने की तत्परता से जरूरत है जिससे किसान को परेशानी न हो। इसके साथ ही साथ मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि सहकारिता आन्दोलन में तेजी लाने के लिये मंत्री जी प्रदेश स्तर पर प्रयास करें जिससे प्रदेश का स्तर सुधर सके।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के विरोध में और माननीय सत्यपाल सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मंत्री जी की नीयत पर शक करने का मुझे अधिकार नहीं है लेकिन इतना कहूगा कि वह प्रायः अपने नाम को साकार किया करते हैं। वह इस तरह कि अधिकारी आये और जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने सच मान लिया। तो जब वह इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं तो उसमें मैंने साकार वाली बात कही।

मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में लेखा जोखा तो मंत्री जी ने पेश किया लेकिन यदि यह तस्वीर सदन के सामने रखते कि सहकारिता के नाम पर कितने लोगों के घर बरबाद हो गये, कितने लोग अपने घर छोड़कर भाग गये, कितने गिरफ्तार किये गये और कितने लोगों की सहकारिता के नाम पर हड्डियों को तोड़ने का प्रयास किया गया है, तो मैं समझता कि मंत्री जी निष्पक्ष हैं। मान्यवर, भ्रष्टाचार की जो बात कही गयी है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जाने या अनजाने भ्रष्टाचार को तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस सदन में श्री राम नरेश यादव ने बताया था कि 13 सहकारिता अधिकारियों के खिलाफ जाँच शुरू हुई है लेकिन आपने उन्हीं अधिकारियों में से पदोन्नति दे दिया है। नाम चाहे तो दे देंगे। नाम मैं आपको दे सकता हूं लेकिन सदन में नाम लेना उचित नहीं समझता।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया मेरी ओर होकर बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वैसी कोई बात नहीं—माननीय मंत्री जी से मेरे कोई खराब सम्बन्ध नहीं हैं।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। जिन दीन--दुखियों के लिये कर्ज की बात करते हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तो नहीं, हरदोई जिले की जानकारी रखता हूं। आपको उसको बताना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया 'आप' शब्द का प्रयोग न करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप भी जब कुर्सी से अलग होते हैं तो उसी के हो जाते हैं। मान्यवर मैं सहकारिता में सहकारी समितियों की बात उठाता हूं। मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे तीन ब्लाकों में सत्यापन के आदेश दिये। दुबारा सत्यापन के आदेश हुये। पहले भी हुये और दुबारा भी आदेश हुये। लेकिन शायद ही किसी का कर्ज राइट आफ हुआ हो। अगर हुये हैं, तो उन्हीं लोगों के हुये हैं, जो लोग तिकड़मबाज है, प्रभाव शाली लोग हैं। सत्यापन अधिकारी ने उन्हीं का माफ किया और कर्ज में से एक तिहाई के लिये तैयार हुये हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनमें से किसी को लाभ नहीं मिला। वे लोग वसूल करने वाले कर्मचारियों को देख कर गाँव से दूर भाग जाते हैं। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर मुखातिब किया। लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।

आपका भूमि विकास बैंक है। मैं तो इसको कहूंगा कि भूमि विनाश बैंक हालाँकि वह भी छोटी बात हुयी। इस बैंक से भूमि विनाश तो निश्चित ही है। उसी के साथ किसानों का भी विनाश हो जाता है। कर्ज की व्यवस्था भूमि विकास बैंक करती है। जिन नियमों पर कर्ज देने के लिये देते है, उन नियमों में एक पर भी वह कर्ज नहीं देती। अगर कोई शिकायत की बात होती है तो कह देते हैं कि वह तो स्वायत्तशासी संस्था है। शासन का उस पर अधिकार नहीं। किस तरह से अधिकारी लोग भूमि का नीलाम कर देते हैं, बयान नहीं कर सकता।

मान्यवर, एक बवान ब्लाक में ककराली गाँव है, उसमें एक गोविन्द प्रसाद पंडित हैं। उनकी 16 बीघा कच्ची जमीन नीलाम हो गयी। 16 बीघा कच्चे जमीन का मतलब हुआ 16 हजार रुपये। किसी को जानकारी नहीं हुयी और जमीन नीलाम हो गयी। शहर में बैठकर नीलाम हो गयी और केवल 5,000 रुपये कर्जदार को मिले। पाँच हजार रुपये में जमीन दे दी जाती है। अगर ज्यादा पैसे देते तो भी उस किसान को कुछ लाभ हो जाता। उसको कुछ अधिक पैसे मिल जाते। लेकिन केवल पाँच हजार में जमीन दे दी गयी। तो इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक हालत खराब है। माननीय मंत्री जी कृपया इस ओर गौर करें। लेकिन मंत्री जी तो अलग रहे, आज मुख्य मंत्री जी के आदेशों की भी अवहेलना सहकारिता विभाग में की जाती है। हमारे जिले का मामला है। मुख्य मंत्री जी ने साफ लिखा कि इन परिस्थितियों में राइट आफ किया जाय। मदन लाल, मल्लाँव का मामला था। उस आदमी के पास जमीन नहीं। खाने से लिये पैसा नहीं। सभी आस पास के लोग जानते हैं। मुख्य मंत्री जी ने लिखा कि अगर परिस्थितियाँ सही हों, तो माफ कर दिया जाय लेकिन कर्ज राइट आफ नहीं किया गया। राइट आफ के लिये मुख्य मंत्री जी के आदेश काफी नहीं—उसके लिये अधिकारी वर्ग की जेब भी भरना जरूरी है। जिसकी क्षमता उसके पास नहीं है।

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री के आदेशों के यह हाल हैं तो माननीय मंत्री जी के आदेशों का क्या हाल होगा, मैं नहीं कह सकता। इतना अवश्य कहूंगा कि यह सहकारिता विभाग जनता की गर्दन में एक फंदा डाले हुए है। नारा बहुत अच्छा था लेकिन पत्थर के ऊपर सरसों बोने वाला काम आप कर रहे हैं। जहाँ आप अच्छी तरह से सोचकर थोड़ा बहुत करते भी हैं तो आपके अधिकारी मगरमच्छ की तरह बैठे हुए हैं और वे उन नीतियों को जनता के बीच नहीं जाने देते। सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन जिस नीयत से सहकारिता विभाग को स्थापित किया गया था, वह अब हवा हो गई है।

[श्री राम आसरे वर्मा]

आज अगर आप ईमानदारी के साथ जनता का हित करना चाहते हैं, जनता के दिलों से दहशत निकालना चाहते है, जनता की गर्दन में फंसे फंदों में से एक फंदा कम करना चाहते है। तो सहकारिता विभाग को एक रुपया देने की बात भी बहुत हैं। मैं तो कहूंगा कि सहकारिता विभाग को खत्म कर दीजिए। आप इस लायक नहीं हैं कि सहकारिता विभाग को चला सकें। जब यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मसला या कोई समस्या आती है तो सोचा जाता है कि संचालक मंडल निकम्मा है या अधिकारी, यह फैसला जब शासन न कर पाए तो उसे यह अधिकार नहीं रह जाता है कि विभाग को कायम रखे और विभाग के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद करे। शासन की वसूली करने वाली मशीनरी का भी हाल खराब है। जिन प्रभावशाली लोगों के उपर लाखों रुपया बकाया है, शासन वसूल नहीं कर पा रहा है और गरीब आदमियों के यहाँ से बर्तन उठाये जा रहे हैं।

छोटे कर्मचारियों को डंडा पकड़ा दिया जाता है। वसूली आप कीजिये परन्तु किसानों की परिस्थितियों को देखते हुए कीजिये। नहीं तो लोग गाँव और घर छोड़कर चले जायेंगे और बाद में आप उनका घर और खेती नीलाम कीजिए। आपके जो सुपरवाइजर हैं, अमीन हैं, उनका कुछ औचित्य भी है भ्रष्ट काम करने का। औचित्य इसलिए है कि जो उनकी जरूरतें है, शासन द्वारा निर्धारित नीति के मुताबिक जो उनको मिलना चाहिए, शासन नहीं दे रहा है। सेवा नियमावली न सचिवों की बनी है, न सहकारी अमीनों की बनी है। वे संगठित होकर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि सहकारिता विभाग है। गरीब के नाम पर शासन पैसा लेता है, सहकारिता विभाग के नाम पर, लेकिन सेवा अमीरों की होती है। ऐसी बिल्डिगें खड़ी की जाती है जहाँ वह गरीब, जिसके लिए सहकारिता विभाग कायम किया गया है, वह जा भी नहीं सकता है। अभी इस तरह की एक बिल्डिग यहाँ बनी थी जिसका उद्घाटन चौधरी चरण सिंह साहब ने किया था। इस प्रकार की बिल्डिगें अगर दीन दुखियों की हड्डियों पर खड़ी की जाती हैं और उनका ऐसे नेता द्वारा उद्घाटन कराया जाता है तो यह बड़े खेद की बात है। जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी हड्डियों के जर्जर ढांचे को बार-बार जेलों में बंद करते हैं। इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा।

सहकारिता का मैं बुनियादी तौर पर समर्थक हू लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज जो भी सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय सदस्यों ने एक सुझाव रखा है। अगर उस सुझाव को मानकर एक परिषद् बना दी जाती है सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को देखने के लिए, जिस पर कोई अंकुश न हो तो पहले यह देखें कि आखिर इन बुराइयों का श्रोत क्या है और इन श्रोतों को बंद करने की कोशिश करें। चूंकि माननीय मंत्री जी ईमानदार हैं। इस लिए अगर वह अपने दिल को टटोल कर देखें तो शायद उन के दिल में भी इस सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक तमाम भ्रष्टाचार अनियमितताओं से नफरत होगी..... (व्यवधान)..... हमारे बाबू बदरे साहब इसके लिए कुछ उपाय निकालेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सत्य पाल सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय पर कुछ ज्यादा बोलने का इच्छुक नहीं था लेकिन माननीय वर्मा जी की बातों को सुन कर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक ऐसी चीज कह दी जिसकी मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता था। वह एक इस माननीय सदन के जाने माने माननीय सदस्य हैं। उन्होंने यह कह दिया कि इस सहकारिता विभाग को ही

खत्म कर देना चाहिये। माननीय यादव जी जो पिछले दस सालों से आप लोगों ने इस विभाग पर दाँत लगा रखे थे, लूट मचा रखी थी, गबन का ढेर लगा दिया था, आज भी करोड़ों का रिकार्डेड गबन इसमें मिलेगा, पिछले दो सालों के अंदर जनता पार्टी के माननीय मंत्री ने इसमें जो कुछ भी सुधार किया है उसको छिपाना सूरज के ऊपर धूल डालने के बराबर है। क्या कोई कह सकता है कि सत्यापन उन्होंने कराया है? यह कह कर के सत्यापन थोड़े ही कराया गया था कि जो चोर है, बदमाश है, बेईमान हैं, लाखों का जिन्होंने गबन किया हो उन्हें माफ किया जाय, उनके लिए यह नहीं था। माननीय वर्मा जी इसके लिये जिम्मेदार हैं। जिस समय सत्यापन हो रहा था आप अपने क्षेत्र में उन गरीबों को मदद करते, उन अधिकारियों की शिकायत करते।

सत्यापन इसलिए हुआ था कि पिछली सरकार ने जो लूट मचा रखी थी, अपने गुरगों को फर्जी कर्ज के नाम पर कर्ज दिया था, उनको पकड़ा जाय और गरीब को राहत दी जाय। यह सही है कि उनको छूट नहीं थी, आप उनकी शिकायत करते। क्या आप ने माननीय मंत्री जी को शिकायत की थी तब वह जिम्मेदार हैं लेकिन यह कह देना कि कोई काम ही नहीं हुआ है यह बिल्कुल गलत है। आप ने 10 साल में कोई चुनाव नहीं कराये। अपने गुरगों को आधिपत्य में रखा। आते ही हमने जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों के चुनाव करायें, क्या यह कम सराहनीय है। इसके लिए जितनी सराहना की जाय कम है।

एक मामूली बात है। माननीय कौशल किशोर यादव जी को कोई गबन ऐसा नहीं दिखाई दिया जैसा कि नैनीताल में देखने में आया भण्डारण के लिए। करोड़ों रुपये का गबन हुआ है कोई देखने वाला नहीं है भन्डारण की जमीन के पास पाँच रुपये से लेकर 8 रुपये स्क्वायर फीट तक जमीन बिकी थी। यादव जी के दिमाग में इतना बड़ा गबन आया। यू0 पी0 लेबुल से ऊपर भारतवर्ष के लेबुल पर इतना बड़ा स्कैंडाल कोई नहीं हुआ। महज इस नाते कि किसी का चरित्र हनन करना था, चौधरी चरण सिंह का नाम इससे जोड़ना था। किसी नेता के नातेदार ऐसा काम कर सकते हैं यह इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि नेता उनकी हिमायत करता है तो उस पर कुछ कालिमा लगेगी कुछ धूल लगेगी नहीं तो आसमान पर बिल्कुल थूकने के बराबर होगा कि जो चरित्र हनन करने जायगा उस पर थूक पड़ेगा, उस नेता पर नहीं पड़ेगा। कौन बड़ी बात थी जब आसपास में 7 रुपये स्क्वायर फीट तक सन् 75 में जमीनें बिकीं तो 6 रु0 61 पैसे पर जमीन अगर वहाँ भंडारण के लिये बिक गयी तो कौशल किशोर यादव जी के लिये कौन सा आसमान फट गया? मौजूदा सरकार ने इस विभाग में जो काम किये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने बस्ती के सम्बन्ध में जो जो बातें कही हैं उन्होंने साफ-साफ नक्शा खींच दिया है। मौजूदा सरकार के मंत्री ने जो अच्छे काम किये हैं वह सराहनीय है उनको उन्होंने बतलाया और जो कमियाँ रह गयी हैं मैं बतलाना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारी इसमें है जिसके कारण मंत्री जी आपके हुक्म सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं उनकी भी उन्हें खबर लेनी चाहिए। इसी कारण सत्यापन में भी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैंने खुद दरख्वास्तें भेजीं लेकिन 6 महीने के बाद लिस्ट मिली क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि क्षेत्र के नेताओं तथा विधायकों को उनकी चोरी की बात मालूम हो सके। मैं वर्मा जी तथा यादव जी से कहूंगा कि उनके क्षेत्र का जो सत्यापन किया गया है उस लिस्ट को वह देखें ताकि उन्हें ज्ञात हो सके कितने जायज आदमियों का सत्यापन हुआ था और कितने जायज तथा नाजायज कर्जे को माफ किया गया है। उसके बाद माननीय सदस्यों पर जिम्मेदारी आयेगी, मंत्री तथा पार्टी पर नहीं आयेगी। केवल एक मंत्री कुछ नहीं कर सकता।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

तीस साल के पिछले शासन ने इतना कूड़ा पैदा कर दिया है कि उसे कोई भी एक दिन में साफ नहीं कर सकता। जो भी नियम तथा कानून बनाये हैं इस सरकार ने वह उस कूड़े को साफ करने के लिये बने हैं। यह दूसरी बात है कि आपके अधिकारी जो आज भी आपके दोस्त बने हुए हैं उस कूड़े को साफ नहीं होने देना चाहते और नियमों को नहीं चलने देना चाहते हैं और तीस साल में इस महकमे को एक भ्रष्ट महकमे के नाम से मशहूर कर दिया था। आज तक वह कूड़ा साफ नहीं हो पाया है लेकिन अब जितने भी नियम बनाये गये हैं उनके लिये मैं सहकारिता मंत्री को बधाई देता हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। उसके साथ वर्मा जी और यादव जी से कहूंगा कि वे अगर ठोस सुझाव लायेंगे और उन पर अमल नहीं होता है तो फिर हम उनके साथ होंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब मैं बोल रहा था तो माननीय मंत्री जी ने उन लोगों का नाम पूछा था जो पदोन्नति की गयी। मैं उन नामों को बतलाना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—

वर्माजी यह समय स्पष्टीकरण का नहीं है। आप बैठें। आप नाम बाद में बतला देंगे।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। जैसा कहा गया कि कुछ भी नहीं किया गया तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। पिछली सरकारों ने तीस साल में जो किया और उससे जो हालात पैदा हुए उसके कारण आज यह विभाग कोआपरेटिव के नाम से नहीं कौवा परेटी के नाम से पुकारा जाता है। जो उनके सामने हलफनामें लगा कर ले गये उनके खिलाफ इन्क्वायरी की।

और उनको स्टे किया। खोये के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि खोया हर साल बन्द कर दिया जाता है। मलाई की बरफी क्यों नहीं बन्द करते हैं, छेने की मिठाई क्यों बन्द नहीं करते हैं? क्यों बन्द नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो अधिकारी बैठे हुये हैं वे हजारों रुपया लेकर मलाई की बरफी पहुंचा देते हैं। दूध वहाँ से आता हैं जहाँ से कोई आने का रास्ता नहीं है। उस दूध का आज खोया नहीं बन पाता है और वह फटता जा रहा है। आप मलाई की बरफी भी बन्द कर दें। पचासों हजार रुपया साल की घूस खा जाते हैं, इसलिये मलाई की बरफी और छेने की मिठाई बन्द नहीं करते। जहाँ तक कोआपरेटिव की बात है रोज बताया जाता है कि हरिजनों को बिजली दी जायेगी। हमारे क्षेत्र में बुद्धेश्वर एक जगह है जहाँ तक आज तक हरिजनों को बिजली नहीं मिली.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य विषय पर आ जायं।

श्री मान सिंह आजाद—

कोआपरेटिव बिजली के बारे में बता रहा हूं जिसके अध्यक्ष हीरालाल यादव हैं। चाहे सरकारी ट्यूबवेल हो या ऋण हो यदि वह जमा न करें तो डिग्री हो जाती है। 2 साल तक कनेक्शन ही नहीं दिया जाता है। कई बार मैंने मंत्री महोदय से इस बारे में कहा कि मेरे इस क्षत्र को हाइडिल में निकाल दो और हीरालाल यादव को हटा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है क्योंकि एक ट्रांसफारमर से इनकी 1500 रुपये की बचत होती हैं और यह अधिकारियों की जेब में जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में एक गाँव है जिसने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं लेकिन अभी तक बिजली नहीं दी गई। इसलिये इस चेयरमैन को हटा दीजिये।

विश्व बैंक सारे उत्तर प्रदेश को ट्यूबवेल के लिये पानी दे रहा है ताकि सारे खेत में पानी पहुंच जाय लेकिन यही उसको सफल नहीं होने देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी बिजली हाइडिल में कर दी जाय। 30 साल से कोआपरेटिव में यही हो रहा है। एक हाथ से रुपया लिया जाता है और दूसरे हाथ से दिया जाता है। काँग्रेसियों सुन लो जो तुम कहते हो कि इस राज्य में कुछ नहीं हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि तीस साल में जो बैल्ट यानी नौकरशाही आपने बनाई है उसको यह सरकार फूटी निगाह नहीं सुहाती। ऐसा कह कर तुम न्याय नहीं कर रहे हो तो उन किसानों के साथ जिनके लिए यह सरकार काम कर रही है। हम तुमको इस कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे यह आप समझ लो। जनता पार्टी में लिखा हुआ है कि हमको आन्दोलन करने का पूरा अधिकार है इस लिए आप इसके कोई गलत माने न लगायें इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत माँगों का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जो मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं चपरासी यहाँ जो उनकी मदद करने के लिये आते हैं या अपोजीशन की तरफ से आते हैं उनको आदेश होना चाहिये कि जब कभी हाउस में आयें तो झुक कर आयें। सीधे तनकर नहीं आना चाहिये जरा झुक कर आना चाहिये।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि जब से जनता पार्टी का राज्य हुआ बहुत से अच्छे कार्य हुए। जो इन्होंने अच्छे काम किये उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। और कहा जा रहा है कि काँग्रेस ने इसका सारा गुड़गोबर कर दिया। आपने चुनाव कराये सबने उसका स्वागत किया, आपने सत्यापन कराया सब ने स्वागत किया, आपने कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की उसकी सबने तारीफ की। लेकिन बुनियादी प्रश्न क्या है, बुनियादी प्रश्न यह है कि नया कोआपरेटिव मूवमेन्ट का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं? आपने एक आफिसर को हटा दिया दूसरे को ले आये और कुछ छोटे-छोटे काम कर दिये तो मूल प्रश्न हल नहीं होता है। मूल उद्देश्य जो है 30 साल या उससे पहले जो लक्ष्य रखा गया था उस तह में पहुंच पाये हैं या नहीं?

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन का इतिहास 100 वर्ष से भी पुराना है। सबसे पहले कोआपरैटिव मूवमेन्ट का उदय तब हुआ जब इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई। जब पूंजीवादियों ने मजदूरों का शोषण किया, उपभोक्ताओं का शोषण किया तो उसको खत्म करने के लिए वहाँ के समाजवादियों ने सहकारिता आन्दोलन चलाया। आज अपने देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें पूंजीपति उपभोक्ता का भी शोषण कर रहे हैं और उत्पादक का भी शोषण कर रहे हैं। यह देखने की बात है कि यह सहकारिता आन्दोलन उसका कहाँ तक मुकाबला कर रहा है और जो बुनियादी प्रश्न है चाहे वह 30 साल का काँग्रेसी राज्य रहा हो या दो साल का आपका राज्य रहा हो। हम अपनी नीयत पर शक नहीं करते हैं। तो उस बुनियादी लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

देहातों के अन्दर कोआपरेटिव सोसायटीज बनीं, किसानों के भी सहकारी आन्दोलन हुए, बहुत सी सहकारी समितियाँ बनी हैं लेकिन जितनी भी सहकारी समितियाँ बनी हैं उनमें वही लोग हैं जो पुराने सामन्त थे जो गरीब जनता का शोषण करते थे आज वहीं इन कोआपरेटिव सोसायटीज पर हावी हैं। क्या यह बात सही नहीं है ? हमारे जो कोआपरेटिव बैंक खुले हैं उनमें किसका आधिपत्य है, वही पुराने सामन्तों का, उन धनी किसानों का जो छोटे किसानों का शोषण करते थे, आज उन लोगों का ही इन पर एकछत्र बोलबाला है। वही लोग इन एपेक्स सोसायटीज में हैं।)

(इस समय 4 बज कर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स पैदा हो गये हैं। जिन्हें आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जो पिछले 30 वर्षों से मगरमच्छों की तरह इन कर कब्जा किये हुये हैं। तो देहात और शहरों के अन्दर जिनके हितार्थ इस आन्दोलन की नींव डाली गई थी, उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला वही लोग उन पर कब्जा किये हुये हैं जिनके चंगुल से इन्हें निकालने के लिए इसका गठन किया गया था। लोन देने का उद्देश्य यह है कि वह इनसे अपने साधन बढ़ाएं, लेकिन इनसे फायदा धनी किसान ही उठा रहे हैं।

पहाड़ों पर देखा जाता है कि कृषि के नाम पर ऋण लिया जाता है और उससे ठेकेदारी की जाती है और जब वसूली का समय आता है तो ट्रांसफर एन्ट्री का सहारा लिया जाता है। पूंजीपति लोग अपने हर अपराध से बचने का रास्ता निकाल लिया करते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में ट्रांसफर एन्ट्री रास्ता निकाल रखा है। यह हर बैंक में और हर जगह चल रही है। मैं आपसे पूछना हूं कि इसे आप कैसे करेंगे ? इससे बैंकों के लाखों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है, जो गरीब और शोषित जनता का है। इसी तरह से किसानों की सहकारी सस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। इनका उद्देश्य यह था कि जिनके पास छोटी-छोटी जोतें हैं, वह सहकारी तौर पर अपनी खेती चला सकें। लेकिन हिन्दुस्तान में इसके विपरीत हो रहा है। बड़े-बड़े लोगों ने जिनके पास बड़े-बड़े फार्म थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों, नौकरों और बेनामियों को लेकर सहकारी समितियाँ बना रखी हैं। यह हर जगह पहाड़ और मैदान और चाहे गोपालपुर फार्म हो सब जगह हो रहा है।

विशारद कमेटी की सिफारिशें आपके सामने हैं और वह भी आपके दल में हैं और उनके विचारों वाले लोग आज सत्ता की कुर्सी पर है, लेकिन दो वर्षों में आपने उस पर कोई अमल नहीं किया है। केवल सत्यापन और चुनाव की बात कहने से काम हीं नही चल सकता है। आपने बुनियादी कदम कौन से उठाये हैं, जिनसे इनकी सार्थकता सिद्ध हो। कुछ बुनकरों ने, मजदूरों ने और पहाड़ों पर पी0 डब्लू0 डी0 के मजदूरों ने अपनी-अपनी सोसाइटीज बनाई हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि बड़े आदमियों ने जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई हैं, वह तो सारे सहकारी साधनों को लूट ले जाती हैं, लेकिन इन मेहनत करने वाले मजदूरों और बुनकरों को इनका कोई साधन प्राप्त नहीं होता है।

बुनकरों की क्या हालत हो रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बुनकरों की सोसाइटियों को सूत, कच्चा माल नहीं मिल रहा है, जिसकी इन सहकारी संस्थाओं को आवश्यकता है। पी0 डब्लू0 डी0 का मजदूर कहता है कि ठेकेदार हमारी लूट करता है, हमने अपनी सहकारी संस्थो बनायी है, हमारी संस्था को काम दीजिए। पी0 डब्लू0 डी0 के लोग काम नहीं देते। भले ही यहाँ से सर्कुलर गये हैं, हर मिनिस्टर ने सर्कुलर भेजे हैं चाहे कांग्रेस के हों, या आप रहे हों, किसी ने कागज पर इनकार नहीं किया कि सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सारे के सारे सर्कुलर आपके यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन हकीकत है कि इन सहकारी संस्थाओं को काम नहीं दिया जा रहा है।

पी0 डब्लू0 डी0 का ठेकेदार इंजीनियर साहब को 10 फीसदी घूस देता है। इतना भ्रष्टाचार समाज के अन्दर व्याप्त है, आप के विभाग के अन्दर, पी0 डब्लू0 डी0 के अन्दर इन सहकारी संस्थाओं को इस लिए काम नहीं मिल सकता चूंकि वहाँ के जो इंजीनियर हैं, सरकारी आफिसर हैं, उनको रिश्वत नहीं मिलती। जंगलात के अन्दर इन मजदूरों की सहकारी समितियों को इसलिए काम नहीं मिल सकता, चूंकि उनके पास रिश्वत देने के साधन नहीं हैं। यह बुनियादी प्रश्न है जिसको मंत्री जी अगर सहकारिता विभाग चलाना चाहते हैं तो हल करना पड़ेगा।

एक नया सिलसिला चला, कोआपरेटिव आन्दोलन के अन्दर एक नयी नौकरशाही बनाने जा रहे हैं। सारे के सारे अधिकार इन समितियों के बजाय नौकरशाही के हाथ देने जा रहे हैं। जो आपके कोआपरेटिव बैंक के छोटे-मोटे मुलाजिम हैं, उनको भी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स भर्ती नहीं कर सकते अपने सेवा मण्डल के अन्दर। अगर पहाड़ के अन्दर किसी चपरासी को रखना है तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को पावर नहीं है। लखनऊ में सेवा मण्डल है वह भर्ती करेगा। इसको डेमोक्रेटाइज कीजिये। यह बुनियादी प्रश्न है सहकारी आन्दोलन का। इनका हल ढूंढ़ने की कोशिश करें, काट-छांट करने से कोई काम नहीं चलेगा।

*श्री मकबूल हुसैन खां (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सौभाग्य की बात है कि हमारे भाई जो उस सीट पर बैठे हुए हैं, उनका कर्त्तव्य है विरोध करना, चाहे सच्ची बात हो या गलत। लेकिन चूंकि अखबार में छपेगा, इसलिए समाज में दिखाना होता है, नहीं तो कहा जायगा कि विरोधी दल ने कुछ नहीं किया। तीस वर्ष में मैंने जो समाज के हालात देखें, तीस वर्ष में पुरानी सरकार ने समाज को ऐसा बिगाड़ दिया था, जब मैं राज्य मंत्री था, सरकार के कोटा की चर्किंग हुई। दुकानों पर किया, सभापति की मोहर उस दुकानदार की गोलक में निकली। यह बताइये। हमारे मंत्री महोदय किस तरीके से सुधार करें। तीस वर्ष में जिस तरीके से पुरानी सरकार ने ढांचा खड़ा किया है, हमारी जनता सरकार उसको मिटाना चाहती है। हमारे मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष जो कदम उठाया है, जो सहकारिता का पुराना कोढ़ था उसको मिटाने के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जो इन्होंने यह कदम उठाया है। मैं ज्यादा न कह कर इतना और कहना चाहता हूं कि जो अदालत मुकर्रर की है, हमारे अभी दोस्त ने कहा कि पी0 डब्लू0 डी0 की जो यूनियन बनी है और रेलवे की जो यूनियन बनी है, जो लोग उसके प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी हैं, शाहगंज में बड़ा गड़बड़ करते हैं। यूनियन के लोग रो रहे हैं। मैंने रेलवे मंत्री श्री दंडवते को लिखा है कि उस यूनियन की जाँच हो।

मान्यवर, इस समाज को बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें एक साथ बैठ कर सोचना होगा, क्योंकि समाज बहुत बिगड़ चुका है। केवल मंत्री ही उसको अकेले ठीक नहीं कर सकता है। नेता हमारे बड़े तजुर्बेकार हैं, उनको सुझाव देना चाहिए कि यह काम किए जाय। जब ऐसा किया जायगा तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। हमें कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय नेगी जी बात कह रहे थे तो मुझे स्मरण आया कि जब गरीबों का शोषण हुआ और ऐसी परिस्थिति आयी तो उसके लिए महात्मा गाँधी जी ने सहकारी आन्दोलन की बात कही थी। सन् 1830 में इग्लैण्ड में रावर्ट ओवन ने समाजवादी शक्ति का प्रयोग किया। जब औद्योगीकरण चल रहा था तो उस समय गरीबों का शोषण हो रहा था तो ओवन ने उनको दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि वह एक पूंजीपति था। सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ। जब हमारे यहाँ पर यह महसूस हुआ कि पूंजीशाही गरीबों का शोषण कर रही है तो सहकारिता आन्दोलन का जन्म हुआ। हमारे यहाँ पर अभी काफी कठिनाइयाँ हैं और हमारे मंत्री जी ने बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास किया ह लेकिन वह सुधार भ्रष्टाचार को देखते हुए एक बूंद मात्र है।

महाराष्ट्र से हमें उदाहरण लेना चाहिए। वहाँ पर सहकारी आन्दोलन सफल रहा और सामान्य जीवन में जो विकास हुआ उसकी रूप रेखा को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। हमारा शोषण सत्ता सम्पन्न और धनपति करते हैं। अब भी बड़े-बड़े जमींदार बने हुए हैं जैसा कि अभी माननीय नगी जी ने कहा, उनके फाम हैं और वह मजदूरों का शोषण करते हैं। इधर जो किसान के लिए ऋण मिला उसकी स्थिति यह है कि भूमि विकास बक की जो विज्ञप्ति निकलती है। अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 70 या 80 प्रतिशत छोटी होल्डिग वाले किसान हैं। 2 एकड़ तक की भूमि वाले हैं, उनकी सारी जमीन नीलाम होने जा रही है। तो इस लम्बी सूची के कारण क्या है? आप किसानों और मजदूरों को खड़ा करने जा रहे हैं लेकिन उनकी भूमि नीलाम हो रही है।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से, माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे कोई रास्ता बतायें कि जो तेज लोग हैं, तिकड़मबाज लोग है। उन्होंने तो अपने ऋण माफ करा लिए ह। लेकिन जिनके लम्बे हाथ लखनऊ तक या दूसरे स्तर तक, ब्लाक स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते, हैं वे ज्यों के त्यों रोते रह गये हैं। मैं अपने यहाँ की पुरदिल नगर की बात करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आदेश कर दिया कि वहाँ की सोसाइटी हटा दी जाय। वहाँ पर जो डाइरेक्टर्स हैं उन्होंन 2—1 आदमियों से मिल कर खाद के बोरे ही कम करा दिए और बीज भी पुराना देना आरम्भ कर दिया। मैं एक बार वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर लोग रो रहे थे। जो चोरी करते हैं आप उनका ट्रांसफर करते हैं। आप एक आदमी को सस्पेन्ड करते हैं तो अगले दिन ही यहाँ पर उस बारे में प्रश्न आ जायेंगे कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? आज नौकरशाही आपकी मजबूत होती जा रही है और विधायकों के माध्यम से प्रभाव शाली व्यक्तियों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक एक लिंक बन गया है। तो इस भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए।

माननीय सहकारिता मंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आलू की स्थिति को देखें। अगर इसके लिए इस साल हर जिले में ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बनवा दें तो समस्या का हल हो सकता है। आज आपकी सहकारी समितियाँ गेहूं खरीद रही हैं। म निवेदन कर दूं कि पैसे वाले उस गेहूं को 100, 101 या 102 रुपये प्रति क्विन्टल खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे बैंक उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। हमारे कोआपरेटिव बैंक किसानों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। मैंने गत वर्ष भी प्रयास किया तो मंत्री जी ने कहा था कि हमारे बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो शोषित है, नंगे है, भूखे हैं, जो गांवों में रहते हैं, सहकारिता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं आज जो आपने सहकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समितियां खड़ी की हैं वे कोई काम नहीं कर रही हैं। आपके जो इन्डस्ट्री आफिसर है या अन्य अधिकारी हैं वे उदासीन हो गये हैं। आप उनको प्रभावशाली बनाइये और जो जिला स्तर पर सहकारी आन्दोलन है उसको सफल बनाने के लिए उनको उत्तरदायित्व सौंपिए और कहिये कि उसको इस प्रकार से चलायें जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके। आपके जो भूमि विकास बैंक है उनको तो मैं भूमि विनाश बैंक ही कहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु मुझे कुछ तकलीफें सहकारिता विभाग की तरफ से हैं जिससे मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक, इन दोनों बैंकों पर एक ही बिरादरी का कब्जा है। 70 फीसदी हरिजन किसान ही इनसे कर्ज लेते है। आज इन्हीं 70 फीसदी हरिजन किसानों की भूमि नीलाम हो रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर इस सहकारिता विभाग पर ही एक ही बिरादरी का कब्जा है। इसी कारण इस विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है।

मैं एक उदाहरण अपने ही जिले के जिला सहकारी बैंक का देना चाहता हूं। मेरे यहां के इस जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आज कल वह व्यक्ति है जो दो बार विधायक रह चुके हैं। जब तक वे विधायक रहे अपना निजी मकान नहीं बना पाये, पर जब से वे इस के चेयरमैन हुये है, अर्थात् 3 माह में ही उन्होंने 35 हजार रुपये का मकान खरीद लिया है, यह भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल है।

माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में हरिजनों की भूमि नीलाम न हो। अभी हमारे यहां ग्राम म्यूना तहसील, तिलहर जिला शाहजहांपुर के एक छवि जाटव की 16 बीघा जमीन जो 8 हजार की थी उसको नीलाम करके 3200 रुपये में 13 वर्ष के एक नाबालिग लड़के के हाथ दे दी गयी। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि इन लोगों की भूमि को सरकार स्वयं ले ले, किसी अन्य के हाथ नीलाम न करे और जब वह व्यक्ति पैसा अदा कर दे तब वह भूमि उसे वापस दे दी जाय।

इसके अलावा इन बैंकों पर जो एक बिरादरी का कब्जा है उसका विकेन्द्रीयकरण भी होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता मंत्री द्वारा पेश किये हुए अनुदान का समर्थन करता हूं और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, मैं श्री सत्यपाल सिंह यादव जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि 5 मई को जब चौधरी चरण सिंह जी आये थे, तो उन्होंने कहा था कि परिषद का गठन किया जाय। माननीय मंत्री जी ने उस परिषद का गठन किया, वह स्वागत योग्य है। चौधरी साहब ने एक बात और कही थी कि इस विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है, उसको भी दूर किया जाय। लेकिन उसके बारे में कोई कार्य नहीं हुआ। वह इसलिए दूर नहीं हुआ कि अगर सहकारिता विभाग से भ्रष्टाचार दूर हुआ तो रैली के लिए लाखों रुपये मिलेगा कहां से? रैली में रुपया इकट्ठा करने के लिए यही सब तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव बहादुर सिंह]

साधन हैं। 4 करोड़ 90 लाख रुपये वह बट्टे खाते में डाल देंगे। उसको राइट आफ कर देंगे। आपको राइट आफ करने का अधिकार किसने दे रखा है। आप इसलिए नहीं गये हैं कि सरकारी धन को राइट आफ करें। एक दिन अगर यह आदत पड़ी तो यह निश्चित है कि इसको भी बट्टे खाते में डाल देंगे। 4 करोड़ 90 लाख रुपया किसको मिला। जमीन नीलाम करके यह 4 करोड़ 90 लाख रुपया निश्चित रूप से वसूल करें। राइट आफ करने का यह सरकार का अधिकार नहीं है।

यह तो अल्पकालीन ऋण है, इसको वसूल करने के लिए आपने अमीन नियुक्त किया है और आप जानते हैं कि 12 परसेन्ट सूद अगर साधारणतः कर्जा वापस कर दिया जाय और वह समय से नहीं देता है, तो 10 परसेन्ट पैनालिटी और 2 परसेन्ट कलेक्शन का उस पर लग जाता है यानि 24 परसेंट उस पर लगता है। उसको कहते हैं कि पन्चानवे दफा की कार्यवाही। जो अमीन हैं, वे वसूल करते। चुपचाप बैठे रहते हैं ताकि कार्यवाही अधिक से अधिक पन्चानवे की करनी पड़े। इस कार्यवाही को समाप्त करिये। उसमें संशोधन करके आप ऐसा कर दें कि जो अमीन है उनके लिए वसूली सुनिश्चित कर दें कि इससे कम वसूली करेगा, तो तुम्हारे करेक्टर रोल में इन्ट्री होगी, तब वह रुचि लेंगे। आपने जो चुनाव कराया, आपने देखा कि जो समिति का चुनाव हुआ, उसके बाद डेलीगेट्स का चुनाव हुआ, उसमें सहकारी समिति के प्रतिनिधि सब आये, फिर संचालक मंडल के सदस्य थे, वहीं आये, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में पुनः आप विचार करें कि प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब सीधे चुनाव हो रहा है, तो प्रतिनिधियों का चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रतिनिधि का चुनाव कराते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से संचालक मंडल का भी चुनाव होना चाहिए। गन्ने में भी आप ही का कानून लागू हुआ था।

दूसरी बात हमें यह कहना है कि शुरू में कटौती का प्रस्ताव आपने रखा था, बहुत सही रखा था। 1977 में हमने रखा था। जो किसान अपनी भूमि बन्धक जब रखता है, तो उसको उचित पैसा क्यों नहीं दिया जाता है कि वह अपने आप पम्पिंग सेट खरीद ले। मान्यवर, आप भूमि विकास बैंक में पास लिस्ट देखें सैकड़ों किसानों की जमीन रोज नीलाम हो रही है। अगर फसल से पैसा न वसूल हो, तब जमीन नीलाम करने की बात कीजिए। सारे सदन के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से भूमि विकास बैंक को भूमि विनाश बैंक कहा है। तो मैं चाहूंगा कि भूमि विकास बैंक के नाम को सार्थक करें। जब से बन्धुवा मजदूरी समाप्त हुई तो जो दबे हुए लोग हैं, मजदूर हैं उनके लिए उपभोक्ता ऋण की व्यवस्था की जाय और जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती तब तक वह काम नहीं हो पायेगा इसलिए आप उपभोक्ता ऋण कितना दे पायेंगे, ताकि उनकी रोज-रोज का कार्य चल सके। 50 शीत गृह बनायेंगे, न तो इनके पास सीमेन्ट है, न ईंट है न लोहा है। 30 लाख टन आलू बरबाद हो गया, अगले साल निर्माण करायेंगे जब आलू नहीं मिलेगा। किसान बहुत परेशान हो गया है। फेडरेशन आलू खरीदेगा। उत्तर प्रदेश में बाजार भाव से एक रुपया ज्यादा आलू खरीदेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री देव बहादुर सिंह—

इसलिए मेरा सुझाव है कि जब परिस्थितियाँ आयें तो समय से उसको देखना चाहिए। 50 हजार हेक्टेयर ज्यादा आलू जब इस वर्ष बोया गया तो निश्चित रूप से मार्केट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन उचित व्यवस्था नहीं की। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव––

मेरे कटौती के प्रस्ताव का लगभग सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। माननीय सहकारिता मंत्री के विषय में किसी ने भी उनकी नीयत पर शक नहीं किया है। उनकी कर्मठता के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

सहकारिता विभाग ने 3 पहलुओं पर विचार किया। पहला इसको सरकारीकरण से मुक्त करके स्वतंत्र रूप देना, व्याप्त भ्रष्टाचार, हरिजन तथा दलित, कमजोर वर्ग के उत्पीड़न। सरकारीकरण से मुक्त करके सहकारी रूप देने में प्रजातांत्रिक रूप देने में सफल प्रयास किये। चुनाव कराया इसके लिए मैं समझता हूं मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी उन्होंने किया भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, गलत नहीं किया। और जो आपने नहीं किया उसके लिए आप आलोचना के पात्र हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे के सारे विभाग में भ्रष्टाचार को टालने के लिए आपने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है। भ्रष्टाचार से दूर हो जायें, ईमानदारी से काम करने लगें तो मैं समझता हूं कि 80 प्रतिशत जनता का भला हो सकता है लेकिन उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आप सक्षम नहीं हो रहे हैं। गरीबों, हरिजनों, दलितों के लिए इसे प्रारम्भ किया गया। इनका जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा, नीलामी द्वारा उनकी जो बरबादी हुई है, उन्हें भूमि हीन बना दिया जाता है। लखनऊ जैसी बड़ी राजधानी के अन्दर सहकारिता भवन बनाया जा रहा है। यह सहकारिता भवन आपके सहकारिता विभाग की प्रगति के द्योतक न होकर गरीबों के शोषण का प्रतीक है। गरीबों की कब्र पर बनाया जा रहा है। इस विशाल भवन से गरीबों के खून और पसीने की गन्ध आयेगी।

आपने कहा कि पी0 सी0 यू0 के अन्दर गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना दिया जायेगा, आप विशेष न्यायालय बनायेंगे, वसूली आयोग बना रहे हैं। आप रेडियो पर बोलेंगे, सराहना के पात्र होंगे, अबखारों में मोटे अक्षरों पर आपका नाम आ सकता है। गरीब किसानों के लिये आपके सहकारिता आन्दोलन से कोई राहत नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जो उन्होंने घोषणा की है उनको घोषणा करने से जनता का भला नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की जनता को आपके आन्दोलन से परेशानी ही है।

आपको दो घोषणायें करनी चाहिये थीं। पहली घोषणा यह करनी चाहिये थी कि आज से उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी पांच एकड़ से कम भूमि के किसान की भूमि की नीलामी कर्ज की बिना पर नहीं होगी, उसकी व्यवस्था के लिये आप कोई तरीका निकालेंगे। आप अपने कार्यकर्ताओं से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से इसके लिये कहते कि उनकी भूमि की नीलामी न की जाय। उनकी फसल कटवाते, कुर्की करवाते। तब पता चलता कि आपकी भावना है कि गरीबों का हित हो। किसी भी महाजन से जो गरीब किसान कर्ज लेता है उसकी भूमि नीलाम होने की नौबत कभी भी नहीं आ पाई। लेकिन आपके सहकारिता आन्दोलन के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि 5 एकड़ के अन्दर वाले किसानों की भूमि नीलाम हुई है। बहुत से बड़े आदमी हैं जिन्होंने कर्ज लिया है, किसी बड़े आदमी की भूमि नीलाम नहीं हुई। जमीन गरीब की नीलाम होगी। उसकी जमीन की नीलामी से बचाने के लिये आपको सदन के अन्दर घोषणा करनी चाहिये थी। इस घोषणा को सुनकर देहात में बैठा हुआ किसान भी खुश होता। कहता कि मंत्री जी ने हमारे लिये कुछ किया है। गरीब का उत्पीड़न मिटाने के लिये कोई घोषणा नहीं की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

भ्रष्टाचार मिटाने के लिये कोई घोषणा नहीं की गयी। सहकारिता आन्दोलन उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं पूरे देश में व्याप्त है। इसकी कमियों को दूर करने के लिये, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक आयोग के गठन करने की घोषणा करनी चाहिये थी। जो इसकी कमियों को दूर करता, जो अपनी रिपोर्ट देता और जिसे आप कार्यान्वित करते।

एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने बजट में सहकारिता के मद को पढ़ा साथ-साथ पूरे बजट को पढ़ा। 56 जिलों में 55 जिलों के नाम हैं, शाहजहाँपुर जो हमेशा शोषित रहा है, इसका नाम नहीं आया। न आपकी तरफ से आया है और न ही सम्पूर्ण बजट में। मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि आप इसे शामिल करें, यह कोई आवश्यक नहीं है। जब हमारे सारे के सारे मंत्रि-मंडल में इस जिले का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। यह हमेशा से उपेक्षित ही छोड़ा गया है।

मैं सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का समर्थन करते हुये उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जो सहकारिता के अनुदान पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से सुझाव आये, विचार आये, उन्हें मैंने सुना। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे भी सुझाव दिये हैं जिससे मुझे सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज की बहस में मुख्य तौर पर 3 बातों को कहा गया। नम्बर एक तो भूमि विकास बैंक के बारे में कहा गया कि यह भूमि विनाश बैंक है। इतने जोरदार शब्दों में कहा गया कि सारे प्रदेश की जमीन नीलाम हो चुकी है।

मैं मान्यवर, बता देना चाहता हूं कि 9 लाख सदस्य इसमें है, इसमें से नीलामी की कार्यवाही 2644 लोगों के ऊपर अभी तक हुयी है और उसमें से भी 1202 की पुष्टि हुयी है। आप हिसाब लगा लीजियेगा। 10 हजार में 13 लोगों का अनुपात आता है। दस हजार में 13 लोगों की नीलामी हुयी है। लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूं मेरा तो प्रयास है कि प्रदेश के एक भी किसान की जमीन नीलाम न होने पाये। तो इस तरह से माननीय सदस्यों को यह ख्याल नहीं है कि भूमि विकास बैंक से कितनी सिंचाई प्रदेश में की गयी। अकेले भूमि विकास बैंक ने करीब 1 लाख ट्यूबवेल लगाये हैं और प्रदेश की सिंचाई में हिस्सा बटाया है। इसके बावजूद भी इस तरह की आलोचना की गयी। इसी तरीके से आज बहुत बड़ा सवाल सत्यापन के बारे में उठाया गया कि सत्यापन गलत हुआ है लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि फलाँ सदस्य का सत्यापन गलत हुआ है। 3 करोड़ 90 लाख राइट आफ हुआ है, जैसा देवबहादुर जी कह रहे थे कि आपको इसका अधिकार नहीं है तो मैं मानता हूं कि अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं होगा कि 4 करोड़ 90 लाख जो राइट आफ होने जा रहा है उसमें जिम्मेदारी भी ठहरायी गयी है। जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, हर तरह की कार्यवाही की जायगी। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहते है किसी का सत्यापन गलत है तो मैं पुनः सत्यापन करने के लिये तैयार हूं। वह हमें लिस्ट दें।

सत्यपाल सिंह जी कह रहे थे कि गरीबों को बन्द कर दिया गया है। वर्मा जी कह रहे थे कि गरीब की रीढ़ तोड़ दी गयी है। लेकिन इन दो वर्षों में बड़े-बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। इसका उदाहरण मैंने रखा था कि 217 लोग ऐसे थे जिन पर 50 हजार, एक लाख या 2 लाख के गबन के मामले थे उनमें मैंने प्राथमिकता दी कि बड़े लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसीलिये 217 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि 2 करोड़ 70 लाख पये की वसूली डेड़ साल में की गयी।

माननीय देव बहादुर जी के समय में 1971 के बाद केवल 10 लाख रुपया वसूल किया गया था। जहाँ तक गिरफ्तारियों का सवाल है 432 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 5 सहायक विकास अधिकारी, 49 सुपरवाइजर, 27 बैंकों के कर्मचारी, 67 सचिव और 284 सरपंच हैं। तो जो सदस्य यह कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के लिये कुछ भी कदम नहीं उठाये गये, तो इससे बड़े कदम क्या उठाये जा सकते हैं। मान्यवर, विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है। 9 विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। इनके आदेश जारी हो गये हैं। शीघ्र ही इन न्यायालयों में सहकारिता के मुकदमे पहुंचेंगे, यह एक बड़ा कदम है। मान्यवर, श्री नेगी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं इसलिये मैं उन पर विचार करुंगा और लागू करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह कहना कि कोई चुनाव करा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो नेगी जी, जब मुझे यह विभाग मिला था तो जिलों में समितियों में प्रशासक नियुक्त थे जिनके विरुद्ध जाँच करना मुश्किल हो गया था और यहाँ तक कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत करने वाला नहीं था। लेकिन अब चुनाव हो जाने से जनता के चुने हुये प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त हैं इसलिये उनके विरुद्ध यदि शिकायत होगी तो जाँच होती है। इसलिये यह चुनाव कोई मामूली बात नहीं है। मान्यवर, सहकारी आन्दोलन का मूल उद्देश्य गरीबों का हित करना है इसलिये यह आन्दोलन उन्हीं के हाथों से चलाया जा रहा है। इसलिये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हिन्दुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराये गये हैं।

मान्यवर, सत्यापन में यदि कहीं गलती हुई है तो मैं पुनः सत्यापन कराने के लिये तैयार हूं और दोषी कर्मचारियों को दंड देने के लिये तैयार हूं लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह सहकारी आन्दोलन नहीं चलने वाला है। इसलिये बिना दल के भेदभाव रख हुये, बड़े-बड़े लोगों का जो एकाधिकार था उसको मिटाने के लिये सब लोगों का मिलना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, श्री पालीवाल ने कहा था कि दीर्घ कालीन या अल्पकालीन ऋण के बारे में जो लोग नहीं जानते थे लेकिन उनके भी नाम लिख दिये गये हैं। इसलिये यदि यह बात सत्यापन में आती है कि जिन्होंने यह ऋण नहीं लिये है और उनके नाम लिखे है तो उनसे यह ऋण नहीं लिया जायेगा।

मान्यवर, झांसी में शाखा प्रबन्धक के बारे में कहा गया कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं बताना चाहुंगा कि उनको 2 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया था।

मान्यवर, श्री सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा था कि किसानों को ऋण मिलने में असुविधा होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पहले नियम था कि एक साल का क्रेडिट लिमिट स्टेटमेन्ट बनता था लेकिन अब 3 साल में एक बार वह बनता है जिससे किसानों को ऋण मिलने में सुविधा हुई है। इसके अलावा पहले क्रेडिट लिमिट स्टेटमेन्ट के बाद लोन एप्लीकेशन पास करानी पड़ती थी जब लोन मिलता था लेकिन अब क्रेडिट लिमिट पास हो जाने के बाद ऋण मिल जाता है और लोन एप्लीकेशन पास कराने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने सामान्य बातें कहीं है जैसे भ्रष्टाचार के बारे में और सत्यापन के बारे में तथा विशेष तौर से एक कमेटी गठित करने क संबं में कि वह इन बातों पर विचार करे। तो मैंने मान्यवर, पहले ही कहा था कि मैं इस तरह की एक कमेटी गठित करने की घोषणा थोड़े दिनों में कर दूंगा। इस तरह जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया उन सारे माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और

[श्री मुलायम सिंह यादव]

एक बात जरूर यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय देव बहादुर सिंह जी ने कहा जिसकी मैं उनसे आशा नहीं करता था—कि करप्शन इसलिये नहीं मिटा सकते क्योंकि किसान रैली के लिये चन्दा लिया ह। मैं, उनको चुनौती तो नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं कि इस तरह से जनता पार्टी के किसी मंत्री ने और सहकारिता मंत्री ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसान ैली के लिये या किसान रैली की मदद के लिये काई चीज नहीं ली है। वह तो किसानों की, लाखों लोगों की रैली थी और दुनिया में कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुयी। अपने आप लोगों ने पैसा दिया। इसमें किसी मंत्री ने कुछ नहीं किया। अगर कोई इसमें शामिल हुआ तो उसकी ही शोभा बढ़ी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी, एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं सकते।

अन्त में मैं पुन: उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और अन्त में मैं माननीय सत्यपाल सिंह यादव से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वसूली के सिलसिले में कहीं-कहीं पर इस तरह की शिकायत मिली है कि जहाँ पर आपके कर्मचारी ने फर्जी रसीद काट दी थी, वह उसको कबूल भी कर रहे है, लेकिन फिर भी किसानों से पैसा लिया जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अगर आप लिखकर दे दें, तो कार्यवाही करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री सत्यपाल सिंह यादव से) आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा कर दें कि आज से नीलामी नहीं होगी, तो मैं विचार करूंगा।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, किसान पैसा दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनसे पैसा वसूल किया जाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस साल कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई पास-बुक बन जाय ताकि किसान जैसे ही पैसा जमा करे, उसकी पासबुक में पैसा जमा हो जाया करें।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52 के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक, धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,76,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,32,86,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122–सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 87,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की सूचना

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैंने आज सुबह आपसे निवेदन किया था कि परसों और नरसों दिल्ली में माननीय मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये । एक तो संसाधनों के बंटवारे के बारे में, दूसरा पंचायती राज के बारे में । जैसा आपने देखा, लोकल बाडीज के चुनाव तो इस सरकार ने टाल दिये, अब पंचायतों के बारे में क्या करके आए हैं ? कृपया इस सदन को भी सूचित करें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो प्रस्ताव है, जो सदन की इच्छा है, उससे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत करा दूंगा । मुख्य मंत्री जी आज या कल, जब चाहें इस बारे में बयान दे सकते हैं ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सम्मेलन में अशोक मेहता कमेटी की संस्तुतियों पर विचार विमर्श हुआ । अशोक मेहता कमेटी की मुख्य संस्तुति यह थी कि दो स्तरीय निकाय होने चाहिए, एक तो मंडल और एक जिला स्तर पर। इस पर हमारे प्रदेश की राय इससे भिन्न थी । मंडल स्तरीय समितियाँ, जिनकी आबादी पन्द्रह-बीस हजार है, और जिला-स्तरीय समितियाँ, यह उपयुक्त नहीं है । हमारे यहाँ काफी समय से तीन-स्तरीय ढांचा है, ग्राम पंचायत, खंड समितियाँ और जिला स्तर । अब यह ब्लाक इतना पुराना हो चुका है, वहाँ पर कार्यालय है और एक संस्था भी प्रतिष्ठापित हो चुकी है, इसलिये हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसी दास]

राय यह थी कि ब्लाक ही रहना चाहिए। ग्राम पंचायतों के साथ परम्परा और इतिहास जुड़ गया है इसलिये ग्राम पंचायतें भी रहनी चाहिए। जिला स्तर पर जो कमेटी हो, उस का मुख्य कार्य नियोजन का हो, प्रशासकीय न हो और अधिकाँश विकेन्द्रीकरण ब्लाक के स्तर पर हो। प्राइमरी शिक्षा, पशुपालन, कृषि, लघु सिंचाई, लिंक रोड्स, यह सब कार्य ब्लाक के सुपुर्द कर दिये जायें। इनको संसाधन जुटाने का भी अधिकार हो। बे लेवी लगा सकते हैं, सरचार्ज लगा सकते हैं, कर भी लगा सकते हैं और विधान सभा को भी यह अधिकार हो कि ब्लाक्स के लिए वह कर लगा सकें। यह हमारा प्रस्ताव था। चुनाव 5 साल के लिए हो। चुनाव कराने का दायित्व जैसा है, इलेक्शन कमिश्नर पर हो। प्राय: अधिकाँश मुख्य मंत्रियों की राय तीन-स्तरीय ही थी। वहाँ पर कोई निर्णय तो हुआ नहीं। एक समिति बन गई है। मेरी राय और बहुत लोगों की राय इस बात के खिलाफ थी कि संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है। हमने यह कहा कि यह अधिकार तो विधान मंडलों को ही होना चाहिए। यह बात वहाँ पर मान ली गई। मुख्य तो यही थी।

चुनाव प्रणाली के बारे में हमारा मत था, ग्राम सभा के चुनाव तो प्रत्यक्ष होते ही हैं और ब्लाकों के बारे में हमारी सरकार की राय यह है कि दस हजार के करीब-करीब क्षेत्र हों जिनसे एक प्रतिनिधि सीधा चुना जाए ब्लाक के लिए। इसी प्रकार ब्लाक कमेटी 11–12 सदस्यों की चुनी हुई कमेटी हों। और ब्लाक प्रमुख प्रत्यक्ष चुना जाय। यह हमारी संस्तुति थी।

जहाँ तक जिला समिति का सवाल है वह अप्रत्यक्ष हो। उस में ब्लाक प्रमुख, एम0 एल0 ए0, पार्लियामेन्ट के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, विशेषज्ञ लोग रहते हैं, उनका मुख्य कार्य योजना बनाने का हो क्योंकि बहुत लोगों का मत था कि जिला स्तर पर दो प्रकार की संस्थायें हों एक तरफ वह जिस का हेड कलेक्टर हों और दूसरी तरफ हेड निर्वाचित हों। बहुत लोगों का मत था कि इसमें एक द्विभेद पैदा हो जाता है और एक प्रकार से द्विराज्य हो जाता है। अभी इस बात के लिए कोई तैयार है नहीं कि जिला स्तर पर चुनी हुई कमेटी को प्रशासन सौंपा जाय। यहाँ तक कि बंगाल के लोग जो प्राय: अपनी अलग लाइन लेते हैं इस बात के पक्ष में नहीं थे। तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक भी इसके विरुद्ध थे। तो वहाँ पर अब तो एक सब कमेटी बन गयी है।

दूसरा प्रश्न हमारे सामने था टैक्स का संघ और राज्यों के बीच विभाजन क्या हो। मुख्यत: प्रश्न यह था जैसे कारपोरेशन टैक्स, सरचार्ज टैक्स, पेसेन्जर टैक्स जो रेलवेज का था और इनडाइरेक्ट, एक्साइज ड्यूटी। कारपोरेशन टैक्स सबसे पहले सन् 1959 में पार्लियामेन्ट में एक बिल के द्वारा आया और हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकिल 277 (4) के अनुसार यह एक मात्र केन्द्र का अधिकार है। कारपोरेशन टैक्स विभाज्य नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे संशोधन किया जाय, संविधान में इसको विभाज्य बनाया जाय। लेकिन इसमें दो मत थे। जितने भी सम्पन्न राज्य है, बंगाल, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात पंजाब, ये तो इस पक्ष में थे कि कारपोरेशन टैक्स विभाज्य है, अलग से हो लेकिन हम जितने पिछड़े राज्य थे वे इसके पक्ष में नहीं थे। हमारा कहना यह था कि कारपोरेशन टैक्स पृथक न हो। अगर रखना ही है तो जैसे 1959 से पहले इनकम टैक्स का रहता था वह रहे। अगर ऐसा होता है तो 85 प्रतिशत इनकम टैक्स विभाज्य होता है राज्यों में और उसमें 90 प्रतिशत मिलता है। आबादी के आधार पर और 10 प्रतिशत मिलता है जितने कलेक्शन होते हैं उसके आधार पर। तो इसलिए स्वाभाविक है हमारा राज्य गरीब है। लेकिन मेरा मत यह था कि सातवें फाइनेन्स कमीशन की संस्तुति के बाद यह प्रश्न उठाना उचित नहीं है....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बड़ी बनियागीरी का हिसाब लगाया आपने. . . .

श्री बनारसी दास—

ऐसा करना है तो इस वक्त अगर मान लें तो 85 प्रतिशत विभाज्य होगा तो केन्द्र को 1500 करोड़ देना पड़ेगा और वह हम से दूसरी जगह टैक्स काटेगा। हम इस के विरोध में थे। यह प्रश्न तब तक टाला जाय जब तक आठवां फाइनेन्स कमीशन न बैठ ले। हमने फाइनेन्स मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी से यह अपील की कि आप स्वतः कारपोरेशन टैक्स का कुछ भाग उन राज्यों को दे दें जिनकी पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय स्तर से नीचे हो। सरचार्ज का इसी प्रकार से। रेलवे टैक्स पर हमारा कहना यह था कि पहले 1959 से रेलवे का टैक्स 10 प्रतिशत था, पेसेन्जर टैक्स, कम्प्यूटर्स को छोड़ दीजिये लेकिन अब रेलवेज देती है 16 करोड़ रुपया। हमारे हिसाब से हमने बताया था 62 करोड़ रुपया क्योंकि 620 करोड़ इस साल पैसेन्जर टैक्स की आमदनी थी। तो हमारी संस्तुति यह थी कि इस साल 62 करोड़ रुपया हमको बाँट दीजिये सब राज्यों को और उसमें हमारा हिस्सा करीब-करीब 17 परसेन्ट आता है। क्योंकि इतने हमारे यहाँ पर टैक्सेज बनते हैं इसलिये 62 में 40 करोड़ और बाँट दें। इसका मतलब यह है कि हमको 8, 9 करोड़ रुपया और मिल सकता है।

दूसरे टैक्सटाइल, शुगर और तम्बाकू पर अतिरिक्त कर है और एडवोलरम इस पर ड्यूटी 10.8 होना चाहिये लेकिन केन्द्र अपनी ड्यूटी बढ़ाता है, हमारी नहीं बढ़ाता है और इसके अलावा केन्द्रीय एक्साइज तथा एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी दो एक के रेशियो में होनी चाहिये। इस प्रकार से जितने टैक्सेज उसमें 32 करोड़ और मिलना चाहिये। केन्द्र कहता था, सीमेन्ट, बनस्पति और पेट्रोल इन चीजों को और केन्द्र को दे दिया जाय और यहाँ सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जाय। हम इसके विरोध में थे और अन्य राज्य भी विरोध में थे। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी आमदनी का श्रोत कम हो जाता है। फिर जो फार्मूला छठे आयोग ने रखा उसमें हमको मिलता था, 16 से 14 परसेन्ट। 7 वें में मिलने लगा 12 परसेन्ट। वह आधार बनाते हैं वहाँ पर कलेक्शन का और कलेक्शन वहाँ ज्यादा होता है जहाँ समुद्र हैं, कल कारखाने हैं। इसलिये हमने कहा कि इससे हमारे साधन कम होंगे। प्रायः सभी राज्य इसके विरोधी थे। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने उस चीज को मान लिया। यह मुख्यतः वहाँ का विषय था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

एक स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अशोक मेहता कमेटी के संन्दर्भ में वहाँ पर विचार हुआ और उत्तर प्रदेश की राय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की। एक सब कमेटी बन गयी जो उस पर विस्तार से विचार करेगी। उस सब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी। रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार विचार करेगी। उसके बाद निर्णय होगा। क्या पुनः उत्तर प्रदेश सरकार विचार करेगी उस पर अथवा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राय बना ली है, उसके हिसाब से ग्राम सभा, ब्लाक तथा जिला परिषद के चुनाव करा दिये जायंगे ?

श्री बनारसी दास—

यह भी निर्णय हम को ही करना होगा। हम तो यह मानते हैं कि देश में विभिन्नताएं हैं, उनको नजर में रखना होता है। आप कहने लगें गोवा के अन्दर, नागालैण्ड के अन्दर हो तो खुद जिला परिषद के बराबर है वहाँ की असेम्बली। तो इस तरह की कोई संस्तुति नहीं कर सकते। लिहाजा फिर यह मसला आपके सामने आयेगा। इस प्रश्न पर हमारी मंत्रि परिषद समिति में भी विचार हुआ था। जो संस्तुति हमने जा कर वहाँ की तो यह थी जो प्रथा यहाँ पर प्रचलित है और जिस वक्त इस पर विचार होगा तभी सब लोगो को अपना मत देना चाहिये और अवसर भी मिलेगा अपने विचार प्रकट करने का।

आज दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिन के लगभग 12 बजकर 20 मिनट पर दर्शक दीर्घा न0 1 से पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की घटना हुई । इस सम्बन्ध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वह इस प्रकार है :—

"आज दिनाँक 21 मई, 1979 को विरोधी पक्ष के ऊपर की दर्शक दीर्घा नं0 1 से एक नवयुवक ने, जो कि अपना नाम श्री घनश्याम राय, निवासी जिला आजमगढ़ बतलाते हैं, लगभग 12.20 बजे दीर्घा से कुछ पर्चे फेंके तथा एक ही नारा "भ्रष्टाचार मिटाओ" का लगाया फेंके हुए पर्चे की प्रति संलग्न है† जिसके अन्त मे युवा नेता—घनश्याम राय, जिला आजमगढ़ छपा है। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने तुरन्त उस व्यक्ति को कब्जे में करके वहाँ से हटा दिया तथा वह व्यक्ति मार्शल की हिरासत में बैठाया हुआ है।

प्रवेश पत्र जारी होने वाले रजिस्टर एवं दीर्घा प्रवेश पर पासेज की प्रविष्टि के रजिस्टरों को देखने से यह ज्ञात होता है कि उक्त नाम से कोई पास दीर्घा प्रवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ। उक्त व्यक्ति के पास से भी कोई प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और उनका कहना है कि उन्होंने अपना पास कहीं फेंक दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति किसी अन्य के पास से प्रवेश किये है और उस नाम को छुपा रहे हैं। उक्त व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया और सदन का अवमान किया। नियम 71 के अनुसार इन्हें दण्डित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना न्याय संगत होगा, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। अब म सदन का मत जान लेना चाहता हूं कि इस प्रश्न को आज लिया जाये अथवा कल के लिये स्थगित किया जाये ।

मुख्य मत्री (श्री बनारसी दास)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दर्शक दीर्घा (नं0 1) से नीचे सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की जो घटना हुई है उस पर विचार कल तक के लिये स्थगित किया जाय और इस मामले से सम्बन्धित व्यक्ति को, जो अपना नाम घनश्याम राय बताता है, कल दिन के 11 बजे तक के लिये जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा जाय और कल दिन के 11 बजे मार्शल उसे उक्त कारागार से लाकर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, प्रस्ताव तो आपका आ गया किन्तु मेरा निवेदन यह है कि 11 बजे प्रश्नोत्तर काल होता है और जब आप इस पर कल 11 बजे विचार करेंगे तो उसमें टाइम लग जायेगा। इसलिये इसे जीरो आवर में रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन वे 11 बजे यहाँ आ जायेंगे। प्रश्न यह है कि आज दर्शक दीर्घा (नं0 1) से नीचे सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की जो घटना हुई है इस पर विचार कल तक के लिये स्थगित किया जाय और इस मामले से सम्बन्धित व्यक्ति को जो अपना नाम घनश्याम राय बताता है, कल दिन के 11 बजे तक के लिये जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रुप में रखा जाय और कल दिन के 11 बजे मार्शल उसे उक्त कारागार से लाकर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†छापी नहीं गयी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने श्री राम सजीवन की सूचना जो बांदा जिले के कमासिन गाँव में भू-दान यज्ञ में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेत मजदूरों एव हरिजनों को उजाड़कर भूस्वामियों एवं सामन्तों द्वारा जबरन कब्जा किये जाने से जिले में असन्तोष के सम्बन्ध में है को स्वीकार किया है और बाकी अन्य तीन सूचनाओं को अस्वीकार किया है। इसके बारे में राजस्व मंत्री 24 तारीख को वक्तव्य सदन में दे देंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा इलाहाबाद तथा बरेली में कार्यरत तापीय विद्युत् गृहों को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद द्वारा इलाहाबाद तथा बरेली विद्युत् गृह इसलिए बन्द कर दिये गये क्योंकि इनकी वर्तमान क्षमता लगभग 2 और 1 मैगावाट की ही रह गयी है जबकि इनका उत्पादन लागत जिस दाम पर बिजली बेच रहे हैं उससे कई गुनी हो रही है। एक ओर जहाँ प्रदेश में 500 मेगावाट की मशीनों के लगाने का प्रस्ताव है, दूसरी ओर 1 या 2 मेगावाट विद्युत गृहों को चलाना न तो न्यायसंगत है और न तो इसका कोई औचित्य है।

जहाँ तक मऊ विद्युत गृह का प्रश्न है। 15 मेगावाट का पावर हाउस है परन्तु दूसरी दो मशीनें खराब हैं बाकी एक मशीन 2 से लेकर 3 मेगावाट तक चलाई जा रही है। जो दो मशीनें खराब हो गयी है उनका रिपेयर हो रहा है, किन्तु उनके रिपेयर होने में बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि पुरानी मशीनें हैं इनके पुर्जे जल्दी नहीं मिल पा रहे है। फिर भी एक मशीन का स्टार्टर जो बी0एच0ई0 एल0 द्वारा रिपेयर हो रहा था, रिपेयर होकर भेजा जा चुका है और रास्ते में है। दूसरी मशीन की रिपेयर बी को लारी द्वारा कलकत्ता में किया जा रहा है। हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि इस पावर हाउस की जो दो मशीनें खराब हो गयी हैं उन्हें शीघ्र ही चालू किया जाय।

इलाहाबाद व बरेली के विद्युत गृहों के बन्द करने से विद्युत चालित उद्योग बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हुआ है। जिस प्रदेश में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली की खपत हो वहाँ 1 या 2 मेगावाट उत्पादन करने वाले विद्युत गृहों के बन्द हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लगभग 600 व्यक्ति, कर्मचारी इन विद्युत गृहों के बन्द होने से सरप्लस हुये हैं, इन्हें निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें अन्य स्थानों पर खपाया जा रहा है। जैसे चन्दौसी पावर हाउस जो बन्द था उसे चालू किया जा रहा है तथा वहाँ से बरेली विद्युत गृह बन्द होने से सरप्लस स्टाफ को भेजा जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद और बरेली के पावर हाउस जिनकी क्षमता पहले 15, 16 मेगावाट थी, घट कर एक या दो रह गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी सरकार ने इस बात की जाँच कराई कि जिन संयंत्रों की क्षमता इतनी थी उनकी क्षमता इतनी क्यों घट गई है इसके लिए किसका दोष है और उसके लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को मालूम है कि इलाहाबाद और बरेली के पावर हाउस काफी पुराने है जो कि मारटिन वन द्वारा चालित थ। इनकी

[श्री रेवती रमण सिंह]

मशीनरी काफी पुरानी हैं और उनकी रिपेयर के लिये पुर्जे भी नहीं मिलते हैं। वहाँ पर पूरी क्षमता के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी वहाँ परपूरी क्षमता नहीं आई और एक या दो मगावाट से ज्यादा नहीं आ सकी। और उसके रख-रखाव में ज्यादा खर्च आ रहा था 70 पैसे और 80 पैसे प्रति यूनिट खर्च आ रहा था। इसलिये यह उचित नहीं होगा कि इन विद्युत गृहों को चलायें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई भी मशीन लगती है तो उसकी अवधि निश्चित होती है कि इतने दिन म बदल देना चाहिये तो इन मशीनों को कब बदल देना चाहिये था और आज तक क्यों नहीं बदला गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय नाथूराम शिक्षक जी को ज्ञात होगा कि इनका टाइम कभी का पूरा हो चुका है। इसलिए इनको फिर से बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर बदल भी दिया जाय तो काफी खर्च आयगा। जब हम पाँच सौ और एक हजार मेगावाट क्षमता के बिजलीघर बना रहे है और दुनिया में हर जगह बड़ी-बड़ी विद्युत योजनायें चल रही हैं जिसस कम खर्च पर ज्यादा बिजली पैदा हो सके तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि उनको बदल कर फिर से लगाया जाय।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय मंत्री को यह गलत बताया गया है कि एक या दो मेगावाट क्षमता इनकी रह गई है। क्या वहाँ पर अधिकारियों की कोई साजिश तो नहीं है कि वह इन विद्युत गृहों को बंद करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आक्षेप है, मंत्री जी कुछ बताना चाहेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, बाबा रामआधार जी इलाहाबाद से ही आते हैं उनको ज्ञात होगा कि वहाँ क्या स्थिति रहती है। बिजली घरों में कोई काम नहीं होता। जब काम नहीं होता है तो उत्पादन भी नहीं होता। जहाँ तक अधिकारियों का संबंध है वह इस तरह की बात क्यों करेंगे इनके बंद होने से तो अधिकारियों का ही स्थानान्तरण हो रहा है। इसलिये बात समझ में नहीं आती कि अधिकारियों की कोई साजिश हो।

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने थरमल पावर स्टेशन हैं उनकी हालत खराब है मुझे मालूम है....

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी बात इसमें कहाँ आती है ? इलाहाबाद तथा बरेली के विद्युत् गृहों के बारे में सवाल करें।

श्री राम अधार—

इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको जानकारी है कि थर्मल पावर स्टेशनों की हालत बड़ी खराब है ? मऊ विद्युत् स्टेशन में जो 15 मेगावाट क्षमता का है, वहां 1 मेगावाट भी उत्पादन नहीं होता, तो रिपेयर का आदेश कब दिया गया और कब से 1 मेगावाट उत्पादन हो रहा है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह काफी समय पहले से आदेश दिया जा चुका है। वहां एक नहीं 2–3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जैसा मैंने कहा उसके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं, कुछ बड़ी मुश्किल से मिले हैं, जैसे ही वह आ जायेंगे, इसकी उत्पादन क्षमता आ जाएगी। जहां तक थर्मल उत्पादन का सवाल है यह 600 नहीं एक हजार है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जितना उत्पादन होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है और उसके लिए शासन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मंत्री जी ने दो विद्युत् गृह बन्द करने की बात कही और जो सरप्लस स्टाफ है, उसे चन्दौसी पावर हाउस में भेजने की बात है, क्योंकि उक्त पावर हाउस को फिर चालू कर रहे हैं। शायद चन्दौसी पावर हाउस इसीलिये बन्द होगा कि वह अनएकोनामिक रहा होगा। तो आप एक तरफ अनएकोनामिक को बन्द कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो बन्द था उसको खोल रहे हैं। तो क्या आर्थिक दृष्टि से चन्दौसी पावर हाउस को चलाना हितकर है और इमरजेंसी के लिए आप बरेली और इलाहाबाद वालों को रखेंगे या उन्हें डिस्मैन्टेल कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका तो जबाव दे चुके हैं, इसमें खत्म करने का सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मऊ पावर हाउस की मशीनें जो काफी समय से खराब हैं उनको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई अनुमान है कि ये मशीनें कब तक ठीक हो जायंगी और यदि एक निश्चित समय तक यह ठीक न हो सकी, तो क्या इनको बन्द करने का सरकार विचार करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

मैंने अपने वक्तव्य के दूसरे पैरा में कहा है कि इसका स्टार्टर जो बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा रिपेयर होना था, रिपेयर करके भेजा चुका है और वह आने वाला है। इससे कुछ मशीने चालू हो जाएगी। दूसरी मशीन का जो रिपेयर हो रहा है, उसका भी प्रयास करूंगा कि वह भी शीघ्र रिपेयर होकर आ जाए और इस पावर हाउस को जहां तक सरकार द्वारा समाप्त करने की बात है, सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

बरेली और इलाहाबाद के पावर हाउस इसलिये बन्द किये जा रहें है, चूंकि वह अनएकोनामिक हो गये हैं, तो क्या इन नगरों या इनके आस पास कोई पावर हाउस लगाने का सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

श्री रेवती रमण सिंह---

बरेली या इलाहाबाद का बन्द करने का विचार नहीं है। रायबरेली में ऊंचाहार में एक योजना पर सरकार अवश्य विचार कर रही है। एक बड़ा पावर हाउस खोलने के लिए और बरेलीके लिए मुरादाबाद या शाहजहांपुर में एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन खोलने पर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

माननीय विद्युत् मंत्री से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद, बरेली दोनों जगहें पालिटिकली बहुत एक्टिव हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर पावर हाउस में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी यूनियन से तंग आकर अफसरों ने घरौंदा रचा हो और पावर हाउस को बन्द करवा दिया हो ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है . मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि छः सौ व्यक्ति/कर्मचारी जो प्रभावित हुए हैं उन्हें खपाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कुल कितने कर्मचारी खपाये जा चुके हैं और कितने बाकी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

अभी तो बन्द ही नहीं हुए हैं । अभी प्रक्रिया चल रही है । कर्मचारी वहीं है । जब बन्द हो जायंगें, जब सरकार अधिग्रहण कर लेगी उसके बाद सरकार का निर्णय है कि कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जायगा । सब को एडजस्ट किया जायगा ।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पावर हाउस बन्द किया जा रहा है, बन्द करने के बाद दोनों पावर हाउस उसी तरह से रहेंगे या सरकार की कोई योजना द्वारा एसी तो नहीं है कि दोनों पावर हाउस किसी पूंजीपति के साथ सांठगांठ करके अधिकारियों ने षडयंत्र तो नहीं किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
21 मई, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 108 पर)

दिनांक 21-3-79 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम की बस संख्या यू0टी0पी0 4406 व मिनी बस संख्या यू0एस0ई0 7536 से हुई दुर्घटना में मृतक/घायलों की सूची।

(मृतक) (बस)

1—श्री आनन्द कुमार खरे, असिसटेन्ट इन्जीनियर, पी0 डब्लू0 डी0 पुत्र श्री गोपी शंकर निवासी 6—जमील मेन्शन डा0 बी0 एन0 वर्मा रोड, थाना अमीनाबाद, लखनऊ।

2—श्रीमती उर्मिला, पत्नी श्री विष्णुपाल सिंह, निवासी गड़रियन खेड़ा, पोस्ट पाटन, जिला उन्नाव।

(घायल)

1—श्रीमती लक्ष्मी रावत पत्नी श्री डी0 एस0 शर्मा, हाता नम्बर 20, लाल इमली कालोनी, कानपुर।

2—श्री मोहम्मद अहमद खां पुत्र श्री अहमद नबी खां निवासी मुगलपुरा प्रथम मुरादाबाद।

3—श्री अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी बरवलिया, मकान नम्बर 156, मुरादाबाद।

4—श्री अच्छे पुत्र श्री कमरुल, निवासी कसमंडी, मलिहाबाद, लखनऊ।

5—श्री शिव सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, निवासी सिवी कलां, बांदा।

6—श्री जय दत्त गौड़ पुत्र श्री दुर्गापाल जी गौड़, अलीगंज बांदा।

7—श्री राम सरन पुत्र श्री मोहन लाल मझवानी फतेहपुर।

8—श्री रामेश्वर दयाल पुत्र श्री भगवान दास राघवेन्दर दाल मिल, सादाबाद गेट, हाथरस।

9—श्री गया सिंह पुत्र श्री महादेव सिंह जगन्नाथ गंज, उन्नाव।

10—श्रीमती दुल्लन पत्नी श्री शिव नरायन, निकट ओडियन सिनेमा कैसरबाग कोतवाली, नजरबाग, लखनऊ।

11—श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री हफीज अली, निवासी शाहगंज, विक्टोरिया स्ट्रीट, थाना चौक, लखनऊ।

12—श्री विष्णुपाल सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह, निवासी गड़रियन खेड़ा, पोस्ट पाटन, जिला उन्नाव।

13—कुमारी अर्चना पुत्री श्री विष्णुपाल सिंह, निवासी गड़रियन खेड़ा, पोस्ट पाटन जिला उन्नाव।

14—श्री महेश प्रताप सिंह पुत्र श्री विष्णुपाल सिंह, निवासी गड़रियन खेड़ा पोस्ट पाटन, जिला उन्नाव।

15—श्री सुलेमान पुत्र श्री मोहम्मद जान खां, निवासी मोहल्ला फसान, लोहागढ़ थाना कोतवाली, मुरादाबाद।

(मिनी बस)

16—श्री बृजबिहारी बाजपेयी पुत्र श्री श्रीधर बाजपेयी, निवासी पृथ्वीखेड़ा, करनावारा, जिला उन्नाव।

17—श्री बुद्धघ लाल पुत्र श्री हुब लाल निवासी 109/4 नेहरूनगर, कानपुर।

18—श्री दर्शन पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी तुलसी का पुरवा, थाना कोतवाली, रायबरेली।

19—श्री गिरधरलाल अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रभान अग्रवाल, निवासी डब्लू0 ब्लाक, 53—एम0 आई0 जी0, उग्रमानपुर, कालोनी, थाना जूही, कानपुर।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 108 पर)

जनपद फैजाबाद के उन गैर मान्यता प्राप्त समाचारपत्रों का विवरण जिन्हें वर्ष 1978-79 में विज्ञापन दिये गये।

क्रम-संख्या	नाम	घनराशि
1	सत्य भारत साप्ताहिक	335.00
2	गणतंत्र भारत साप्ताहिक	1,0.00
3	सरगू मेल साप्ताहिक	300.00
4	प्रेरणा सूचक साप्ताहिक	100.00
5	सांकेत दर्पण	75.00
6	हम आप	100.00
7	अयोध्या दर्पण	600.00
8	अवध अर्चना	500.00
9	वेद शक्ति	250.00
10	स्वप्नरेखा साप्ताहिक	200.00
11	प्रेस युग	200.00
12	विचार सूचक साप्ताहिक	100.00
	योग ..	2,94,000

जनपद फैजाबाद के बाहर के समाचार पत्रों का विवरण जिन्हें वर्ष 1978-79 में विज्ञापन दिये गये।

क्रम-संख्या	नाम	घनराशि
		रु0
1	जनविजय साप्ताहिक, लखनऊ	1,040.00
2	शान्ति दीप साप्ताहिक, सीतापुर	450.00
3	विश्वकेतु साप्ताहिक, रायबरेली	390.00
4	करंट साप्ताहिक, बम्बई	700.00
5	दलित चेतना साप्ताहिक, लखनऊ	300.00
6	जनवार्ता दैनिक, वाराणसी	250.00
7	दैनिक भारत, प्रयाग	300.00
8	नवजीवन, लखनऊ	200.00
9	युग विवेक साप्ताहिक	300.00
	योग ..	4,138.00

विधान सभा सचिवालय

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 110 पर)

तालिका

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत सम्पर्क मार्ग का नाम	स्वीकृत संपर्क मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्मित सम्पर्क मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)	सम्पर्क मार्गों के पूर्ण न होने के कारण
1	सेवापुरी	(1) सरिहिरा रेलवे क्रासिंग से इसवार तक।	1.500	1.200	निर्माण कार्य चल रहा है।
		(2) बड़ौरा से मिर्जामुराद तक	6.500	0.300	मार्ग के बगल के खेतों में फसलें खड़ी होने के कारण संबंधित कृषकों ने अपने खेतों से मिट्टी देने से इनकार कर दिया तथा कार्यरत मजदूरों को धमकी दी जिससे मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। अब निर्धारित दर पर मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। गर्मी का समय होने से मिट्टी भी काफी सख्त हो गई है।
	भदोही	(1) पक्की सड़क (जौनपुर मिर्जापुर रोड) से रजईपुर तक	1.000	1.000	मार्ग पूर्ण हो गया है।
		(2) धमहापुर-कपसेठी तक	3.000	2.000	गोहिलाँव गाँव के पास एक व्यक्ति द्वारा रास्ते में मकान बना कर अतिक्रमण कर लिया गया जिससे निर्माण-कार्य में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद के समाधान का प्रयास जारी है।
	औराई	(1) जी0टी0 रोड से बारीपुर पटखौली होते हुए इटवा तक।	2.000	2.000	मार्ग पूर्ण हो गया है।
		(2) माधो सिंह–पिथरोपुर मार्ग	3.000	..	निर्धारित दर पर मजदूरों के न मिलने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 112 पर)

हरिहर कोल्ड स्टोरेज, बाबतपुर, वाराणसी में आरम्भ से रखे गये आलू का विवरण

वर्ष			भण्डारण क्षमता (कुन्तल में)	भण्डारित मात्रा (कुन्तल में)
1968	..	..	10062	9674.06
1969	..	..	22302	19841.53
1970	..	..	,,	20678.28
1971	..	..	,,	20263.20
1972	..	..	,,	22262.40
1973	..	..	,,	21760.80
1974	..	..	,,	22375.20
1975	..	..	,,	22158.40
1976	..	..	,,	22201.60
1977	..	..	,,	20291.20
1978	..	..	,,	22001.60
1979	..	..	,,	21995.20
नया चेम्बर (1979)		..	18000	17253.60

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 113 पर)

फतेहपुर जिले के मलवां ब्लाक में 1 अप्रैल, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक विभिन्न ग्राम सभाओं में विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	ग्राम सभा का नाम	किस कार्य के लिये धनराशि दी गई	1-4-78 से 31-1-79 तक दी गई धनराशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1	उमरगहना	हरि0 कूप निर्माण	500.00	पूर्ण
2	इटरौरा पिलखिनी	,,	3056.60	,,
3	इगरैया रामनाथपुर	,,	1200.00	,,
4	पैगम्बरपुर	,,	1,970.00	अपूर्ण
5	मकइया	,,	2,339.00	,,
6	अलियाबाद	,,	1,339.00	,,
7	मुमरेजपुर	,,	2,601.60	,,
8	दुबकी (मियाँमऊ)	,,	2,601.60	,,
9	हरदौली	,,	1,339.00	,,
10	रामपुर	,,	2,601.60	,,
11	ईसापुर	,,	1,339 00	,,
12	चन्दनपुर	,,	2,601.60	,,
13	दुनिया पतपुर	,,	1,601.60	,,
14	दाउतपुर	,,	1,339.00	,,
15	रावतपुर	,,	1,339.00	,,
16	गाजीखेड़ा	,,	2,599.60	,,
17	माया राम खेड़ा	,,	2,601.60	,,
18	उसरहा पुरवा	,,	2,601.60	,,
19	मलावाँ	पुलिया व नाली	1500.00	पूर्ण
20	रेवाड़ी	,,	500.00	पूर्ण
		योग	37571.40	

विधान सभा सचिवालय

फतेहपुर जनपद के विकास खण्ड देवमई में दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक विकास कार्यों हेतु ग्राम सभाओं में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

ग्राम सभा क्र0 सं0 का नाम	विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य का नाम	1-4-78 से 31-1-79 तक भुगतान की गई धनराशि	भुगतान का विवरण	पूर्ण न होने का कारण
1 2	3	4	5	6
1—बिजौली	पुलिया निर्माण	200	अंतिम भुगतान	पूर्ण
2—गोपालपुर करनपुर	खरंजा निर्माण	700	..	..
3—टिकरा	पुल निर्माण	800	तीसरी किश्त	कार्य चल रहा है।
4—डाटी खुर्द	पंचायत भवन	700	दूसरी किश्त	पूर्ण
5—गंगचौली बुजुर्ग	,,	281	अंतिम भुगतान	..
6—चन्द नगर होलेपुर	प्राइमरी पाठशाला निर्माण	200	..	..
योग		2,881		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिखित उत्तर

लिखित उत्तर 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 115 पर)

संलग्नक

महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला—

(1)	पाँच माह के अन्दर का कुल वेतन (मार्च, अप्रैल, 1979)	8.60 लाख
(2)	भविष्य निधि	5.40 लाख
(3)	अनुग्रह धन	8.00 लाख
	योग ..	22.00 लाख

लक्ष्मीदेवी शुगर मिल, छितौनी—

(1)	पाँच माह के अंदर का कुल वेतन (फरवरी, मार्च, अप्रैल, 79)	8.42 लाख
(2)	भविष्य निधि	11.10 लाख
(3)	अनुग्रह धन (अनुमानित)	4.77 लाख

विधान सभा सचिवालय बिहार पटना

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 116 पर)

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, सरदारनगर के प्रतिनिधि मंडल का दिनांक 12-1-79 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिये गये 13 सूत्रीय ज्ञापन में उल्लिखित माँगे ।

1—गत वर्ष का गन्ना मूल्य बकाया अविलम्ब दिलाया जाय ।

2—विगत वर्ष का गन्ना मूल्य कमीशन बकाया अविलम्ब दिलाया जाय ।

3—सरैया शुगर मिल्स (प्रा0 लि0), सरदारनगर पर ब्याज का बकाया अविलम्ब दिलाया जाय ।

4—वर्ष 1978-79 के गन्ना मूल्य के संबंध में गत वर्ष के गन्ना मूल्य तथा स वर्ष के गन्ना मूल्य के अन्दर का शीघ्र दिलाया जाय ।

5—गन्ना मूल्य वर्ष 1978-79 के अन्तर की अनुदान की धनराशि को शीघ्र दिलाया जाय ।

6—गन्ना आयुक्त द्वारा दोषपूर्ण गन्ना आपूर्ति नियम के संबंध में कतिपय सुविधायें अविलम्ब प्रदान की जाय ।

7—सरदारनगर चीनी मिल द्वारा दोष पूर्ण गन्ना नीति के संबंध में जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

8—गन्ना क्रय केन्द्रों पर चीनी मिल द्वारा दुर्व्यवस्था दूर कराई जाय ।

9—चीनी मिल के नापवाट में विषमता दूर करने के संबंध में कार्यवाही की जाय ।

10—समिति के प्रतिनिधियों के नीति निर्धारण सुझावों पर उपेक्षा प्रदर्शित न की जाय ।

11—विभागीय अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों के प्रति उपेक्षा की नीति न अपनाई जाय ।

12—समिति क्षेत्र में गन्ना कृषकों को सुविधा प्रदान करने में उपेक्षित न किया जाय ।

13—वित्त पोषण योजना गन्ना समितियों से अविलम्ब समाप्त के संबंध में कार्यवाही की जाए ।

पी0एस0यू0पी—इ0 221 वि0 सभा (352) 1980-835